राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 2 **सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का उनतीसवां दिवस** संख्या: 18

बुधवार,
31 जुलाई 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री डूंगरराम गेदर।

सूरतगढ़ में राजकीय महाविद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएं

307. श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में राजकीय महाविद्यालय कहां-कहां खोले गए? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रारम्भ किये गए राजसेस के तहत संचालित राजकीय महाविद्यालयों को बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में विगत पांच वर्षों में खोले गए राजकीय महाविद्यालयों में स्टॉफ व अन्य सुविधाओं की कमी के संबंध में सरकार के पास क्या-क्या प्रस्ताव विचाराधीन हैं? सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) विगत पांच वर्षों में प्रदेश में कुल 345 (42 राजकीय व 303 राजसेस) महाविद्यालय खोले गये हैं जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजसेस के अन्तर्गत संचालित 303 महाविद्यालयों में छात्रों की नामांकन संख्या, उस क्षेत्र में कॉलेजों की प्रभावशीलता एवं नये कॉलेज खोलने के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में विहित मानदण्ड आदि के संबंध में जीच/समीक्षा किये जाने बाबत उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की अभिशंसा का परीक्षण कर

यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा। आदेश की प्रति परिशिष्ट02 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में वर्ष 2023 में राजकीय महाविद्यालय बीरमाना (राजसेस) खोला गया। उक्त महाविद्यालय वर्तमान में सहकारी समिति के भवन में अस्थाई रूप से संचालित है। उक्त महाविद्यालय का नवीन भवन निर्माणाधीन है।

महाविद्यालय को आवश्यकतानुसार मूलभूत सुविधाएं नोडल महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही है। सत्र 2024-25 में गेस्ट फेकल्टी के माध्यम से अध्यापन करवाये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उच्चस्तरीय समिति की समीक्षा के लिये जो आपने समिति बनाई है उसकी समय-सीमा तय है क्या? यदि हां, तो कब तक है?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): राजसेस वाली?

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): राज्य स्तरीय।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): हमारे पास कमेटी की तो रिपोर्ट भी आ चुकी है और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं उच्च स्तरीय कमेटी की जांच हमारे पास, सरकार के पास आ गई है और निश्चित रूप से जल्दी ही इस पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): कोई तारीख बतायेंगे इसमें या जल्दी चलता रहेगा?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): नहीं, जल्दी कर लेंगे। जांच कर रहे हैं जांच होते ही आपको बता देंगे।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि वीरवाना का नवीन भवन बन करके तैयार हो गया है तो क्या उसमें कॉलेज शुरू करने का विचार आप रखते हैं? यदि हां, तो कब तक?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अभी आपकी कॉलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी के भवन में चल रही है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न काल में नहीं। प्रश्न काल में अपनी सीट पर रहें। माननीय सदस्य, अपनी सीट पर जाइये। इतनी बार कह चुका हूं कि प्रश्न काल में कोई सदस्य उठ कर किसी मंत्री के यहां नहीं जायेगा।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): मैं आपको इसकी तारीख दे देता हूं 31.08.2024 तक यह पूर्ण होने की पूरी सम्भावना है निश्चित रूप से इस महीने के लास्ट तक आपकी कॉलेज इसमें संचालित हो जायेगी।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): धन्यवाद, साहब।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

पचपदरा में स्थानीय लोगों को रोजगार

308. श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पचपदरा रिफाइनरी की स्थापना से स्थानीय लोगों की नमक

खानों के बंद होने के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार द्वारा कोई राहत पैकेज दिया गया है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिफाइनरी से नमक की खदानें बंद होने के कारण बेरोजगार हुए स्थानीय लोगों को रिफाइनरी में प्राथमिकता से रोजगार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) जी हां। यह सही है कि पचपदरा रिफाइनरी क्षेत्र में रिफाइनरी की स्थापना से पूर्व स्थानीय खारवाल समाज द्वारा लवण क्षेत्र में स्थित नमक की खानों से नमक का उत्पादन किया जा रहा था। वर्ष 2013 में रिफाइनरी की स्थापना हेतु पचपदरा लवण क्षेत्र से अवाप्त की गई भूमि में 198 नमक की खाने भी शामिल थी। रिफाइनरी से प्रभावित 198 नमक की खानों को शेष लवणीय भूमि पर विस्थापित करने हेतु भूमि का चयन कर खानों को यथास्थिति में पुर्नस्थापित करने हेतु 7.85 करोड रु. क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का निर्णय/अनुमोदन मंत्रिमंडल के स्तर से किया जा चुका है मंत्रिमण्डल की आज्ञा 16/2023 दिनांक 03.03.2023 की प्रति परिशिष्टि-''अ'' पर संलग्न है, जिसकी अनुपालना में विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): सप्लीमेंट्री।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): एक और है बट आप चाहें तो मैं...।

श्री अध्यक्ष: एक बार शुरू हुआ तो फिर पूरा पढ़ेंगे।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): (2) राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, पचपदरा के लिए HPCL Rajasthan Refinery Ltd (HRRL) को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी भूमि में से 198 लवण खानों की ली गयी भूमि को शेष उपलब्ध लवण भूमि में से 841 बीघा भूमि आवंटन किये जाने हेतु चिह्नित कर ली गयी है। इन खानों को पुनर्स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 7.85 करोड़ रुपये का Disturbance Charges का भुगतान किया जायेगा। ऐसी स्थिति में नए स्थान पर खानें स्थापित होने से इन्हें पुनः अपना कार्य एवं रोजगार का अवसर मिल सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय मंत्री जी, निवेदन करना चाहूंगा कि 2013 में...।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, नहीं।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय अध्यक्ष जी की मार्फत मैं पूछना चाहूंगा कि विस्थापित जो लोग थे जिनकी खानें ली गयी थी वो 2013 में अधिग्रहित कर ली गयी थी। अभी तक उनको किसी तरह की कोई जमीन नहीं मिली, न कोई क्षतिपूर्ति मिली है और इसकी एवज में कोई रोजगार में प्राथमिकता भी उन लोगों को मिली नहीं है, कुल मिलाकर वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): उनके लिए आप कोई विचार रखते हो, उनको क्षतिपूर्ति

का एक जो गैप हुआ है उसको देने का विचार रखते हैं? साथ ही साथ जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी में प्राथमिकता देने का विचार रखते हैं रिफाइनरी में?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी 1960 से प्रक्रिया शुरू हुई जहां पर, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन उसके बाद 1976 के अन्दर मध्यस्थता की उच्च न्यायालय ने और यह तय हुआ कि वहां नमक का जो उत्पादन होगा और उसके जो बाईप्रोडक्ट्स होंगे वो सारी प्रॉपर्टी होगी सरकार की लेकिन जो अधिकार है नमक निकालने का वह खारवाल समाज को मिलेगा। उसके बाद में 2013 में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि रिफाइनरी के लिए वह भूमि ले ली गयी। 2018 में एक कमेटी गठित हुई जिसने यह तय किया कि जो विस्थापित हैं जिनकी ये 198 खानें हैं उनको विस्थापित किया जाये। उसके लिए फिर जैसे मैंने अपने उत्तर में लिखा था कि 184 बीघा इनकी जमीन आइडेंटिफाई हो गयी है। अब बात यह सही है कि अभी तक उन्होंने अपना काम वहां शुरू नहीं किया। उसके लिए भी कलेक्टर, बालोतरा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें खानों के जो खानधारक हैं उन्होंने निवेदन किया कि मानसून समाप्त होने पर वो अपनी खुदाई शुरू करेंगे और खुदाई के साथ-साथ 40 परसेंट खुदाई होने पर उनको पहला इंस्टालमेंट मिलेगा और हण्ड्रेड परसेंट होने पर उनको पूरा पैसा दिया जायेगा।

इसके साथ-साथ माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जो रिफाइनरी है उसके अन्दर जॉब्स को लेकर तो ऐसा कोई अलग से विचार नहीं है लेकिन जब भी जैसे जब नमक की खानें थी तो उससे एक ईको सिस्टम बनता है। उसी तरह रिफाइनरी आयेगी तो उससे और भी बड़ा ईको सिस्टम बनेगा। आज भवन निर्माण हो रहा है मशीनों का काम हो रहा है वह डाइरेक्ट एम्प्लोयमेंट है। इनडाइरेक्ट एम्प्लोयमेंट में रेस्ट्रो हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, यह सारा इनडाइरेक्ट जॉब है तो रिफाइनरी के आने से और वहां पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और उससे मुझे यकीन है और स्पेसिफिक अगर मैं जवाब दूं माननीय सदस्य को तो वह यह है कि इस अक्टूबर से मानसून खत्म होने के बाद जैसे ही उनकी खुदाई शुरू होगी उनको उस हिसाब से पैसा देना शुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): रोजगार केलिए भी एक बार निवेदन है उन तमाम लोगों को जिनकी जमीनें गयी हैं उनके रोजगार के लिए भी आप इस हेतु क्या प्रयास करेंगे? सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: बता दिया।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो उनके रोजगार की सुरक्षा करने के लिए ही वो 184 बीघा जमीन उनको दी गयी है और वहां पर उनका जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसकी खुदाई के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है तकरीबन 7 करोड़ रुपये उनको दिये जायेंगे लेकिन उसके अलावा यह इनडाइरेक्ट जो एम्प्लोयमेंट अपॉर्चुनिटी है वह भी अवेलेवल है। वैसे भी जब मैं वहां उस क्षेत्र में जाऊंगा, जो कोई चर्चा होगी खारवाल

समाज के साथ, माननीय सदस्य के साथ बैठ कर उनसे भी चर्चा कर लेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पितराम सिंह काला।

पिलानी में नलकूपों की स्वीकृति

309. श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र पिलानी में विगत सात माह में कितने नलकूप सूखे घोषित किये गये? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये नलकूप स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र पिलानी में विगत 7 माह में शहरी पेयजल योजना पिलानी में 08 एवं शहरी पेयजल योजना चिड़ावा में 04 कुल 12 नलकूपों में पानी की आवक न्यून हो जाने के कारण सूखे नलकूपों की श्रेणी में आ गए हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 22 नलकूपों में आवक न्यून हो जाने के कारण क्षेत्र में पेयजल उपयोग हेतु योग्य नहीं रहने से सूखे नलकूपों की श्रेणी में आ गए हैं। नलकूप वार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

विधानसभा क्षेत्र पिलानी में बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत 2 वर्षों में आवश्यकतानुसार 10 नये नलकूप स्वीकृत किए जायेंगे।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हो गया है। पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी परमीशन हो तो?

श्री अध्यक्ष: हां, जरूर पूछिये।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): क्या सरकार पिलानी विधान सभा क्षेत्र को कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना व अमृत 2 योजना में सम्मिलित करने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और इसके लिए वित्तीय प्रावधान क्या करना चाह रही है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस बजट घोषणा के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिलानी विधान सभा क्षेत्र के लिए इन्दिरा गांधी नहर आधारित वृहत पेयजल परियोजना सीकर, झुंझुनूं और नीमकाथाना के लिए लगभग 7,542 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें इनकी पिलानी विधान सभा क्षेत्र के जितने भी गांव हैं दोनों कस्बे हैं इनके लिए इसके अन्दर हम बहुत जल्दी ही, इनके एस्टीमेट भी बना लिये हैं टेंडर भी लगाने जा रहे हैं और मार्च, 2027 से पहले-पहले आपके हर गांव को जल जीवन मिशन के तहत जोड़ देंगे। कोई भी आपका गांव और कस्बा नहीं बचेगा।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): धन्यवाद, मंत्री जी। दूसरा पूरक प्रश्न है पिलानी विधान सभा क्षेत्र में जो ट्यूबवैल सूख चुके हैं क्या उनको वापस उनके स्थान पर नये

ट्यूबवैल सैंक्शन करने का विचार है? यदि है, तो कब तक? दूसरा जो अधिकारी जिनकी लापरवाही से 18-18 दिन से 20-20 दिन से ट्यूबवैल बन्द पड़े रहते हैं छोटी-छोटी चीज से, क्या उनके विरुद्ध आप कार्यवाही करने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने सही बताया कि वैसे तो यह अभियान जो चलाया है गर्मी में जितने भी ट्यूबवैल्स और हैंडपंप्स खराब थे उनके लिए हमने पाइपों से लेकर पूरा अभियान चला कर लगभग 400 करोड़ रुपये से ज्यादा से हमने पूरे राजस्थान के अन्दर इनको ठीक किया। फिर भी माननीय सदस्यों से जब मैं बात करता हूं तो बहुत से सदस्यों के ट्यूबवैल्स सारे सूख चुके हैं क्योंकि पानी की कमी की वजह से भूजल नीचे गिरता जा रहा है। जो परिपाटी अब तक चलती आई है पिछले समय से सूखे हुए ट्यूबवैल्स को ड्राई घोषित कर देते हैं। बाकी यह नहीं देखा जाता कि उसमें क्या मोटर खराब है, उसकी केबल खराब है या उसके कोई पाइप नीचे लो रिंग उतारने से ही पानी निकल सकता है। सिर्फ बजट बुक करने के लिए या उनको कहीं न कहीं उनके स्वार्थ के लिए नया ट्यूबवैल लगभग बीस से बाईस लाख रुपये का खर्चा करते हैं। इस बार मैंने हमारे सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप माननीय सदस्य से बात करके आप इंजीनियर्स को फरल्ड में भेज कर जितने भी खराब ट्यूबवैल्स हैं...

Kas/rtm/31.07.2024/11.10/1b

वह किस वजह से खराब हैं, क्या कारण हैं, इसमें लगभग तीन हजार ट्यूब वैल की तो मेरे पास लिस्ट आ गई। माननीय सदस्य अपनी लिस्ट भी दे दें, उनको मैं चैक करा लूंगा। अगर उनमें किसी में कोई छोटी-मोटी कमी है, किसी में 1 लाख लगेगा, किसी में 5 लगेगा, नहीं होगा तो उसके बराबर में दूसरा ट्यूब वैल करके, वही कनेक्शन, वही मोटर और सारी चीज उसमें काम में ले लेंगे। आने वाले 15 दिन में, 30 दिन में इसकी पूरी डिटेल लेकर आपको सूचित कर देंगे।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): साहब, यह मैं टेबल कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: हो गया आपका। अगला प्रश्न। डाक्टर शैलेश सिंह।

अवार ग्राम पंचायत (डीग-कुम्हेर) में एम.एम.कैनाल पर नवीन पुलिया निर्माण

310. डॉ. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर की ग्राम पंचायत अवार के पास से गुजरने वाली एम.एम. कैनाल पर जीएसएस के पास नवीन पुलिया निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर की ग्राम पंचायत अवार के पास गुजरने वाली एम.एम.(मुरवारा-मंहगाया) कैनाल पर जीएसएस के पास नवीन पुलिया निर्माण की आवश्यकता के मध्यनजर प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। संसाधन

उपलब्धतानुसार अग्रिम कारवाई की जानी प्रस्तावित है।

डॉ. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): बहुत-बहुत धन्यवाद मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने कहा है कि संसाधन उपलब्धता अनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। क्या आप इसमें यह बता पायेंगे कि कितनी लागत से इस पुलिया का निर्माण कराया जायेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इसका तकनीकी परीक्षण करा कर, इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सदस्य को मैं सूचित कर दूंगा।

डॉ. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): धन्यवाद मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ललित मीणा।

टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत कार्मिक

311. श्री ललित मीना (किशनगंज) (श्री फूल सिंह मीणा के स्थान पर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कुल कितने कार्मिकों के पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कुल कितने कार्मिकों के पद रिक्त हैं एवं टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों में से कितने गैर टीएसपी क्षेत्र के मूल निवासी हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नॉन-टीएसपी वाले कार्मिकों को टीएसपी क्षेत्र से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में विभागवार स्वीकृत/रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर ने परिपत्र दिनांक 17.07.2014, 10.11.2014, 03.03.2015 एवं 16.07.2018 द्वारा समस्त विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष एवं संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर आदि को निर्देश प्रदान किये गये। कार्मिकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही सम्बन्धित विभागों द्वारा की जाती है।

(3) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जाती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि प्रश्न में पूछा गया है कि टीएसपी क्षेत्र के मूल विभाग के कर्मचारी हैं,

उनको टीएसपी क्षेत्र से हटाने का विचार रखते हैं क्या? इसमें जवाब दिया है कि कार्मिकों के स्थानांतरण की कार्यवाही सम्बन्धित विभागों द्वारा की जाती है। मेरा निवेदन है कि जो वहां के मूल निवासी हैं, उनको उसी विभाग में लगाने का विचार है क्या?

इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो टीएसपी के 14720 मूल कर्मचारी हैं। इनकी पदोन्नति वर्षों से रुकी हुई है, उनकी डीपीसी रुकी हुई है और उसमें कई विसंगतियां हैं, तो इन विसंगतियों को कब तक दूर करके उनको कब तक प्रमोशन दिलाने का विचार रखते हैं? साथ ही जो 14281 रिक्त पद हैं, उनको कब तक भरने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का पूरक प्रश्न है कि मूल विभाग में, कार्मिक से भर्ती के समय विकल्प मांगा गया था, तभी सरकार ने उन कर्मचारियों ने जैसा विकल्प भरा था, वैसे उनका ट्रांसफर कर दिया। जिन कर्मचारियों से विकल्प नहीं मांगा गया, उनके स्थानांतरण नहीं किये गये हैं। दूसरा आपका सवाल था कि जो खाली पद हैं, अध्यक्ष महोदय, इसकी सूची मैंने आपको दे दी है। खाली पदों को भरने की कार्यवाही विभागों द्वारा की जाती है।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि जनजाति क्षेत्र में टीएडी विभाग द्वारा इंटरव्यू लेकर शिक्षा विभाग से या अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर जनजाति छात्रावासों में या फिर विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक लिये जाते हैं, तो क्या आप अन्य क्षेत्र की अपेक्षा मूल टीएसपी क्षेत्र के मूल कार्मिकों को रखने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह छात्रावासों का सवाल इसमें था नहीं, लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है तो मैं बता दूं कि छात्रावासों में हम जो वार्डन लेते हैं, वह शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेते हैं और उसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप टीएसपी क्षेत्र से ही लें, वह पूरे राजस्थान में कहीं से भी एप्लाई कर सकता है और वह वहां आने के लिये अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि उसी क्षेत्र का लें, ऐसा संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अजय सिंह।

डेगाना के पटवार घर के भवन

312. श्री अजय सिंह (डेगाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कितने पटवार घर सरकारी भवनों में संचालित हैं? उक्त में से कितने पटवार घर जीर्ण-शीर्ण हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अन्तर्गत कुल 10 पटवार मण्डल सरकारी भवनों मे संचालित हैं तथा उक्त में से कोई भी भवन जीर्ण शीर्ण की स्थिति मे नही है। ग्राम पंचायत वार विवरण संलग्न है (परिशिष्ट 'अ')।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको पढ़ लिया है।

श्री अध्यक्ष: क्या उत्तर आ गया?

श्री अजय सिंह (डेगाना): जी। मैं पूरक प्रश्न कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि डेगाना विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने पटवार भवन बने हुए हैं? इनमें से कितने पटवार भवन नाकारा अथवा जीर्ण-शीर्ण हैं, जो कि उपयोग में नहीं आ रहे हैं और क्या सरकार इनका चरणबद्ध तरीके से निर्माण कराने का इरादा रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कुल 53 पटवार मंडल स्वीकृत हैं। 10 पटवार मंडल स्वयं के सरकारी भवनों में संचालित हैं। 39 पटवार मंडल, जिनका स्वयं का पटवार मंडल जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है, उनका संचालन पटवार मुख्यालय पर किराये के भवन पर किया जा रहा है। शेष 4 पटवार मंडल, जो कि भवन विहीन हैं, उनका संचालन भी किराये के भवन में किया जा रहा है।

माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया है कि जो 39 जीर्ण-शीर्ण, क्षतिग्रस्त पटवार मंडल हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि क्रमबद्ध तरीके से इन जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों के आधार पर की जायेगी। शेष रहे 4, जिनमें पटवार भवन हैं ही नहीं, उनमें प्रशासनिक आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि पटवारी, आरआई, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सभी राजस्व कार्य ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से संपादित करते हैं। पटवारी गश्त गिरदावरी भी करते हैं, क्रॉप कटिंग का काम भी करते हैं, क्या सरकार इन्हें संसाधन उपलब्ध कराने का इरादा रखती हैं? जैसे लैपटॉप, टेबलेट, इंटरनेट की सुविधा, इसके बारे में मंत्री जी बताएं।

श्री अध्यक्ष: आपने पूछा तो केवल भवनों का है। हैं तो दीजिए, नहीं तो आवश्यक नहीं है।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): मैं बोलता हूं ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व कार्मिकों को लैपटॉप एवं टेबलेट उपलब्ध कराये जाने हेतु समस्त जिलों के एग्जाई प्रस्ताव राजस्व मंडल अजमेर के माध्यम से मंगवाये जाने हैं। चूंकि आज के इस आधुनिक दौर में सभी कार्मिकों को यह साधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। जैसे गिरदावरी करना, सीमांकन करना, अन्य ऐसे कई मामले हैं जो ऑन लाइन होने से उनकी वस्तु स्थिति का भी पता रहेगा और विभाग में कौन कर्मचारी-अधिकारी उस समस्या का निवारण करेगा, इसलिए आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में विभाग द्वारा प्रस्ताव लिया जायेगा और इसकी व्यवस्था करने का काम किया जायेगा।

Msk/Rtm/31.07.24/1120/ 1c

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रश्न 313 आराम से सुनें। आप को भी लाभ मिलेगा, राजस्थान को लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न नंबर भी 313 है। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

सीकर का नवीन मास्टर प्लान

313. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माह अप्रेल, 2023 में सीकर शहर के नवीन मास्टर प्लान 2041 बनाने के कार्य आदेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सीकर का ड्राफ्ट मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2041 को यूडीएच (शहरी विकास और आवास विभाग) ने 08 अक्टूबर, 2023 का अनुमोदित किया था, जिसकी अधिसूचना आपत्तियों एवं सुझावों के लिए प्रकाशित होनी थी जो आदिनांक तक नहीं हो पाई है? यदि हां, तो प्लान को कब तक प्रकाशित कर लागू कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सीकर का मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2041 में कुछ राजस्व ग्रामों को ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई किन्तु मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2041 की अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण उक्त ग्रामों में विकास कार्य करवाया जाना संभव है या नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) जी हां। सीकर शहर के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2041 बनाये जाने के संबंध में कार्यालय आयुक्त, नगर परिषद, सीकर के कार्यालय आदेश दिनांक 05.04.2023 (परिशिष्ट-1) द्वारा एमएनआईटी, जयपुर को कार्यादेश जारी किये गये हैं।

(2) जी नहीं। नगर विकास न्यास व नगर परिषद, सीकर द्वारा सीकर शहर के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2041 बनाये जाने के संबंध में प्रेषित प्रस्तावों को नगर नियोजन विभाग द्वारा दिनांक 06.10.2023 (परिशिष्ट-2) को अनुमोदन हेतु इस विभाग को प्रस्तुत किया गया था।

दिनांक 09.10.2023 को राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत प्रारूप मास्टर प्लान पर आमजन से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु अधिसूचना का प्रकाशन किया जाना था, परन्तु विधान सभा चुनाव 2023 के संबंध में दिनांक 09.10.2023 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 जारी किये जाने के संबंध में अधिसूचना प्रकाशन नहीं किया जा सका। प्रारूप मास्टर को पुन: प्रकाशित किये जाने के संबंध में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5(1) के अन्तर्गत

अधिसूचना जारी की जानी अपेक्षित है। वर्तमान में प्रारूप मास्टर प्लान का गुलाब कोठारी द्वारा याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के दृष्टिगत विधिक परीक्षण किया जा रहा है।

(3) जी हां। सीकर शहर के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2041 बनाये जाने हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2022 (परिशिष्ट-3) द्वारा 50 राजस्व ग्रामों को अधिसूचित करते हुए अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर को नियुक्त किया गया। वर्तमान में लागू मास्टर प्लान-2031 में अधिसूचित 38 राजस्व के अतिरिक्त मास्टर प्लान-2041 बनाये जाने हेतु 12 नवीन राजस्व ग्रामों में तकनीकी प्रकरणों का निस्तारण मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 06.07.2020 (परिशिष्ट-4) अनुसार किया जाना है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल इतना ही जानना चाह रहा हूं कि सीकर शहर के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान 2041 बनाये जाने का आदेश सरकार द्वारा 05.04.2023 को दिया गया। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि अधिकारियों ने मिलकर दिनांक 06.10.2023 को छह महीने में पूरा करके अनुमोदन के लिए सरकार को भिजवा दिया। सरकार ने अनुमोदन कर दिया और अनुमोदन करने के बाद 09 तारीख को अधिसूचना जारी कर दी गयी कि आप अख़बार में शाया कीजिये, आपत्ति और सुझाव मांगिये। वह अधिसूचना आपने मुझे परिशिष्ट में दी है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे केवल इतना ही जानना चाह रहा हूं कि आप भी सीकर से आते हैं, मैं भी सीकर से आता हूं। सीकर शहर के विकास का मामला है, मुझे इसमें कोई ज्यादा राजनीति की बात नहीं करनी है। लेकिन जो अधिसूचना है, 09.10.2023 की, क्या ये समस्त प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद में जारी की जाती हैं। अगर वे समस्त प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद में आपत्ति और सुझाव के लिए, आपने बाकायदा लिख दिया कि 09.10.2023 से 01.11.2023 तक एक माह के लिए आपत्ति और सुझाव मांगे जाते हैं। तो क्या यह अधिसूचना आज की तारीख में स्टैण्ड कर रही है या निरस्त हो गयी है। अगर स्टैण्ड कर रही हैं और आप अब जवाब दे रहे हैं कि गुलाब कोठारी का विधिक परीक्षण करायेंगे तो सर 10 महीने हो गये हैं। 10 महीने में इस विधिक परीक्षण के लिए सरकार ने किस तारीख को चिट्ठी लिखी और वह चिट्ठी कहां अटकी हुई है? आप तक क्यों नहीं आयी? इसका अगर जवाब दे देंगे तो मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): सीकर शहर का मास्टर प्लान 2041 बनने के बाद मेरे संज्ञान में 20 शिकायतें आयी हैं, जिसमें पुराने मास्टर प्लान और नये मास्टर प्लान में परिवर्तन हुआ है। अब मैं सदन को और विधायक महोदय को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आम व्यक्ति, आम काश्तकार के हितों की रक्षा करने के लिए हमने इसका

विधिक परीक्षण कराने के लिए रोका है। चूंकि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितने भू-करोबारी हैं, वे बहुत प्रभावशाली भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, राजनेता भी होंगे, जनप्रतिनिधि भी होंगे। उनका कहीं न कहीं असर इन 20 शिकायतें, जो मुझे प्राप्त हुई हैं। कहीं रास्तों की चौड़ाई कम की गयी है, कहीं गत मास्टर प्लान में जिस काम के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया गया था, उसको परिवर्तित किया गया है। इसमें मैं माननीय विधायक महोदय को और सदन को यह बताना चाहूंगा कि गुलाब कोठारी मामले में निर्णय का एक पैराग्राफ है, जो मैं पढ़कर बताता हूं। वैसे तो मेरे पास पूरे निर्णय की कॉपी भी है - "The open spaces, green spaces, common facilities, playgrounds, gardens, parks, recreational areas specified in the Master Development Plan or Zonal Development Plan shall be protected during the operative period of the Plans and even thereafter, while undertaking revision thereof or preparing a new Plan and the same shall not be diverted to the use other than those specified.", इसलिए आम जन के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आम गरीब, किसान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और भू-कारोबारियों का इसमें हित नहीं सधे, इसलिए हम इसका विधिक परीक्षण करायेंगे। मैं यह भी बता दूं कि हम 2024 में सारी आपत्तियां पूर्ण करके इस मास्टर प्लान को फाइनल करके लागू करवा देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही। सर, इसमें दो बातें आयी हैं। एक बात तो है कि गुलाब कोठारी जी के मामले में जो निर्णय है, उसकी पालना में ये विधिक परीक्षण करा रहे हैं। मैंने पूछा था कि कितनी तारीख को भेजा और किसके यहां भेजा, कितने दिन लगेंगे? एक मिनट मैं पूरी बात कर लूं। वह बात आयी नहीं। एक मैंने पूछा था कि यह अधिसूचना आज भी प्रभावी है या निरस्त कर दी गयी, लेकिन मंत्री जी, चूंकि सीकर जिले के हैं और आज राजस्थान के मंत्री हैं तो उनके पास कोई न कोई शिकायत आयी होगी।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितनी भी तमाम शिकायतें आयी हैं, आप उनकी जांच कराइये। इसका विधिक परीक्षण से कोई सवाल नहीं है। आपत्ति और सुझाव अगर आयेंगे तो आपके पास तमाम शिकायतें आयेंगी, उसका उत्तर आयेगा, जवाब भी आयेगा और उनके ऊपर कोई भी निर्णय लेने के लिए सरकार सक्षम है। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, विधिक परीक्षण में आपत्ति नहीं है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि 6 महीने में मास्टर प्लान बन गया और आपके श्रीमुख से एक बार नहीं, चार बार, सदन में और बाहर भी यह कहा गया कि मैं सीकर के अरबन एरिया को बढ़ाना चाहता हूं, जिससे वहां नगर निगम संचालित हो सके। मेरा इतना-सा सबमिशन है कि छह महीने में मास्टर प्लान बन गया और 10 महीने में विधिक परीक्षण। मंत्री महोदय, ये आपत्ति और सुझाव, अगर आप प्रकाशन करेंगे तो और ज्यादा आयेंगी। और ज्यादा आयेंगी तो आपको और ज्यादा सुविधा होगी, उन भू-माफियाओं को पकड़ने में। हम आपके साथ हैं, सब के सब। मेरा तो इतना ही है कि छह महीने में बन गया और 10 महीने में वह अधिसूचना जारी है, वह अख़बार में देनी है। आप पैरेलल भी दोनों काम कर सकते हैं, विधिक परीक्षण भी करें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं आपके माध्यम से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या यह संभव नहीं है कि आपत्तियां भी मांगी जायें और विधिक परीक्षण भी होता रहे। एक महीने के अन्दर आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपत्तियां मांग लें, अख़बार में शाया हो जाये, सुझाव आ जायें, आपके पास सारी चीजें जायेंगी और विधिक परीक्षण भी अगर एक महीने में हो जाये तो यह काम आगे बढ़ सकता है। आप सीकर जिले के हैं तो आपको सीकर जिले को तोहफा देने का यह उचित समय है। तो क्या आप करेंगे, ये दोनों साथ-साथ चलेंगे?

mdp/rtm/31.07.2024/11:30/1d

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मंत्री पूरे राजस्थान के हैं।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): बीस की बीस शिकायतें, गुलाब कोठारी निर्णय से प्रभावित वाली शिकायतें हैं। कुछ में गत मास्टर प्लान में 60 मीटर की जो रोड थी, उसको 30 मीटर प्रस्तावित कर दिया, कहीं आवासीय था उसको दूसरे में ले गये। इसका हम एक-डेढ़ महीने में परीक्षण करवाने के बाद, उसको प्रकाशित करके बाकी जो भी आपत्तियां आयेंगी, उसमें जो वास्तविक रूप से सही होगी, उनका निराकरण करते हुए, मैंने पहले भी निवेदन कर दिया 2024 में सीकर शहर का मास्टर प्लान लागू हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री लक्ष्मण राम।

नागौर में कृषि कनेक्शन से वंचित किसान

314. श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में कृषि कनेक्शन हेतु डिमाण्ड राशि का निर्धारण किन नियमों के तहत किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डिमाण्ड राशि जमा कराने के उपरान्त कितने समय में कनेक्शन जारी किया जाता है?

(3) जिला नागौर में कृषि कनेक्शन हेतु विगत तीन वर्ष पूर्व डिमाण्ड राशि जमा कराने वाले कितने किसान अब भी कनेक्शन से वंचित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदकों को कृषि नीति-2017 (संशोधित 31.01.2022) में वर्णित प्रावधान के अनुसार मांगपत्र जारी किया जाता है। प्रावधान की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) मांगपत्र जमा वाले आवेदकों का वरीयतानुसार कृषि कनेक्शन जारी किये जाते हैं।

(3) जिला नागौर में विगत तीन वर्षो (दिनांक 01.04.2021) से पूर्व कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु जमा मांगपत्र वाले सभी 166 आवेदकों के विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उत्तर आ गया है। मेरा पूरक प्रश्न है कि क्या यह भी सही है कि सरकार सभी आवेदकों को समान डिमांड राशि और समान सब्सिडी पर कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन्होंने नागौर जिले में जो कृषि कनेक्शन लंबित हैं और जिनके डिमांड जमा हैं, उनको कृषि कनेक्शन जारी करने के बारे में जो पूछा है, तो नागौर जिले में कुल 549 कृषि कनेक्शन जिनके डिमांड जमा हैं, वह लंबित हैं। आपके मेड़ता विधान सभा में भी कुल 46 कनेक्शन लंबित हैं। हम इनको 2024 के अन्दर-अन्दर इनकी जो भी लाइनें हैं, ट्रांसफार्मर हैं, वे वरीयता के आधार पर जारी करके, यह सतत प्रक्रिया है। इनको 2024 में जारी करके लाभ देने का हमारा फाइनल प्लान है।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल, क्या यह सही है कि सरकार बूंद-बूंद कनेक्शनों को तीन वर्ष के बजाय एक वर्ष उपरांत भी सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष जी, बूंद-बूंद सिंचाई के लिए जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, तीन वर्ष की उनकी अवधि होती है, वह कनेक्शन मिलने के बाद तीन वर्ष की अवधि तक उस पर जो टैरिफ होती है, वह बूंद-बूंद कृषि सिंचाई की ली जाती है। उसके बाद वह सामान्य श्रेणी में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जब्बर सिंह। माननीय, प्रश्न नागौर का है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान का ही है। आप जो कनेक्शन देने की बात कह रहे हैं, तो क्या आपके पास बिजली की उपलब्धता है या नहीं है? जो नये कनेक्शन आप जारी करेंगे, महाराज जी, लाइट नहीं आ रही है अभी। नये कनेक्शन देने की आप बात कर रहे हैं तो उसकी बिजली की व्यवस्था है या नहीं है या ऐसे ही चलेगी। यह पूछना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, देखिए नये कनेक्शन हम वरीयता के आधार पर जारी कर रहे हैं। ये कनेक्शन वास्तव में हर वर्ष जारी होने चाहिए थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने एक साथ जारी कर दिये। काफी अधिक कनेक्शन अभी-भी पेंडिंग हैं। उनके लिए हम सामान है, मेटेरियल है, जो भी आवश्यकता है, वह प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए जो लाइट है, वह भी आपके समय व्यवस्था नहीं हो पाई, परंतु हम उनको भी लाइट देने के लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, सोलर की

व्यवस्था कर रहे हैं। हमने लगभग 4 हजार मेगावाट के सोलर के आर्डर जारी कर दिए हैं। हम आगे प्रयासरत हैं। वह सोलर हम दिन में लाकर के किसानों को जो अभी प्रकिया है, उसमें नये कनेक्शनों को भी जोड़ेंगे। उसके लिए हम तैयारी में है और पूरी कोशिश है कि इसी कार्यकाल में हम सारे कनेक्शनों को दिन में लाएंगे, दो साल के अन्दर-अन्दर, उन कृषि कनेक्शनों को हम दिन में चलाएंगे ताकि रात में चलाने से जो समस्या हो रही है, वह भी नहीं आए। यह सरकार का उद्देश्य है, जो हमने घोषणा की है, उसको पूरी करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह सांखला।

गुलाबपुरा (आसीन्द) में रोडवेज बसों का ठहराव

315. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में चित्तौड़गढ़ से ब्यावर वाया आसीन्द बस संचालित थी? यदि हां, तो उक्त बस का संचालन बन्द करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की नगरपालिका गुलाबपुरा के बस स्टेण्ड पर लम्बी दूरी की बसों का ठहराव नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) जी हां। पूर्व में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा चित्तौडगढ से ब्यावर वाया आसीन्द होकर 01 बस का संचालन सितम्बर, 2021 से दिसम्बर 2021 तक किया गया था। संचालन अवधि में कम आय एवं कम यात्रीभार प्राप्त होने के कारण जनवरी, 2022 में इस सेवा को बंद कर दिया गया।

(2) जी हां। नगरपालिका गुलाबपुरा का बस स्टैण्ड नगरपालिका के स्वामित्व का है। यह बस स्टैण्ड मुख्य सड़क मार्ग से लगभग 3 कि.मी. अन्दर स्थित होने के कारण यात्रियों को असुविधा होती है। अतः निगम की लम्बी दूरी की बसों का नगरपालिका गुलाबपुरा के स्टैण्ड पर ठहराव नहीं है।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है। पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: चलिए पूछिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा खण्ड 1 में चित्तौड़ से ब्यावर बस बंद होने का जो कारण बताया है, वह यात्रीभार में गिरावट। मेरा ऐसा मानना है कि ब्यावर से चित्तौड़-बदनोर- आसींद होकर बसें चलती हैं। पूरा एरिया मगरे का है। मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप थोड़ा इसकी मॉनिटरिंग कराएं। ये जो कारण हैं, वह जिला परिवहन अधिकारी जी की अनदेखी और रोडवेज अधिकारी जी की अनदेखी के कारण यह जवाब आया है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): मेरा प्रश्न यह है कि ब्यावर से चित्तौड़, जो बस आपने

बंद की है वह और एक बस बदनोर से कोटा चलती थी, उसको अभी 4 महीने पहले बंद किया है, उन बसों को आप चालू करने की मंशा रखते हैं क्या? मेरा एक प्रश्न।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब से आयी है और माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह हमारे बेड़े में जो बसों की दिनोंदिन घोषणाएं हो रही हैं। 510 बसें आने वाली हैं और 01 हजार और आने वाली हैं। निश्चित रूप से अगर आप चाहते हैं और यात्रीभार है, तो आप कहेंगे उतनी बसें लग जाएगी, बसों की कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये ताली महंगी पड़ जायेगी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): आप यात्रीभार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कोई सीकर से भी हो तो पूछ लेना।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने गुलाबपुरा शहर में जो बसों का कारण बताया है, वह आपने अपने जवाब में लिखा भी है कि हाईवे रोड से बस स्टैण्ड की दूरी तीन किलोमीटर है, इससे यात्रियों को असुविधा होती है। मेरा निवेदन है कि गुलाबपुरा शहर बहुत बड़ा शहर है। वहां हिंदुस्तान जिंक का बहुत बड़ा प्लांट है और मयूर मिल भी वहां है। लोगों का वहां परेशानी होती है। लंबी दूरी की कुछ बसें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): प्रश्न यही है कि लंबी दूरी की कुछ बसों को आप गुलाबपुरा शहर में ले जाने की मंशा रखते हैं क्या?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वह बस स्टैण्ड नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में है। वहां पर जो दूरी है, वह तीन किलोमीटर अन्दर है। इसलिए हम कोशिश करेंगे, हो सकता है कि वहां की लोकल बसें हों।

श्री अध्यक्ष: इधर जवाब दीजिए। आप उधर ध्यान मत दीजिए। इधर जवाब दीजिए। उधर मत देखिए आप।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): इनकी समस्या का समाधान कीजिए आप।

श्री अध्यक्ष: वह यहीं से होगी। अगला प्रश्न। डॉक्टर सुभाष गर्ग।

भरतपुर में खेलों से सम्बन्धित घोषणाओं की क्रियान्विति

316. डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में विगत चार वर्षों में सरकार द्वारा खेलों से संबंधित क्या-क्या घोषणाएं की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त बजट घोषणाओं को पूरा कर दिया गया हैं? यदि हां, तो किस किसको व कब-कब तथा नहीं, तो क्यों? सरकार द्वारा उक्त घोषणाओं को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

युवा मामले एवं खेल मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) विधानसभा क्षेत्र भरतपुर में

विगत चार वर्षो में विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	घोषणा वर्ष	बिन्दु संख्या	घोषणा का संक्षिप्त विवरण
1.	2020-21	विधान सभा क्षेत्र भरतपुर हेतु कोई घोषणा नहीं है।	
2.	2021-22	बिन्दु संख्या-61 (3)	भरतपुर संभाग मुख्यालय पर खेलों हेतु मल्टीपरपज इन्डोर हॉल
3.	2022-23	बिन्दु संख्या-38(1)	भरतपुर में कुश्ती अकादमी के निर्माण।
4.		संशोधित बिन्दु संख्या-28(ii)	संभागीय मुख्यालय (भरतपुर) पर State of the Art Gym & fitness Centre भवन निर्माण कार्य
5.	2023-24	बिन्दु संख्या-44	संभाग (भरतपुर) में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल भवन निर्माण।
6.		बिन्दु संख्या-46(II)	भरतपुर में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स भवन निर्माण।
7.		बिन्दु संख्या-46(V)	भरतपुर में सिन्थेटिक एथलेटिक्स ट्रेक का निर्माण कार्य
8.		बिन्दु संख्या-14	विवेकानन्द यूथ हॉस्टल, भरतपुर

(2) विधानसभा क्षेत्र भरतपुर में विगत चार वर्षो में विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं के अधीन निर्मित/निर्माणाधीन परियोजनाओं की कार्य प्रगति/पूर्णता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	घोषणा वर्ष	बिन्दु संख्या	घोषणा का संक्षिप्त विवरण	विवरण
1.	2020-21	विधान सभा क्षेत्र भरतपुर हेतु कोई घोषणा नहीं है।		-
2.	2021-22	बिन्दु संख्या-61 (3)	भरतपुर संभाग मुख्यालय पर खेलों हेतु मल्टीपरपज इन्डोर हॉल	निर्माण कार्य 01.07.2024 को ऐजेन्सी आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा पूर्ण।
3.	2022-23	बिन्दु संख्या-38(1)	भरतपुर में कुश्ती अकादमी के निर्माण।	निर्माण कार्य 31.12.2023 को एजेंसी रूडसिको द्वारा पूर्ण।
4.		संशोधित बिन्दु	संभागीय मुख्यालय (भरतपुर) पर State of	कार्य प्रगतिरत, एजेंसी आर.एस.आर. डी.सी.द्वारा

		संख्या-28(ii)	the Art Gym & fitness Centre भवन निर्माण कार्य	दिनांक 15.09.2024 तक पूर्ण करना संभावित है।
5.	2023-24	बिन्दु संख्या-44	संभाग (भरतपुर) में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल भवन निर्माण।	कार्य प्रगतिरत, एजेंसी आर.एस.आर. डी.सी. द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पूर्ण करना संभावित है।
6.		बिन्दु संख्या-46(II)	भरतपुर में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स भवन निर्माण।	एजेंसी आर. एस.आर.डी.सी. द्वारा निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। निर्माण कार्य 31.07.2025 तक पूर्ण करना संभावित है।
7.		बिन्दु संख्या-46(V)	भरतपुर में सिन्थेटिक एथलेटिक्स ट्रेक का निर्माण कार्य	कार्य प्रगतिरत, राजस्थान राज्य क्रीडां परिषद द्वारा दिनाक 15.09 2024 तक पूर्ण करना संभावित है।
8.		बिन्दु संख्या-14	विवेकानन्द यूथ हॉस्टल, भरतपुर	कार्य प्रगतिरत, एजेंसी आर एस.आर डी सी द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण करना संभावित है।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने खण्ड 2 के सेकेण्ड पार्ट में दिया है कि भरतपुर संभाग मुख्यालय पर खेलों हेतु मल्टीपरपज इन्डोर हॉल, जिसमें कहा है कि निर्माण कार्य 01/07/24 को एजेंसी आरएसआरडीसी द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। मेरा आपसे कहना है कि यह पूर्णतया गलत है। जिस भी अधिकारी ने आपको यह गलत उत्तर दिया है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं क्या? उसके बाद मैं सप्लीमेंट्री पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: यह भी एक सप्लीमेंट्री है, एक और पूछेंगे। माननीय मंत्री जी।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): मैं तो गलत का पूछ रहा हूं, साहब। गलत जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष: सप्लीमेंट्री में ही आता है यह। दो सप्लीमेंट्री मिलेंगे। एक ये हो गया, एक दूसरा।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): इसी में जोड़ देता हूं। फिर एक का नुकसान।

श्री अध्यक्ष: पूछिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): दूसरा, यह है कि इसी के आगे मैं पूछ रहा हूं कि

मल्टीपरपज इन्डोर हॉल का निर्माण कार्य, जैसा कि आपने बताया पूर्ण हो चुका है। मेरी जो जानकारी है, केवल दो ब्लॉक का निर्माण हुआ है और दो ब्लॉक अभी निर्माणाधीन है। इसमें मैं पूछना चाहता हूं इसी के तहत क्या सरकार भरतपुर में स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने का विचार रखती है? क्योंकि आप कह तो रहे हैं, लेकिन मेरे को जानकारी अलग है तो मैं पूछना चाहता हूं कि स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने का विचार रखती है? क्या इसके स्कोप में कोई परिवर्तन किया गया है? पहला तो सप्लीमेंट्री ये है, दोनों मिलाकर।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वैसे प्रश्न तो इन्होंने तीन पूछ लिए हैं, लेकिन अंत में इन्होंने कहा कि ये पहला प्रश्न है। चलिए कोई बात नहीं।

सबसे पहला कि जवाब गलत है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि दो बजट घोषणाएं हुईं। पहली थी 2021-22 और उसके बाद थी 2023-24 में। 2023-24 के अन्दर भी मल्टीपरपज इन्डोर हॉल के अन्दर भवन निर्माण था और 2021-22 के अन्दर भी भवन निर्माण था। 2021-22 के अन्दर तकरीबन 8 करोड़ रुपये दिये गये, उससे दो ब्लॉक मल्टीपरपज हॉल और दो ब्लॉक का निर्माण हो गया है। ये ही उत्तर में दिया है।

इसके बाद 2023-24 के अन्दर जो और बजट आया, वह तकरीबन 7 करोड़ का आया। वह कार्य दो ब्लॉक का अभी चल रहा है।

Ans/rtm 11.40 1e 31.07.2024

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली चीज तो यह है कि 2023-24 में इन्डोर स्टेडियम के भवन निर्माण के लिए कोई घोषणा नहीं है, वह भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स भवन निर्माण के लिए हैं। माननीय मंत्री महोदय को अधिकारी फिर गुमराह कर रहे हैं। मेरा यह आग्रह है कि इसको संज्ञान में लिया जाए।

दूसरा, भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स की बात कही गई थी, उसके लिए मैंने आपसे पूछा, क्या उसका निर्माण होगा या नहीं होगा, या उसके स्कोप में कोई परिवर्तन किया गया, मैं यह पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। फिर, मैंने दो बार कहा है, प्रश्न काल में कोई अपनी सीट से नहीं हिलेगा। इधर और उधर, दोनों जगह कितनी बार कहूं?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि वहां स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स होगा या नहीं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 2013-24 के अन्दर यह घोषणा थी और इसका कार्य तकरीबन अगले साल के मध्य तक पूर्ण हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर में अमृत योजना के तहत स्वीकृत कार्य

317.श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अमृत योजना प्रथम व द्वितीय कब से लागू की गई तथा अब तक किन-किन शहरों को इस योजना के तहत कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत प्राप्त राशि से अजमेर शहर हेतु कब-कब कौन-कौन से कार्यों के कार्यादेश जारी किये गये तथा उक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य कब-कब पूर्ण हुए तथा उन पर और कितनी राशि व्यय की जानी शेष है? उक्त कार्य कब तक पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत कुछ कार्य निर्धारित तिथि उपरान्त भी अपूर्ण हैं? यदि हां तो उसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उनके विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): अध्यक्ष महोदय, (1) भारत सरकार द्वारा दिनांक 25.06.2015 को अमृत योजना प्रथम की शुरूआत की गई है। प्रदेश में अमृत योजना प्रथम के अंतर्गत 23 शहरों/क़स्बों की जलापूर्ति योजनाओं की राशि रुपये 1007.36 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की एपेक्स कमेटी द्वारा दिनांक 18.11.2016 को जारी की गई। शहरवार स्वीकृत योजनाओं की सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.10.2021 को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) योजना की शुरूआत की गई है, इस योजना के अंतर्गत 178 शहरों/कस्बों की जलापूर्ति योजनाओं की राशि रुपये 4769.84 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 06.02.2023 एवं 5 शहरों/क़स्बों की जलापूर्ति योजनाओं की राशि रुपये 353.22 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 17.05.2023 को जारी की गई, अर्थात् 183 शहरों/कस्बों के लिये कुल राशि रुपये 5123.06 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई। शहरवार स्वीकृत योजनाओं की सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(2) अमृत योजना प्रथम के अंतर्गत अजमेर शहर के लिए पेयजल वितरण प्रणाली में संवर्धन की योजना राशि रुपये 29.98 करोड़ की डी.पी.आर. की स्वीकृति रूडसिकों की राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 30.03.2017 को जारी की गईं। अमृत योजना प्रथम एवं स्मार्ट सिटी योजना के कार्यों का समेकित कार्यादेश दिनांक 09.05.2018 को राशि रुपये 103.09 करोड़ का जारी किया गया। अमृत योजना प्रथम के समस्त कार्य दिनांक 24.04.2022 को पूर्ण कर राशि रुपये 28.01 करोड़ का व्यय किया गया एवं कोई राशि शेष नहीं है। कार्यवार विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पहले प्रश्न पूरा कर लो, फिर बताना पूछें तो।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इसी में...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, पहले इसको पूरा पढ़ लीजिए।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अमृत-टू योजना के अंतर्गत अजमेर शहर की पेयजल योजना की स्वीकृति दिनांक 06.02.2023 को राशि रुपये 186.17 करोड़ की जारी की गई।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नो। कितनी बार कह दिया, असर नहीं हो रहा।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है जिसे अगस्त, 2024 तक बनाकर तकनीकी स्वीकृति उपरांत निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करना प्रस्तावित है। उक्त कार्य दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण करना लक्षित है।

(3) अमृत योजना प्रथम के अंतर्गत 23 शहरों/कस्बों में से 19 के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। शेष 4 शहरों यथा धौलपुर, हिण्डौन सिटी, झालावाड़ और बारां के कार्य अपूर्ण है। कार्यों के पूर्ण होने में देरी का कारण मुख्यतः संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य करना रहा है, जिसके कारण संवेदकों के विरूद्ध शास्ति आरोपित की गई है जिसका विवरण परिशिष्ट द पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि 18.11.2026 को 23 शहरों के लिए 1007.36 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। अभी तक भी 4 शहर, धौलपुर, हिण्डौन, झालावाड़ और बारां के लगभग 215 करोड़ रुपये के काम पूरे नहीं हुए हैं। 2016 से अब 2024 चल रहा है। अब 2024 में आपका 2nd फेज आ गया। वह 06.02.2023 को स्वीकृत हुआ। उसको स्वीकृत हुए एक साल हो गया, उसके बावजूद भी अभी तक उसकी डीपीआर नहीं बन रही।

श्री अध्यक्ष: इधर पूछें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):अध्यक्ष महोदय, आपको ही संबोधित कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष: उधर मंत्री जी की ओर नहीं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं तो सामने ही देखूंगी ना। सामने ही देख रही हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी की ओर नहीं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मंत्री जी की तो पीठ है, इसलिए मंत्री जी मेरी तरफ नहीं देख रहे। आपको ही देख रही हूं।

मेरा निवेदन है कि इसमें अजमेर शहर की बात है, मंत्री महोदय यह जो फर्म है, जिन्होंने चार ज़िलों के 15 करोड़ रुपये के काम नहीं किए हैं, पहली बात तो अमृत-2 में इनको काम ना मिले और यह ब्लैक लिस्टेड हो ताकि हम जैसे लोग परेशान ना हो, पहली तो यह व्यवस्था करेंगे क्या?

इसी के अन्दर मेरा प्रश्न है कि अमृत-2 में अजमेर शहर के लिए 186 करोड़ रुपये हैं, उस 186 में से अजमेर दक्षिण के लिए कितना है। खण्ड-दो में आपने जवाब दिया कि

29.98 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी के साथ समेकित करते हुए 103.09 करोड़ रुपये के काम हुए। आपने अमृत-1 के कामों की सूची तो दे दी, लेकिन जिस स्मार्ट सिटी का उल्लेख किया है, उस स्मार्ट सिटी के कामों की सूची नहीं दी, क्या यह भी उपलब्ध करा देंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। ...(व्यवधान)...भई, अजमेर शहर का प्रश्न है।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है साल भर पहले अमृत-2 योजना के लिए 186 शहरों के लिए योजना थी, उसकी डी.पी.आर बनने में देरी हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यह योजना शहरों में पेयजल के लिए पेयजल विभाग को पहले मिली थी, बाद में तत्कालीन सरकार ने इन योजनओं को स्वायत्त शासन विभाग के पास ले ली। उनको लेने के बाद डी.पी.आर बनाने की फर्म थी उसने वहां बैठे-बैठे ही डी.पी.आर बना दी, ना मौके पर गए। जो भी पुरानी योजना चल रही थी, कहीं पर पाइप लाइन डैमेज थी, कहीं गंदा पानी मिल रहा था, डिमाण्ड के अनुसार उनको पाइप लाइनें बदलनी थी, वह नहीं करके, बार-बार कॉलोनियां बनी उसके हिसाब से उन्होंने बैठे-बैठे योजना बनाकर इसका कर दिया।

हमारी सरकार आने के बाद हमने सबको हमारे पास लिया। यह फरवरी के एंड में हमारे पास ली। जब हमने मौक़े पर जाकर इनकी डी.पी.आर चेक कराई, तो पता लगा कि जरूरत तो इस काम की है और उन्होंने दूसरी ले रखी है, तो उसकी डिटेल बनाने के लिए हमने वापस उस फर्म को वापस हमारे इंजिनियर्स के साथ। जो भी प्रोबलम होती है वहां के लाइन मैन को पता रहती है या जेईएन को पता रहती है। मोहल्ले के जो भी जन प्रतिनिधि, पार्षद को पता था कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या कारण है। उनसे पूछकर, उसमे संशोधन करके, 186 में से लगभग 30 डी.पी.आर कम्पलीट हैं, उनके टेंडर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास 15 अगस्त तक सारी डी.पी.आर आ जाएगी, सबके टेंडर लगा देंगे।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि अजमेर दक्षिण का क्या है। 186 करोड़ की अमृत-2 योजना जो अजमेर के लिए बनी, उसमें 86 करोड़ की योजना दक्षिण की है, इसमें से हमें क्या-क्या काम करने हैं वह भी बता दूं। चार जगह उक्त जलाशय का कार्य एम.डी. कॉलोनी, कल्याणपुरा, एच.एम.टी. और फरिदाबाद,

श्री अध्यक्ष: जो उत्तर दे रखा है उसको मत बोलना।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): तीन जगह स्वच्छ जलाशय का कार्य, शक्ति नगर, प्रोफेसर कॉलोनी और मोकुमपुरा रीको। दो जगह पम्प हाउस का कार्य, प्रोफेसर कॉलोनी और मोकुमपुरा रीको। विराट नगर पम्प हाउस की क्षमता बढ़ाने का कार्य अलवर गेट, प्रोफेसर कॉलोनी, आदर्श नगर, बालुपुरा, सुभाष नगर, अजय नगर। उच्च जलाशय की सप्लाई, जो उनकी सभी ए.सी. व पी.वी.सी. पाइप लाइनों को बदलकर आगामी तीस वर्ष की डिमांड के अनुसार पेयजल वितरण प्रणाली के एक्युवेशन का कार्य 700 एमएम की ग्रेविटी सप्लाई की...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। अगला प्रश्न। और पूछना है?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सभी ए.सी., पी.वी.सी. पाइप लाइनों को बदलकर आगामी तीस वर्ष की डिमांड के अनुसार पेयजल वितरण प्रणाली के...

श्री अध्यक्ष: पूरक पूछना है?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाहती हूं कि अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, अजमेर शहर की पानी समस्या है और बहुत ज्यादा समस्या है। अमृत-टू में 186 करोड़ रुपये के काम करा रहे हैं, मैं अजमेर उत्तर दक्षिण नहीं करती हूं, अजमेर शहर की पानी की समस्या है, उसका समाधान हो जाएगा क्या, आप तो यह बता दो।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि अभी हमारी सरकार ने, अजमेर के लिए जो पहले योजना आ रही थी, वह योजना 2021 तक माननीय सांवरलाल जी के द्वारा बनाई गई थी। वह भी हमारी सरकार द्वारा ही बनाई गई थी। अब हमने 2053 के आधार पर अजमेर शहर को रेगूलर पानी मिले, इसके लिए हमने अभी इस बजट में 265 करोड़ रुपये का इंटेक पम्प हाउस व फिल्टर प्लांट के लिए सैंक्शन किया है। बाकी अजमेर के उत्तर व दक्षिण के हिसाब से, दोनों के लिए बराबर-बराबर पानी मिले, पूरा पानी मिले, इसके लिए भी हमने 270 करोड़ रुपये सैंक्शन किए हैं। आने वाले दो साल में आपको...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद।

VPS-RTM-31.07.2024-11.50-1f

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, अजमेर शहर का मुद्दा है, अभी तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच दिन में पानी आ रहा है तो आप इस समस्या का जल्दी ही समाधान करेंगे तो अजमेर की जनता आपको याद करेगी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब से हमारी यह सरकार आयी है, उसी सिस्टम को, जो पहले 72 घंटे में पानी जाता था, उसको हमने 48 घंटे में आपके सामने देखा और हमने चालू किया।

श्री अध्यक्ष: ये पम्प भी खराब हो रहे हैं और पाइप लाइन भी रोज टूट रही है तो इसका जल्दी ही समाधान करायें।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): बहुत ही हम प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चलिये, अगला प्रश्न। श्री संजीव कुमार।

सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना में हरियाणा से प्राप्त पानी

318. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना में वर्तमान में हरियाणा से निर्धारित पानी किन कारणों से नहीं मिल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सिंचाई परियोजना में हरियाणा से कितनी मात्रा में पानी दिया जाना निर्धारित

है और वर्तमान में एक बार के रेगुलेशन में कितना क्यूसेक पानी दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सिंचाई परियोजना में सिंचाई हेतु हरियाणा से पूरा पानी लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) जी हां। यह सही है कि सिद्वमुख नहर सिंचाई परियोजना को पूरा पानी नही मिल रहा है जिसके निम्न कारण हैः-

(अ) सिद्वमुख नोहर सिंचाई परियोजना को 0.17 एमएएफ पानी नही मिलनाः- दिनांक 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मध्य हुए समझौते की पालना में सचिव, सिंचाई मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 15.01.1982 के तहत सिद्वमुख नहर सिचांई परियोजना के लिए भाखड़ा मेन लाईन के माध्यम से 0.47 एमएएफ पानी आवंटित है। वर्तमान में इस परियोजना को 0.30 एमएएफ पानी उपलब्ध हो रहा है। शेष 0.17 एमएएफ पानी हरियाणा के विरोध के कारण भाखड़ा मेन लाईन के माध्यम से डाईवर्ट नही हो सका। चूंकि सिद्वमुख नोहर परियोजना को आवंटित पानी के अनुसार पूरा पानी नहीं मिल रहा है, इस कारण सिद्वमुख नहर परियोजना को भी समानुपातिक रूप से कम पानी मिल रहा है।

(ब) तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित शेयर के अनुसार पानी प्राप्त नहीं होनाः-हरियाणा को पंजाब से भाखड़ा मेन लाईन की आरडी 390 पर निर्धारित मांग से कम पानी प्राप्त होने की स्थिति में हरियाणा द्वारा पानी की कमी राजस्थान के शेयर में से कम कर दी जाती है। जिससे राजस्थान को तकनीकी समिति में निर्धारित शेयर से कम पानी प्राप्त होता है।

(2) सिद्धमुख सिंचाई परियोजना हेतु हरियाणा के माध्यम से सम्पर्क बिन्दु संख्या 5 पर अधिकतम क्षमता 564 क्यूसेक की निर्धारित है। वर्तमान में एक बार के रेगूलेशन में सिद्वमुख सिंचाई परियोजना हेतु 450 क्यूसेक पानी निर्धारित है। इस मांग के विरूद्ध वर्तमान में फिलिंग अवधि 2024 (21 मई से 20 जुलाई तक) के दौरान सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में दिये गये पानी का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

सिद्वमुख-नोहर परियोजना को वर्ष 2002 में पानी दिया जाना प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 2002 से लेकर अब तक सिद्वमुख परियोजना को दिये गये पानी का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) जी हां,सरकार क्षेत्र के किसानों की सिंचाई के पानी की मांग को देखते हुए सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में हरियाणा से पूरा पानी लेने का विचार रखती है।

राजस्थान द्वारा भाखड़ा मेन लाईन के माध्यम से 0.17 एमएएफ पानी उपलब्ध करवाये जाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मूलवाद (संख्या 1/2011) दायर किया गया है, जो विचाराधीन है ।

तकनीकी समिति में निर्धारित शेयर से राजस्थान की सीमा पर प्राप्त पानी में कमी होने पर हरियाणा के अधिकारियों से तत्काल वार्ता कर स्थिति पर नियन्त्रण करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर हरियाणा के अधिकारियों से पत्राचार द्वारा

शेयर के अनुसार पानी सुनिश्चत किये जाने हेतु आग्रह किया जाता है। इस संबंध में किये गये पत्राचार का विवरण परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है। भाखडा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तकनीकी समिति की बैठकों में इस मुद्दे को उठाकर पूरा पानी लेने का प्रयास किया जाता है।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं यदि आप इजाजत दें तो?

श्री अध्यक्ष: पूछिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया कि सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में हरियाणा से जो हमारा आवंटित पानी है वह 0.47 एम.ए.एफ. पानी है, इसके विपरीत हमें 0.30 एम.ए.एफ. पानी ही उपलब्ध हो रहा है यानी कि 0.17 एम.ए.एफ. पानी का मामला हमारा लंबित है, हरियाणा हमें यह पानी नहीं दे रहा है। इसके लिए जैसा कि इन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा): सर, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। यह वाद दायर किया था वर्ष 2011 में, इसको लगभग 13 साल हो गये, 13 साल से यह लंबित है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में इस वाद की क्या स्थिति है और क्या राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसकी मजबूती से पैरवी करने के लिए क्योंकि हरियाणा ने तो बड़े-बड़े वकील खड़े कर रखे हैं तो आप भी क्या कोई ख्याति प्राप्त अधिवक्ताओं को इसके लिए नियुक्त करके आप मजबूती से पैरवी करवाकर क्या जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाने का प्रयास करेंगे? यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के लिए शेष रहा 0.17 एम.ए.एफ. पानी लेने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2011 में मूल वाद संख्या 1/2011 दायर किया गया। वाद में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के द्वारा वर्ष 2019-20 में एफिडेविट प्रस्तुत कर दिये गये हैं। श्री ए.के.गुप्ता, सेवानिवृत्त पदेन शासन सचिव, इंदिरा गांधी नहर विभाग, अध्यक्ष व प्रशासक, इंदिरा गांधी नहर मंडल व मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार की तरफ से गवाह हैं। यह वाद मूल वाद 2/2011 हरिके हैड फिरोजपुर व रोपड हैड वर्क्स के बी.वी.एम.वी. को हस्तांतरण के साथ लिंक किया हुआ है। वर्तमान में वाद संख्या 2/2011 में पंजाब, राजस्थान जल संसाधन ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: वे तो केवल यही पूछ रहे हैं कि क्या आप अच्छे वकील खड़े करोगे या नहीं।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार पूरा

बता दूं। इसमें गवाहों का परीक्षण हो चुका है। ऊर्जा मंत्रालय के ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप तो एक लाइन में बता दो कि आप बड़े वकील खड़े करोगे या नहीं।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूरा पूछा है।

श्री अध्यक्षः पूरा नहीं, इन्होंने इतना ही पूछा है। आप शॉर्ट में जवाब दे दो।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): चलिये, शॉर्ट में ही बता देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वाद में राज्य की तरफ से वर्तमान में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री शिवमंगल शर्मा एवं सुश्री निधि जसवाल, एडवोकेट ऑन रिकार्ड एवं उसके पैनल द्वारा पैरवी की जा रही है। प्रकरण में विशेष पैरवी हेतु श्री विक्रमजीत बैनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम विचाराधीन है। राज्य सरकार सिद्धमुख नहर परियोजना के हिस्से का 0.17 एम.ए.एफ. पानी लेने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राजस्थान का पक्ष पुरजोर तरीके से रखने के लिए योग्य अधिवक्ताओं की सेवा सुनिश्चित रूप से लेगी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में भादरा एवं नोहर विधान सभा क्षेत्र में सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना, अमरसिंह सब ब्रांच और नोहर फीडर इनको बी.वी.एम.बी. में जो निर्धारित शेयर है, उसके मुताबिक भी पानी नहीं मिल रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप तो प्रश्न पूछिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा): नहीं, यह इसी में है साहब, सिंचाई विभाग द्वारा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः तो आप फटाफट प्रश्न पूछिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा): सिंचाई विभाग द्वारा पिछले सालों से 450 क्यूसेक का इंडेंट भेजा जाता है और इसके विपरीत जो औसतन पानी मिल रहा है पिछले सालों में चाहे वह अमरसिंह ब्रांच हो या चाहे सिद्धमुख हो 350 क्यूसेक के ऊपर नहीं मिला है तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस पानी को लेने के लिए क्या प्रयास किये गये और भविष्य में क्योंकि यह उत्तर में बताया है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा): उत्तर में यह बताया कि ये पत्राचार करते हैं, अधिकारी वार्ता करते हैं तो अधिकारियों की बात नहीं सुनी जाती है तो मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के स्तर पर, माननीय मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर या मंत्रीजी के स्तर पर वार्ता करके हरियाणा से क्या इस इलाके को पूरा पानी दिलवाने का कोई विचार रखते हो? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्षः हां या ना में उत्तर दे दो आप तो।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम

से माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं स्वयं जाऊंगा और वार्ता करूंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। अगला प्रश्न। श्री उमेश मीणा।

जनजाति सलाहकार परिषद का पुनर्गठन

319. श्री उमेश मीणा (आसपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनजाति सलाहकार परिषद का वर्ष 2019 से अब तक कितनी बार पुनर्गठन किया गया तथा वर्तमान में उक्त परिषद में कितने सदस्य नियुक्त किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? 2019 से अब तक बैठकें कब-कब हुई तथा प्रति बैठक में कितने सदस्य उपस्थित रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परिषद की बैठकों में वर्ष 2019 से अब तक कितने प्रस्ताव अनुमोदन किये? योजनावार व राशिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रस्तावों में से कितने प्रस्ताव राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को भेजे गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) जनजाति सलाहकार परिषद का वर्ष 2019 से अब तक चार बार पुर्नगठन किया गया तथा वर्तमान में जनजाति सलाहकार परिषद में नियुक्त सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक सामान्यतया: प्रत्येक त्रैमास में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित दिनांक, समय एवं स्थान पर आयोजित किये जाने का प्रावधान है। 2019 से अब तक एक बैठक दिनांक 09.02.2021 को आयोजित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं बैठक का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) 2019 से अब तक एक बैठक दिनांक 09.02.2021 को आयोजित की गई है। जिसमें ग्यारह (11) प्रस्ताव अनुमोदन किये गये। बैठक में लिए गये प्रस्ताव की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) 2019 से अब तक आयोजित बैठक दिनांक 09.02.2021 में ग्यारह (11) प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। शासन सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन जयपुर एवं प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान जयपुर को उक्त प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए कार्यवाही विवरण भिजवाया गया।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास आधा-अधूरा जवाब आ गया है, आपकी अनुमति हो तो मैं पूछूं।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्र की विभिन्न

समस्याओं के समाधान करने के लिए टी.ए.सी. का गठन किया गया है और टी.ए.सी. की बैठक तीन माह में करने का प्रावधान है और इस राजस्थान के अन्दर पांच साल में एक बार बैठक होती है। वह बैठक 09 फरवरी, 2021 को हुई थी और उसमें ग्यारह प्रस्ताव लिये गये थे। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जो ग्यारह प्रस्तावों में पाइंट नम्बर 2 और 11 का आप जवाब देना और दूसरा मेरा यह पूछना है कि क्या आप टी.ए.सी. की बैठक प्रत्येक तीन माह में करने के लिए सदन को आश्वस्त करते हो या नहीं? नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को प्रश्न करना था लेकिन ये पूरा उत्तर ही देने लग गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2019 से 2023 तक सरकार किनकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। सरकार कांग्रेस की थी लेकिन माननीय सदस्य आते हैं बी.ए.पी. से और उस समय इनके ही माननीय सदस्य बी.टी.पी. से थे, वे सरकार के साथ थे, उस समिति में भी थे। ...(व्यवधान)...

श्री उमेश मीणा (आसपुर): माननीय मंत्री महोदय, मेरा सवाल यह है कि आप तीन माह के अन्दर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप नये आये हो। पहले आप पूरा उत्तर सुन लीजिए फिर आप पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): इनके जब माननीय सदस्य उसमें थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बैठे-बैठे जवाब क्यों दे रहे हैं? खड़े होकर क्यों नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष: वे खड़े हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): खड़े हैं तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष: उनका कद छोटा है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। इनका कद छोटा है, लाल बहादुर शास्त्रीजी का भी कद छोटा था। हां, आप तो बोलो। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भगवान वामन अवतार लिया था, यह आपको ध्यान होगा कि उन्होंने तीन कदम जमीन मांगी थी, उनका कद तो छोटा ही था तो उन्होंने कहा कि हां, दे देंगे तो फिर आगे क्या हुआ, वह पता कर लेना।

माननीय अध्यक्ष महोदय,.... हां, आप बोलो। ...(व्यवधान)...

श्री उमेश मीणा (आसपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा यह था कि ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जायेंगे तब आपको अनुमति होगी न। मैंने पूरक प्रश्न का नहीं कहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी पूछ रहे हैं। मंत्रीजी ही भूल गये क्वेश्चन क्या था? वे खुद ही पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वे भूले नहीं है। माननीय मंत्रीजी।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीन माह के अन्दर-अन्दर बैठक करने का तो क्या आप टी.ए.सी. की बैठक प्रत्येक तीन माह में करने के लिए सदन को आश्वस्त करते हो या नहीं?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बैठक पांच साल में एक की है।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): उन्होंने तो एक की है पर आप कितनी करोगे? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: फिर मैं आपका प्रश्न नहीं लगाऊंगा। बिना पूछे क्यों उठ रहे हो? आप उनको बताने दो न कि पांच साल में नहीं हुई, वे बताएंगे तो सही। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): क्या आप उत्तर सुनना नहीं चाहते हो?

श्री अध्यक्ष: आप इधर कहें।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल ही 6.00 बजे हमारी पहली बैठक हुई और हमने यह तय किया है कि प्रत्येक त्रैमासिक बैठक होगी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बात खतम।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न रह गया।

श्री अध्यक्ष: हां, अगला पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): क्या लोक सभा व राज्य सभा में पारित कोई कानून ऐसा है जो अनुसूचित क्षेत्रों के हित में नहीं है तो क्या मंत्री महोदय, टी.ए.सी. की बैठक बुलाकर उस कानून को अनुसूचित क्षेत्र में मॉडिफाइड करके, कुछ संशोधन करके लागू करने के लिए राज्य से कोई प्रस्ताव भेजेंगे? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह क्वेश्चन से जुड़ा हुआ नहीं है। यह अंकित नहीं होगा।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): 000

श्री अध्यक्ष: प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न, श्री छोटू सिंह। प्रपोजल अलग होगा, प्रश्न अलग होगा। आपका हो गया, आप बैठिये। ...(व्यवधान)...

जैसलमेर में आबादी भूमि आवंटन व सेट अपार्ट

320. श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) आबादी कटान/आबादी सेट अपार्ट/आबादी भूमि आवंटन में मूलभूत अंतर स्पष्ट करते हुए आबादी भूमि आवंटन/आबादी भूमि सेट अपार्ट के संबंध में दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में आबादी भूमि आवंटन/सेट अपार्ट की गई है? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों में कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): (1) आबादी भूमि सेट अपार्ट के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 में प्रावधान है कि राज्य सरकार के सामान्य आदेश के अधीन जिलाधीश किसी विशेष प्रयोजन के लिए जैसे पशुओं के लिए निःशुल्क चरागाह के लिए वन आरक्षण हेतु (Forest reserve) आबादी के विकास हेतु या किसी अन्य सार्वजनिक या स्थानीय निकाय के लिए भूमि अलग रख सकेगा और ऐसी भूमि ऐसे प्रयोजनों के अतिरिक्त बिना जिलाधीश से पूर्व अनुमति के अन्य प्रयोग में नहीं ली जाएगी।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102क में धारा 92 के अन्तर्गत आरक्षित भूमि को आबादी प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने के लिए संबंधित स्थानीय निकाय के अधीन किया जाता है।

आबादी कटान के संबंध में राजस्व नियमों में स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत आबादी प्रयोजनार्थ भूमि विभागीय परिपत्र प.2(379)राज/ग्रुप-3/81 दिनांक 01.06.1983 के द्वारा निर्धारित नोर्म्स अनुसार आरक्षित की जाती है। परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) जी हां। विगत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में आबादी प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन/सेट अपार्ट का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का उत्तर आ गया है, गाइड लाइन्स मेरे पास आ गयी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले में यह बिलकुल सही है कि आबादी शहर से बाहर बसी हुई ढाणियों को सरकार आबादी सेट अपार्ट कर सकती है। महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विशेष मामला जैसलमेर से तनोट जाने वाली रोड का है। कुछ लोगों, भू-माफियाओं द्वारा पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रशासन गांवों के संग, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): आबादी क्षेत्र के पास में कुछ लोगों ने सेट अपार्ट कर दिये। ...(व्यवधान)...

SSY/RTM/31.07.2024/12:00/1g

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। प्रश्न काल समाप्त। माननीय सदस्य, अलग से आयें। बैठिये। प्रश्न काल समाप्त। मैं अभी खड़ा हूं। खड़ा हूं उस समय चलकर आ रहे हो। जाओ वहीं, वापस अभी वहीं जाओ। तमाशा बना, मैं खड़ा हूं आसन पर, ऐसा क्या अर्जेंट है?

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन
नव नियुक्त माननीय राज्यपाल महोदय के शपथ ग्रहण समारोह हेतु
माननीय सदस्यों को आमंत्रण

माननीय सदस्यों को मैं व्यवस्था दूं उससे पहले एक सूचना देनी है कि आज दिनांक 31 जुलाई, 2024 को राजभवन में मध्याह्न पश्चात 4 बजे माननीय श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े राज्यपाल के पद पर शपथ ग्रहण करेंगे। उसमें सभी माननीय सदस्य आमंत्रित हैं।

साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े एवं श्री कलराज मिश्र, निवर्तमान राज्यपाल महोदय के सम्मान में मुख्य मंत्री निवास पर सायं 7.30 बजे स्नेह भोज का भी आयोजन रखा गया है। उक्त कार्यक्रमों में आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। कार्यक्रम सम्बन्धी व्यक्तिगत आमंत्रण पत्र हां पक्ष और ना पक्ष लॉबी में विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा रखे गये हैं।

उपरोक्त कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए आज सदन में भोजन अवकाश नहीं होगा। साथ में कार्य सूची पूरी हो, इसके लिए ठीक 3.30 बजे तक अपन अपनी सारी कार्य सूची पूर्ण कर लें, इसमें सभी के सहयोग की अपेक्षा है। क्योंकि किसी भी बात को, भाषण को लंबा नहीं करें। आज वैसे भी एक रिपोर्ट, प्रतिवेदन पर विचार है। तो दोनों सचेतक सूची दे दें, छोटी सूची दे दें। क्योंकि भोजन अवकाश नहीं होगा, जीरो ऑवर के बाद तुरंत कार्य सूची पूरी करके अपन काम प्रारंभ करेंगे, ऐसा आप सब लोगों से आग्रह है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के प्रधान एवं उप प्रधान के पदों पर चुनाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) डॉ. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना की क्षतिग्रस्त सड़कों से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री रोहित बौहरा, सदस्य की ओर से प्रदेश में जुलाई माह से प्रारम्भ शैक्षणिक सत्र में आवश्यक शिक्षण संबंधी व्यवस्थाओं एवं संसाधनों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से प्रदेश के विद्यालयों में गतका खेल को सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

(5) श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य की ओर से गंगानगर शुगर मिल में मदिरा भराई का कार्य प्राइवेट बोटलर्स को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री गणेश घोगरा एवं 06 अन्य सदस्यों की ओर से उदयपुर के गांव पोपल्टी में दूषित जल के सेवन से हुई मौतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री जयकृष्ण पटेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में अघोषित विद्युत

कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्रीमती गीता बरवड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम मेलाना हनुमान सागर, तहसील बावड़ी में मेघवाल समाज के काश्तकार परिवार पर हुए हमले से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से चूरू जिले के किसानों को फसल खराबे की बीमा राशि का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(10) श्री चेतन पटेल कोलाना, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य कोटा के अपस्ट्रीम से हैंगिग ब्रिज तक नदी के दोनों ओर एक किलोमीटर क्षेत्र को सैंक्चुअरी से मुक्त नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती शोभारानी कुशवाह, सदस्य की ओर से धौलपुर जिला मुख्यालय पर स्थित बड़ी फील्ड में इन्डोर स्टेडियम का निर्माण किये जाने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(12) डॉ. शिखा मील बराला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौंमू में वर्षों से लम्बित हाडोता-तांकरडा मेगा हाइवे का बाईपास व रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़), सदस्य की ओर से नगर परिषद सुजानगढ़ के लिए स्वीकृत ड्रेनेज परियोजना की निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री श्री चेतन पटेल कोलाना, श्रीमती शोभारानी कुशवाह, डॉ. शिखा मील बराला एवं श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़) को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री कालुराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र प्रदेश में एन.एच.एम. में कार्यरत संविदा कार्मिकों को नियमित किये जाने के संबंध में।

(2) श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शिव के स्थानीय युवाओं को सोलर प्लांट कम्पनियों में रोजगार उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से सूरतगढ़ कस्बे को जिला बनाये जाने के संबंध में।

(4) श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर की विद्युत व्यवस्था को सुदृढीकरण किए जाने के संबंध में।

(5) श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति पश्चात् दी जाने वाली कम्यूटेशन राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज दर वसूलें जाने से उत्पन्न

स्थिति के संबंध में।

(6) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाये जाने जाने के संबंध में।

(7) श्री समाराम, सदस्य की ओर से विधान क्षेत्र आबू-पिण्डवाड़ा के माउंट आबू का नाम आबूराज किए जाने एवं तीर्थ क्षेत्र घोषित किए जाने के संबंध में।

(8) श्री आदू राम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सेड़वा उपखण्ड पर नवीन कृषि उपज मण्डी स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

(9) श्री राजेन्द्र, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महवा में सरकारी ट्यूबवैलों का निजी स्तर पर किये जा रहे उपयोग पर पाबंदी लगाये जाने के संबंध में।

(10) श्री छोटूसिंह, सदस्य की ओर से जैसलमेर जिले की ओरण एवं चरागाह भूमि का विकास किये जाने के संबंध में।

(11) श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से जोधपुर डिस्कॉम में लंबित कृषि कनेक्शन शीघ्र जारी करवाये जाने के संबंध में।

(12) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती से ग्रामीणों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(13) श्री कैलाशचन्द्र मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की नगर पालिका परतापुर गढ़ी के बेड़वा बस स्टैंड पर पूर्व में निर्मित राजकीय दुकानों का फर्जी पट्टा बनवाकर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री विकास चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में ट्रॉसपोर्ट नगर के लिए भूमि आवंटन किये जाने के संबंध में।

(15) श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश की मेधावी छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटी वितरण योजना में स्कूटियों की संख्या बढ़ाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 31/07/2024 को शून्यकाल में बोलने हेतु 53 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई, जो निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पर्ची संख्या	माननीय सदस्य का नाम	विषय
1.	40	श्री देवेन्द्र जोशी	जोधपुर शहर में नगर निगम उत्तर/दक्षिण एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण में फर्जी पट्टा गिरोह सक्रिय होने एवं अधिकारियों का फर्जी पट्टा कार्य में लिप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2.	49	श्री गोपीचन्द मीणा	जहाजपुर व कोटड़ी तहसील में राजस्व विभाग (भूप्रबंध) सेटलमेंट करवाने के सम्बन्ध में।

3.	32	श्री गुरवीर सिंह	गरीब तबके को लोभ व लालच में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तित करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4.	35	श्री हरिसिंह रावत	विधान सभा क्षेत्र भीम के पंचायत समिति देवगढ़, नगर पालिका देवगढ़ एवं ग्राम पंचायतों को विगत वर्षों में सेटलमेंट भीलवाड़ा द्वारा अनियमितताओं की वजह से काश्तकारों की परेशानी के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष: श्री चेतन पटेल कोलाना।

कोटा में राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य के अपस्ट्रीम से हैंगिंग ब्रिज तक सैंक्चुअरी से मुक्ति

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आज नियम 50 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं कहना चाहूंगा कि इस दुनिया की आबादी 70 सालों में ढाई अरब से बढ़कर 8 अरब के पार हो गई है। अब आबादी जीवों व पर्यावरण के लिए भी खतरा बन गई है। इसलिए इसी क्रम में हमारे जिले कोटा के लिए आने वाली गंभीर समस्या से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं।

कोटा शहर के विस्तारीकरण के तहत राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य अपस्ट्रीम के क्षेत्र को मुक्त किये जाने का काम सरकार करने जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोटा शहर के विस्तारीकरण के लिए चम्बल की अपस्ट्रीम को मजबूती प्रदान करने वाला कानून अभयारण्य का ही है। जो तर्क इसमें दिये गये हैं, उनकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

वन्य जीव गणना में राष्ट्रीय घड़ियाल सैंक्चुअरी के इस एरिये में कोई घड़ियाल, घड़ियाल के समान ही मगरमच्छ, कई प्रवासी पक्षियों के अलावा आसपास भालू, पैंथर का कोई मूवमेंट है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करुंगा कि सैंक्चुअरी का नियम हर जगह लागू होता है। ताकि वन और वन्य जीवों का एरिया बचा रहे। अगर शहरीकरण के दबाव में वन क्षेत्र खाली होता रहे तो कई शहरों के आसपास सैंचुरी एरिया में शहरी दखल बढ़ेगा।

Spp/Rtm/31.07.2024/12:10/1h

यह केन्द्र और राज्य सरकारों का दायित्व है कि नागरिकों को नियोजित तरीके से बसाया जाये और उनके मूलभूत अधिकारों की रक्षा की जाये। इसमें कोई दोराय नहीं है। इसके साथ

ही चम्बल के जीव-जन्तुओं की रक्षा करना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे कोटा जिले के ही रावतभाटा गांधीसागर सड़क बनने जा रही है, जिसके लिये 4 हजार से अधिक पेड़ कटने जा रहे हैं।

इसी के साथ-साथ हमारी नदी के दोनों तरफ के एरिया अगर खाली होते हैं, तो नदी के दोनों ओर अतिक्रमण की बाढ़ आ जायेगी और सीमेंट क्रंकीट के जंगल खड़े हो जायेंगे। तापमान और अधिक बढ़ने के आसार हैं। यह नागरिकों के जीवन-मरण का प्रश्न है। इसलिये मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि वन्य जीवों के खिलाफ अगर सरकार किसी भी प्रकार का निर्णय लेती है तो जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने वाले सभी वन्य प्रेमियों के अन्दर आक्रोश है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिये इस विषय पर प्रधान मंत्रीजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय वन मंत्रीजी को पुनः गंभीरता से विचार करना चाहिये। आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द। जय जवान। जय प्रकृति।

श्री अध्यक्षः श्रीमती शोभारानी। ..(व्यवधान).. माननीय सदस्यों, एक साथ यहां नहीं खड़े होंगे। माननीय सदस्य, हॉल के बाहर जायें या फिर बैठकर बात करें। ..(व्यवधान).. यहां नहीं।

धौलपुर स्थित बड़ी फील्ड में इंडोर स्टेडियम का निर्माण

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं व बच्चों के खेल के प्रति रूचि और महत्व को देखते हुए हमारे धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में बड़ी फील्ड क्रिकेट ग्राउंड में इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। मैं चाहती हूं कि इस कार्य को रोककर आप अन्य जगह चिह्नित करके या महाराणा स्कूल या मेला ग्राउंड में बनाने की कृपा करें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह भी धन्यवाद करना चाहती हूं कि भविष्य में भी बड़ी फील्ड में इंडोर स्टेडियम न बनाया जाये क्योंकि इसमें पहले से ही बहुत कम जगह है। मैं चाहती हूं कि अन्य जगह चिह्नित करके इंडोर स्टेडियम बनाया जाये। पुनः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्षः डॉ. शिखा मील बराला। ...(व्यवधान).. माननीय सदस्य, बैठकर बात करिये।

चौमूं में हाड़ोता-टांकरड़ा मेगा हाईवे बाई पास व रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): सदन को नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे नियम 50 पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि हमारे चौमूं में अति-महत्वपूर्ण चौमूं-महला मेगा हाइवे के तहत बनने वाला पांच किलोमीटर का हाड़ोता-टांकरड़ा बाईपास का निर्माण पिछले 11 साल से लम्बित है, इसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियों को शहर से गुजरना पड़ता है। शहर में एक रेलवे अंडरपास है जिसमें बड़ी मालवाहक गाड़ियां फंस जाती हैं, उनकी वजह से 12

घंटे जाम की स्थिति रहती है। शहर के एक लाख से ऊपर लोगों को वायु प्रदूषण और बहुत सारी जाम की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। PWD और RSRDC और रेलवे विभाग में आपसी कोआर्डिनेशन की कमी होने की वजह से बार-बार ड्राइंग्स रिजेक्ट होने की वजह से यह काम अभी धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। पिछले दस साल में इसका निर्माण कार्य का जो बजट है, वह भी करीब करीब डेढ़ गुना बढ़ चुका है, पर इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारे चौमूं की इस बड़ी समस्या को जल्दी से जल्दी हल किया जाये। धन्यवाद। जय हिन्द। जय संविधान।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

सुजानगढ़ नगर परिषद में स्वीकृत ड्रेनेज परियोजना की धीमी प्रगति

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 स्थगन प्रस्ताव पर आपने बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, फरवरी, 2022 के बजट में नगर परिषद सुजानगढ़ के लिये ड्रेनेज परियोजना पहली बार स्वीकृत हुई और जिसमें DPR बनने का काम शुरू हुआ और 80 करोड़ की DPR विभाग को प्रस्तुत की गयी। 2023 के बजट में उस DPR में से प्रथम फेज में 25 करोड़ रुपये ड्रेनेज परियोजना के लिये मंजूर हुए थे और उसके बाद उसकी टेण्डर प्रक्रिया शुरू हुई, टेण्डर आमंत्रित किये गये। टेण्डर की बिड का काम पूरा हो गया और उसके बाद जब टेण्डर खोलने की प्रक्रिया आयी तो उस पर खोलने से पहले ही चुनाव की आचार संहिता लग गयी और उसके बाद आज तक वह 25 करोड़ के टेण्डर खोल नहीं पाये और रिव्यू के नाम पर उनको रोक रखा है। जिससे ड्रेनेज परियोजना के पहले फेज का एक साल में काफी काम पूरा हो जाता। पर अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि तुरन्त इस 25 करोड़ के टेण्डर, जो आपकी मंजूरी के लिये आये हैं, उनको खोलकर काम शुरू किया जाये जिससे बहुत बड़ी पानी की समस्या नगर परिषद क्षेत्र में हैं, बहुत लम्बे समय से कटोरानुमा शहर बना हुआ है और निकासी की कोई समस्या नहीं है। अगर यह परियोजना शुरू हो जाती है तो इससे पानी की निकासी का समाधान होगा और आने वाले समय में जब 80 करोड़ की परियोजना पूरी होगी तो एक बहुत बड़ी भराव की समस्या और निकासी की समस्या शहर की पूरी होगी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री कालूराम।

एन.एच.एम. में कार्यरत संविदाकर्मियों का नियमितिकरण

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि एन.एच.एम. में संविदा पर नियुक्त कार्यरत आशा सुपरवाइजरों/पीएचसी हेल्थ सुपरवाइजर का पद नाम बदल कर सेक्टर हैल्थ सुपरवाइजर कर दिया गया है। जबकि इनका पब्लिक हेल्थ मैनेजर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत रहते हैं और सेक्टर हैल्थ सुपरवाइजर ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत रहते हैं। इनका टर्म ओफ रिफरेंस (टी ओ आर)

एवं जॉब चार्ट लगभग समान होते हुए भी नए सी.एस.आर. रूल्स 2022 में शामिल करते समय पब्लिक हैल्थ मैनेजर को ब्लॉक हैल्थ सुपरवाइजर बनाकर 16,900 मानदेय में शामिल किया गया है। जबकि आशा सुपरवाइजरों/पीएचसी हैल्थ सुपरवाइजरों को सेक्टर हैल्थ सुपरवाइजर बनाकर इनका मानदेय 11,200 रखा गया है । समान काम होने के बावजूद भी इनके मानदेय में इतना फर्क क्यों रखा गया है? सरकार द्वारा इनका मानदेय 11,200 से बढ़ाकर 16,900 किया जावे।

एन.एच.एम. में संविदा पर सेक्टर हैल्थ सुपरवाइजरों को नियमित करने के लिए 6 अक्तूबर, 2023 को सी.एस.आर. रूल्स 2022 के तहत सरकार ने 1,240 पद सृजित किये गये थे। उक्त पदों के लिए वित्त विभाग (व्यय-1) ओर से आई डी सं-152302273 दिनांक 4.10.2023 को नियमित पद सृजित किए तथा विभाग ने दस्तावेज सत्यापन के लिए पत्र जारी किया था। उक्त पत्र की वर्तमान में क्या कार्यवाही की जा रही है?

एन.एच.एम.के अन्तर्गत भर्ती प्रकिया में चिकित्सक, नर्सिंग आफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टैक्नीशियन, फार्मासिस्ट आदि कार्मिकों को नियमित किया जा रहा है जबकि सेक्टर हैल्थ सुपरवाइजरों को नियमित क्यों नही किया जा रहा है जबकि ये भी इन्हीं के साथ के हैं। पढ़े-लिखे नौजवानों को सरकार क्यों गुमराह कर रही है? सरकार को ऐसी छलावे वाली भर्ती प्रक्रिया ही नहीं करनी चाहिए।

पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा हर बार-बार संविदा कार्मिकों को नियमित करने के नाम पर कमेटियां बनाई जाती रही हैं और संविदा कार्मिकों को बरगलाया जाता रहा है। हमें वर्तमान सरकार पर पूरा भरोसा है कि वर्तमान सरकार कमेटी ना बनाकर संविदा कार्मिक सेक्टर हैल्थ सुपरवाइजरों को नियमित करने का कार्य पूर्ण करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

शिव के स्थानीय युवाओं को सोलर प्लांट कम्पनियों में रोजगार

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत मुझे बोलने का आपने मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, यह क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं यथा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, बिजली, पानी, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है। वर्तमान समय में किसी भी क्षेत्र के विकास रूपी रथ को हांकना हो तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान की सीमा पर 55 डिग्री तापमान में भी अपने हौंसले की बदौलत 'राष्ट्र प्रथम' सुवाक्य को अमलीजामा पहनाते मेरे क्षेत्र के बाशिंदे आजादी के 77 वर्ष बाद भी सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार, संचार, परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में सरकारी सुविधाओं में खुद को पिछड़ा महसूस कर रहे हैं।

महोदय, वर्तमान में उस क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाने हेतु कई नामी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन इसका फायदा स्थानीय लोगों को न तो रोजगार के रूप में मिल रहा है, न ही उत्पादित बिजली का उपभोग करने के रूप में। आखिर क्या कसूर है उन बाशिंदों का जो

प्रकृति के प्रतिकूल थपेड़ों के साथ-साथ सरकारी उदासीनता के थपेड़े भी झेल रहे हैं। कंपनियां लाभ कमा रही हैं, उनका सी.एस.आर. फंड भी उन स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा जिनके चरागाह, खेत, स्वच्छ वायु भी इन कंपनियों ने छीन ली व सूर्य देवता के साथ लू व गर्मी में सहयोगी बन पड़ी।

महोदय, ढाणियों में पानी को तरसती आंखों का ही पानी सूख रहा है। शिक्षा हेतु स्कूल नहीं हैं, कहीं हैं भी तो एक एक अध्यापक के भरोसे है। चिकित्सा की तो बात करना ही अपराध है, बिजली का आना तो त्योहार बन गया है। रोजगार के लिए दक्षिणी भारत को पलायन हो रहा है। सड़क व परिवहन के साधन का दीदार तो कभी कभी ही हो पाता है।

महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती हेतु विशेष कदम उठाएं। साथ की बाहरी कंपनियों द्वारा संचालित प्लांटों में स्थानीय व्यक्तियों को आवश्यक रूप से रोजगार देने हेतु विशेष प्रबंध करें।

आशा है सरकार मेरी इस बात को गंभीरता से लेकर शिव विधान सभा क्षेत्र के लोगों के लिए उम्मीद की किरण जगाएगी।

Jyg/rtm/31,07.24/12.20/1j

श्री अध्यक्ष: श्री डूंगरराम गेदर।

सूरतगढ़ कस्बे का जिले में क्रमोन्नयन

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मसले पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सूरतगढ़ कस्बा जिला बनाने की सम्पूर्ण पात्रता रखता है। सूरतगढ़ में एयरपोर्ट है, मिलिट्री स्टेशन है. सूरतगढ थर्मल पावर स्टेशन है. श्री सीमेंट की बड़ी फैक्टरी है। सामरिक दृष्टि से भी सूरतगढ़ अति महत्वपूर्ण शहर है। साथ ही. सूरतगढ़ में शिक्षा का बहुत बड़ा हब है और 50 हजार से अधिक छात्र दूसरे कस्बों. शहरों, राज्यों से आकर यहां पर शिक्षा लेते हैं। इसके अलावा सूरतगढ़ में ADM कार्यालय. डिप्टी एस.पी. कार्यालय, तहसील कार्यालय, ADJ कोर्ट, कॉलेज सहित अधिकतर कार्यालय भी संचालित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ को जिला बनाने की वर्षों से मांग चली आ रही है और इस सम्बन्ध में सरकार के स्तर पर भी कई बार बात पहुंचाई गई है परन्तु जिला नहीं बनाये जाने से जनता में आक्रोश है। वर्तमान सरकार द्वारा पूर्व में गत सरकार द्वारा बनाये गये जिलों की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है जो इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

मेरा यह निवेदन है कि सूरतगढ़ समस्त मापदण्ड पूरे करता है तथा सूरतगढ तहसील के कई गांव श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है जिनकी जनता को जिला मुख्यालय पर आने में काफी समय तथा धन खर्च होता है और असुविधा का भी

सामना करना पडता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अतः प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत यह विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि सूरतगढ़ को जिला बनाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमित चाचाण।

नोहर की विद्युत व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

श्री अमित चाचाण (नोहर): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचवालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नोहर (हनुमानगढ) में बिजली विभाग द्वारा विद्युत सप्लाई व्यवस्थित रूप से नहीं दी जा रही है तथा अघोषित बिजली कट भी लग रहे हैं। उक्त क्षेत्र में बिजली बार-बार गुल हो रही है, जिससे यहां के निवासियों को काफी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। उक्त क्षेत्र में मीटर व अन्य सामग्री की कमी के कारण न तो घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन एवं न ही कृषि के कनेक्शन सुचारू रूप से दिये जा रहे हैं। और तो और जले हुए ट्रांसफार्मर भी समय पर उपलब्ध नहीं होने से यहां के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड रहा है। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त पोल, तार एवं ट्रांसफार्मर को भी समय रहते नहीं बदला जा रहा है जिससे दुर्घटना घटित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुए मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त क्षेत्र की बिजली संबंधी समस्याओं का शीघ्रातिशीघ्र निवारण कर, नोहर में 220 केवी जीएसएस, धानसिया, मलवानी-चारणवासी, भुकरका एवं गुडिया में 33/11 केवी जीएसएस तथा विधान सभा क्षेत्र नोहर के लगभग 3 हजार वंचित ढाणियों के लिये कनेक्शन भी कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम। श्री घनश्याम।

श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: अभी आप दूसरी सीट पर बैठे थे। बात कर रहे थे। ..(व्यवधान).. बोलो। ..(व्यवधान).. हमेशा जिसका नाम आना है वो अपनी सीट पर बैठे। नाम पुकारते ही तुरंत खड़ा हो जाए। दो बार नाम लेता हूं इसलिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बोलने के लिए आपके पास कागज ही नहीं है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आए रहा है। आ रहा है। ..(व्यवधान).. यह है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय प्रतिपक्ष के नेता, देखो, यह भाग रहा है, यह जा रहा है। ..(व्यवधान).. यह है देख लो आपका मैनेजमेंट। ..(व्यवधान)..

राज्य पेंशनर्स से कम्यूटेशन राशि पर अधिक ब्याज वसूली

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 295 पर विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन का 40 प्रतिशत हिस्सा कम्यूट किया जाता है। यह राशि एक मुश्त पेंशनर को दे दी जाती है। कम्यूटेड पेंशन राशि बाद में मूल पेंशन से प्रति माह ब्याज सहित काटकर 15 वर्षों तक वसूली जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में बैंकों की ब्याज दर 5 प्रतिशत के आस-पास है मगर उक्त राशि का आज भी 12 प्रतिशत ब्याज की दर से वसूला जाता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कम्यूट की गई राशि की गणना पर यह पाया गया है कि संपूर्ण राशि 10 वर्ष 8 माह में वसूली जाती है, लेकिन सरकार इस राशि को 15 वर्ष तक वसूल कर रही है। मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पेंशनर को माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार राहत देते हुए 11 वर्ष के पश्चात् कम्युटेशन की राशि बंद कर एवं जिन कर्मचारियों से उक्त राशि वसूल की गई उन्हें उक्त राशि पुनः बापस करने का का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

राज्य कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध को हटाया जाना

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया सम्बन्धी नियम 295 के तहत राज्य कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाने हेतु विशेष उल्लेख पर बोलने का अवसर दिया।

मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख में निवेदन करना चाहता हूं कि 27 सितम्बर 1925 में स्थापना से लेकर आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन का एकमात्र ध्येय है राष्ट्रवाद, एकमात्र कार्य है राष्ट्रसेवा, एकमात्र शत्रु है राष्ट्रदोही और एकमात्र नीति है राष्ट्रीय अखण्डता।

1947 के बंटवारे, 1962 के चीन युद्ध, 1965 के युद्ध, उडीसा चक्रवात, भोपाल गैस त्रासदी, 1984 के सिख विरोधी दंगे, बिहार के अकाल, 2001 का गुजरात भूकम्प और वर्ष 1977 के आपातकाल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन ने पीड़ित मानवता की नि:स्वार्थ सेवा और राहत कार्य के ऐसे कीर्तिमान स्थापित किये हैं कि निकट भविष्य में कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसी तमाम त्रासदियों के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दीवार की तरह तनकर आपदा और आम जन के बीच खड़ा रहा है।

जिस संगठन का लक्ष्य ही मां भारती के गौरव को परम वैभव तक पहुंचाना हो, वो देश विरोधी कैसे हो सकता है। इसके बावजूद भी 1966 में केन्द्र सरकार द्वारा और 1981 में कांग्रेस शासन में राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों

में सम्मिलित होने पर पाबंदी लगा दी गई।

हाल ही में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रतिबंध को हटा लिया गया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी इस प्रतिबंध को हटा चुके हैं। लेकिन राजस्थान में गत 43 सालों से देश की सेवा करने वाला यह संगठन इस तुगलकी फरमान के प्रतिबंध को अनवरत झेल रहा है। इसलिए मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि देश सेवा के लिए समर्पित इस अनुशासित राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ाव के लिए प्रदेश के राज्य कर्मचारियों पर लगे हुए प्रतिबंध का अविलम्ब हटाया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री समाराम।

श्री समाराम गरासिया। (अनुपस्थित)।

श्री आदू राम मेघवाल।

सेड़वा उपखण्ड (चौहटन) पर नवीन कृषि उपज मंडी की स्वीकृति

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 295 पढ़ूं उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: और कुछ नहीं, सीधा पढ़ो। ..(व्यवधान).. पहले-पहले कुछ नहीं होता, बाद में भी कुछ नहीं, आप तो पढ़ो।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी घोषणा हो गई है। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आप इसमें पढ़ो केवल। ..(व्यवधान).. 295 में पढ़ना ही होता है। ..(व्यवधान).. आपको नहीं पढ़ना है तो बैठ जाइए। अगला। ..(व्यवधान)..

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): कृषि मंत्री की घोषणा हो गई है। मुझे पढ़ना नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री राजेन्द्र मीणा।

महवा में सरकारी ट्यूबवैलों का निजी कार्यों में उपयोग

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विधानसभा क्षेत्र महवा में सरकारी ट्यूबवेलों के निजी उपयोग एवं अनियमितताओं के संबंध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा में मुख्य मंत्री बजट घोषणा 2022-23 एवं 2023-24 में की गई कई ट्यूबवैल/हैडपम्पों को निवर्तमान निर्दलीय विधायक द्वारा अपने निजी कार्य हेतु घर/पेट्रोल पम्प पर लगवा दिये गये जिसमें सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। सरवण शर्मा की ढाणी उकरूंद के नाम से कई ट्यूबवैल स्वीकृत कराया गया जबकि इस नाम की कोई ढाणी उकरूंद गांव में नहीं है। उक्त नाम का व्यक्ति अपनी कृषि भूमि पर सिंचाई कर

सके इसलिए ट्यूबवैल उसके खेत जो कि रसीदपुर में है, वहां खोदा गया है तथा और इसी स्थान से उकरुंद स्थित पेट्रोल पम्प (रामकुटी) जो कि 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां तक पाइप लाइन डाल कर उक्त पेट्रोल पंप पर स्थित निवास को जोड़ दिया गया है। जो कि सरकारी ट्यूबवैल को निजी उपयोग में ले रहे है। अतः अनुरोध है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवा कर दोषियों पर उचित कार्यवाही करवाने का श्रम करावें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MLS/RTM/31.07.2024/12:30/1k

श्री अध्यक्ष: श्री छोटूसिंह।

जैसलमेर की ओरण एवं चरागाह भूमि का विकास

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, सीमान्त जिले जैसलमेर में सेवण घास को नष्ट होने से बचाने तथा बड़े पैमाने पर ओरण एवं चरागाह के विकास हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कर इस सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लेने हेतु निवेदन कर रहा हूं।

जिला जैसलमेर पशुधन एवं गोवंश बहुल क्षेत्र रहा है तथा यहां के अधिकांश बाशिन्दों की रोजी-रोटी पशुधन से जुड़ी है, परन्तु विगत बीस वर्षों से विभिन्न कारणों यथा नहरी क्षेत्र में कमांड भूमि आवंटन व विभिन्न ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा एवं सोलर ऊर्जा के लिए लाखों बीघा भूमि आवंटन होने से सेवण घास व चरागाह स्थलों की कमी के कारण पशु पालक या तो पलायन को मजबूर हो रहे हैं अथवा उन्होंने इस व्यवसाय से ही मुंह मोड़ लिया है। जिले का विशाल भौगोलिक क्षेत्र में से बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय मरु उद्यान, रक्षा मंत्रालय की विभिन्न रेंज एवं अन्य उपयोग हेतु भूमि के आरक्षण, नहरी क्षेत्र में नये आवंटन होने से नयी काश्त योग्य भूमि का बनना, पवन एवं सौर ऊर्जा हेतु भूमि का आरक्षण, खनिज क्षेत्रों के लिए भूमि का आरक्षण एवं कई अन्य आरक्षण होने से पशु पालक पलायन को मजबूर हैं। सेवण घास जड़ से नष्ट हो रही है। विभिन्न सरकारों द्वारा प्राकृतिक निर्मित चरागाह स्थलों को अन्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित कर देने से पशुधन के सामने विकट समस्या आ खड़ी हुई है। यही स्थिति निरन्तर रही तो वह दिन दूर नहीं जब यहां का मूल पशुधन लुप्त होता जायेगा।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिले के पशुधन को बचाने हेतु सेवण घास को नष्ट होने से बचाने, विशाल चरागाह एवं ओरण क्षेत्र विकसित करने के लिए ऐसे क्षेत्र जहां पूर्व से ही प्राकृतिक रूप से चरागाह क्षेत्र विकसित हैं, सेवण घास बहुल क्षेत्र, ओरण क्षेत्र की पहचान कर ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। जिले के स्थानीय निवासी पीढ़ियों से ऐसे क्षेत्रों को बचाये व संरक्षित किये हुए हैं जिसे स्थानीय भाषा में पाली व देमजी नाम से भी जाना जाता है, परन्तु सरकार का तथाकथित विकास इन सबको समाप्त कर रहा है।

अतः मेरी सरकार से पुरज़ोर मांग है कि मरुस्थलीय जिले जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर क्षेत्र में ही शेष बची हुई ऐसी भूमि को बचाने के लिए विधान सभा में इस पर व्यापक बहस हो तथा सरकार तुरन्त ऐसे सम्पूर्ण प्राकृतिक चरागाह व ओरण क्षेत्र को संरक्षित चरागाह क्षेत्र घोषित कर रिकॉर्ड में उसका अंकन करे। इसके लिए नियम बनाने वाली संस्था ही नियमों में परिर्वतन कर जनता को राहत दे पायेगी। अन्य प्रयोजनार्थ आरक्षण करते समय सेवण, प्राकृतिक चरागाह तथा ओरण क्षेत्र की हर परिस्थितियों में पहचान सुनिश्चित कर उन्हें उक्त अन्य प्रयोजनार्थ आरक्षण से अलग रखा जाये तथा क्षेत्र की खसरावार पहचान कर स्थायी रूप से उन्हें प्राकृतिक सेवण, चरागाह व ओरण हेतु आरक्षित किया जाये। विभिन्न ऊर्जा कम्पनियों को पवन ऊर्जा के पंखे एवं सौर ऊर्जा के प्लांट प्राकृतिक सेवण, चरागाह व ओरण से अलग हटकर पथरीली व पहाड़ी भूमि को ही आवण्टित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

जोधपुर डिस्कॉम में लम्बित कृषि कनेक्शन

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, जोधपुर डिस्कॉम द्वारा वर्ष 2022 में कृषि कनेक्शन के लिए दिये गये कार्यादेश में से शेष 1694 कृषि कनेक्शन करने हेतु BOq रिवाइज के लिए प्रबन्धक निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम स्तर पर लम्बित पत्रावली का शीघ्र निस्तारण करवाने के सम्बन्ध में प्रकिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2022 में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु लाइन मैटेरियल व ट्रांसफॉर्मर सहित टैंडर कर अलग-अलग कम्पनियों को कार्यादेश दिये गये थे, जो निम्न प्रकार हैं-

1.	मैसर्स ईश्वर मैटल्स TNTW-613 कुल कनेक्शन	2453
2.	मैसर्स हिन्द कंस्ट्रक्शन TNTW-614 कुल कनेक्शन	2686
3.	मैसर्स एब्सल्यूट TNTW-615 कुल कनेक्शन	3358
	कुल कनेक्शन	**8497**

इस प्रकार उक्त तीनों कम्पनियों को कुल 8497 कृषि कनेक्शन करने का कार्य आदेश दिया गया, जिसमें से तीनों कम्पनियों ने आज दिनांक तक कुल 6803 कनेक्शन ही किये। शेष 1694 कनेक्शन कम्पनियां नहीं कर रही हैं। शेष कनेक्शन करने के लिए BOq रिवाइज हेतु पत्रावली प्रबन्धक निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम को काफी समय पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है, जो अभी तक लम्बित है। BOq रिवाइज का मुख्य कारण यह है कि कृषि कनेक्शन की पत्रावलियां वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 की हैं जिनके डिमांड नोटिस कुछ महीनों पहले जमा हो चुके हैं। चूंकि भू-जल स्तर के उतार-चढ़ाव व इतनी पुरानी पत्रावलियां होने के कारण काश्तकार लोड कम या ज्यादा करवाते हैं जो कि कृषि नीति के अनुसार सही भी है, इसके अलावा भी लगभग 3500 कनेक्शन काश्तकारों के मांगपत्र जमा

हैं जिसके कनेक्शन करने बाकी हैं। यह BOq रिवाइज नहीं होने के कारण जोधपुर व फलौदी जिले में कृषि कनेक्शन कार्य रुक गये, जिससे भारतीय किसान संघ में आक्रोश फैलने की आशंका जतायी जा सकती है।

अतः किसानों के हितों को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2022 में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा दिये गये कार्यादेश में से शेष 1694 कृषि कनेक्शन करने के लिए BOq रिवाइज हेतु प्रबन्धक निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम स्तर पर लम्बित पत्रावली का शीघ्र निस्तारण करने अथवा निगम अपने स्तर पर निर्णय लेकर CLRC के तहत शेष कृषि कनेक्शन करवाकर किसानों को राहत प्रदान कराये।

श्री अध्यक्ष: श्री हाकम अली खां।

फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में शहर रामगढ़ एवं फतेहपुर एवं ग्रामीण इलाकों के लगभग 125 गांव एवं बहुत सी ढाणियां हैं। विगत 2-3 महीनों से अघोषित विद्युत कटौती, खासकर ग्रामीण इलाकों में 8-8 घण्टों की विद्युत कटौती हो रही है। निगम द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की खबर प्रकाशित नहीं की जाती है और न ही अन्य मैसेज के द्वारा कोई खबर दी जाती है। ग्रामीण इलाक़ों में विद्युत ट्रांसफॉर्मर पर कोई फॉल्ट उत्पन्न हो जाये तो तकरीबन 2-3 दिवस तक उक्त फॉल्ट निगम द्वारा सही नहीं किया जाता है, जिससे ग्रामीणों के लिए काफी परेशानियां उत्पन्न होती हैं।

यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 20 वर्षों में जो ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, उक्त ट्रांसफॉर्मरों को आज तक बदला नहीं गया है। उक्त ट्रांसफॉर्मरों पर उस समय 15 कनेक्शन थे, किन्तु आज उक्त ट्रांसफॉर्मर पर 40-50 कनेक्शनों का भार है, जिसके कारण वोल्टेज बहुत कम आते हैं। वोल्टेज कम आने से ग्रामीणों के विद्युत उपकरण नहीं चलते हैं। अतः उक्त ट्रांसफॉर्मरों को बदलकर नवीन ट्रांसफॉर्मर लगाये जाएं।

महोदय, ज्यादातर कृषकों के परिवार बड़े होने के कारण किसान अपने खेतों में ही मकान बना रहे हैं। कृषकों द्वारा नवीन विद्युत कनेक्शन हेतु डिमांड राशि जमा कराने के उपरान्त भी आज तक उनको विद्युत/कृषि कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। कृषक अपने कृषि एवं अन्य कार्यों को करने के लिये ब्याज पर पैसे लेता है। उक्त पैसों से वह अपने नित्य-प्रतिदिन के कार्य करता है जैसे बीज, खाद, कृषक विद्युत कनेक्शन, रोजमर्रा के कार्य इत्यादि।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वर्णित कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र किये जाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

परतापुर गढ़ी में राजकीय दुकानों पर अवैध कब्जा

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की नगरपालिका परतापुर गढ़ी के बेड़वा बस स्टेशन पर पूर्व में ग्राम पंचायत बेड़वा के द्वारा दुकानों का निर्माण किया गया था एवं वे किराये पर संचालित थीं, अनुपयोगी घोषित होने पर खाली करवाने के बाद भू-माफियाओं के द्वारा नगरपालिका की उन दुकानों का फर्जी पट्टा बनाकर फर्जी पट्टे की रजिस्ट्री करवाकर माफिया द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। बेड़वा ग्राम पंचायत में सबूत पेश करने के बाद नगरपालिका द्वारा अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त नहीं किया जा रहा है एवं नगरपालिका की मिली-भगत से अवैध कार्य हो रहे हैं एवं नवीन नगरपालिका परतापुर गढ़ी में इस प्रकार से कई जगहों पर अवैध पट्टे जारी किए गये हैं, जिसकी जांच खसरा नम्बर के आधार पर नगरपालिका क्षेत्र में करना आवश्यक है।

अतः मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उक्त फर्जी पट्टे से हुई रजिस्ट्री को निरस्त कर माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही एवं निर्माण ध्वस्त कर नगरपालिका के माध्यम से दुकानों के निर्माण कराने के आदेश कराने की कृपा करें।

mkd/rtm/31.07.2024/12.40/1l

श्री अध्यक्ष: अगला, श्री विकास चौधरी।

किशनगढ़ में ट्रांसपोर्ट नगर हेतु भू आवंटन

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि किशनगढ़ मार्बल मंडी संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। दिनों-दिन इसकी ख्याति एवं व्यापार बढ़ता ही जा रहा है, परन्तु यहां 1500 से 2000 गाड़ियों का आवागमन, लोडिंग व अनलोडिंग प्रतिदिन होता रहता है। इसके बाद भी 500-700 ट्रक हर समय यहां पर खाली खड़े रहते हैं। किशनगढ़ एरिया के आस-पास 06 इंडस्ट्रियल एरिया लगते हैं, लोडिंग के लिये उक्त समस्त गाडियों की व्यवस्था किशनगढ़ ट्रासपोर्ट द्वारा की जाती है। जब से 06 लेन का कार्य पूर्ण हुआ है, तब से आम नागरिकों को अपने रोजमर्रा के कार्य करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खाली व भरे ट्रकों को खड़े करने में विकट समस्या हो चुकी है। गाडियां एन.एच. 08 के दोनों तरफ खड़ी होती हैं। इससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे कई लोग काल का शिकार होते हैं। सिक्स लेन पर गाडियों के खड़े होने पर पुलिस प्रशासन भी आये-दिन चालान काट देती हैं और गाड़ी खड़ी नहीं करने देते हैं। विगत 20 से 25 वर्षों से इस समस्या से आम नागरिक जूझ रहे हैं।

मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वर्तमान समय में जिस प्रकार किशनगढ़ एरिया विस्तृत हो रहा है और उसके पास में बड़े इंडस्ट्रियल एरिया रूपनगढ़, इंडस्ट्रियल एरिया गेगल, इंडस्ट्रियल एरिया सिलोरा, इंडस्ट्रियल एरिया खोडा माता, इंडस्ट्रियल एरिया खोडा बुबानी, रतन इंडस्ट्रियल एरिया उक्त समस्त एरिया का ट्रांसपोर्टशन का कार्य किशनगढ़ से होता है। इसके लिये करीब 200 बीघा भूमि ट्रांसपोर्ट नगर के लिये आरक्षित दर पर आवंटन कर व्यापारी वर्ग को राहत प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मनीष यादव।

मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना में स्कूटीज की संख्या में वृद्धि

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा कार्य संचालन एवं प्रकिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

महोदय, निवेदन है कि सरकार द्वारा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के तहत MBC वर्ग की छात्राओं को वर्ष 2023-24 में मिलने वाली स्कूटियों की संख्या 3695 है तथा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में मिलने वाली स्कूटियों की संख्या 26,305 है।

महोदय, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत वर्तमान में 6 कैटेगरियों की छात्राओं को मेरिट के अनुसार प्रतिवर्ष स्कूटियां मिलती हैं। इसके अन्तर्गत पहली कैटेगरी में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समस्त वर्गों की 4162 छात्राओं को स्कूटियां वितरित की जाती हैं। दूसरी कैटेगरी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति की 2463 छात्राओं को स्कूटी प्रदान करता है। तीसरी कैटेगरी में माध्यमिक शिक्षा विभाग आर्थिक पिछडा वर्ग अर्थात EWS की 1477 छात्राओं को स्कूटी प्रदान करता है। चौथी कैटेगरी में अल्पसंख्यक मामलात विभाग अल्पसंख्यक वर्ग की 1848 छात्राओं को स्कूटी प्रदान करता है। पांचवी कैटेगरी में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग अनुसूचित जनजाति वर्ग की कक्षा 10 व 12वीं उत्तीर्ण, 14,778 छात्राओं को स्कूटियां वितरित करता है। छठवीं कैटेगरी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विमुक्त घुमन्तू व अर्द्ध-घुमन्तू वर्ग की 1577 छात्राओं को स्कूटियां वितरित करता है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इन कैटेगरियों में ओबीसी वर्ग को अन्य वर्गों की तरह पृथक् से शामिल नहीं किया, ऐसा कैसे संभव है? तथा यह किस गलत मंशा के साथ किया गया है, यह मेरी समझ से परे है। आमजन हम सब नीति निर्माताओं व उसके क्रियान्वयन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों से यह अपेक्षा रखते हैं कि वो सभी वर्गों को बिना गलत इंटेनशन से मुख्यधारा में समावेश करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाया। जबकि ओबीसी वर्ग की राज्य में कुल जनसंख्या 44 फीसदी है।

अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि सरकार कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत ओबीसी वर्ग की छात्राओं का इसी सत्र 2024-25 के

लिए दुबारा आवेदन पत्र आमंत्रित कर उनका वाजिब हक प्रदान करें। इसके साथ ही मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहूंता हूं कि सरकार किसी भी वर्ग की स्कूटियों की संख्या में कटौती ना करते हुए ओबीसी वर्ग की छात्राओं के लिए पृथक से नयी स्कूटियों की संख्या का सृजन करे तथा साथ ही इस योजनांतर्गत SC, ST, अल्पसंख्यक, EWS एंव घुमन्तू व अर्द्ध घुमन्तु वर्गों की स्कूटियों की संख्या भी दुगनी करे तथा इसके साथ ही देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि के तहत MBC वर्ग की छाआओं को मिलने वाली स्कूटियों की भी संख्या दुगुनी करे।

श्री अध्यक्ष: श्री देवेन्द्र जोशी। पर्ची।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जोधपुर शहर में फर्जी पट्टा गिरोह पर कार्यवाही

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार।

जोधपुर शहर में चाहे नगर निगम उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे जोधपुर विकास प्राधिकरण हो, पिछले कई वर्षों से फर्जी पट्टों के प्रकरण चर्चा में रहे हैं। इन फर्जी पट्टों के कारण समस्या यह है कि आपने जब चार-पांच साल बाद उसकी जांच की, फर्जी पट्टा तो निरस्त कर दिया, लेकिन आप यह देखिये, जिस व्यक्ति ने फर्जी पट्टा बनवाया, वह तो इमीजिएटली भूखण्ड बेचकर रवाना हो गया, उसके बाद जिन लोगों ने भी भूखण्ड खरीदा, उनको यह मालूम नहीं था कि यह फर्जी है। चार-पांच साल के बाद उसकी जांच करने पर आपने यह फर्जी पट्टा निरस्त कर दिया। निरस्त करते ही जिस गरीब व्यक्ति ने पैसा जोड़-जोड़कर एक-एक पैसा जोड़कर वह भूखण्ड खरीदा उसके ऊपर आपदा आई, उसका सपना चूर-चूर हो गया। क्योंकि, उसको मालूम नहीं था कि यह फर्जी पट्टा है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि फर्जी पट्टे के केस में जो-जो अधिकारी लिप्त हैं, आपने किसी कम्प्यूटर ऑपरेटर को निलम्बित कर दिया, लेकिन यह पूरी चेन है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। उसकी सम्पूर्ण जांच हो। ये जितने भी प्रकरण जोधपुर में आये हैं, उनकी जांच एसीडी से हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

दूसरा, सिस्टम का भी फॉल्ट है। अभी तक हम, जिस क्षेत्र में भारत दुनिया में आईटी में सिरमौर है, हम अभी तक भी भूखण्डों का, नगर निगम का, चाहे विकास प्राधिकरण का, हम डाटा बेस ही तैयार नहीं कर पाये। मालूम ही नहीं पड़ता है कौन-सा है, नहीं है, तो जनसाधारण को यह जानकारी हो कि वह जो भूखण्ड खरीद रहा है, वह किसके नाम दर्ज है?

मेरा माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन है कि जितने भी स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत नगर निगम है, नगरपालिका है, चाहे जेडीए है, इन सभी का आईटी से कनेक्शन हो। एक बड़ी कम्पनी को कांट्रेक्ट देकर समयबद्ध रूप से, जो भी डाटा बैंक है, उसको अपडेट करें। जिससे जनसाधारण को यह मालूम हो सके कि मैं जो भूखण्ड खरीदने जा रहा हूं, वह किसके नाम से है? क्या उसकी स्थिति है?

इसके सम्बन्ध में, मैं निवेदन करूंगा कि रीको की जो वेबसाइट है, एकदम वर्सेटाइल वेबसाइट है, उसको आधार मानकर, यदि रीको पूरे राजस्थान का डेटा बैंक क्रिएट कर सकता है, तो जोधपुर नगर निगम है, चाहे जोधपुर विकास प्राधिकरण है, विभिन्न नगरों के निगम भी उसी आधार पर एक वेबसाइट पर सब इंफोर्मेमेशन अवेलेबल हो। ये सब फर्जी पट्टे, अवैध कब्जे इसी कारण से हो रहे हैं, क्योंकि भूमि का रिकॉर्ड नहीं है और आम जनता की उस तक रीच नहीं है।

मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में कारगर उपाय कराते हुए आईटी के माध्यम से डाटा बैंक स्थापित किया जाये, ताकि इन पर रोक लगे। इन सब फर्जी पट्टा प्रकरणों की एफआईआर दर्ज हो, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपीचन्द मीणा।

जहाजपुर व कोटड़ी तहसीलों में भू-प्रबन्ध सेटलमेंट

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने शून्यकाल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर और कोटडी में भू-प्रबन्ध सेटलमेंट की कार्यवाही सन 1959 और 1968 में की गई। उसके बाद सरकार द्वारा भू-प्रबन्ध की कार्यवाही नहीं की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि किसान को बार-बार थाने में, तहसील में, कचहरी में, न्यायालयों में सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी के प्रकरणों में परेशानी रहती है। मेरा आपसे आग्रह है कि भू-प्रबन्ध की कार्यवाही, राजस्थान भू-प्रबन्ध अधिनियम, 1958 की धारा 56 के तहत प्रत्येक 20 वर्ष में करने का प्रावधान है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि भू-प्रबन्ध की कार्यवाही जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र, जहाजपुर और कोटड़ी तहसील में कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री गुरवीर सिंह।

लोभ-लालच की आड़ में धर्म परिवर्तन

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जीरो ऑवर में मौका दिया।

राजस्थान प्रदेश भर में बढ़ रही धर्म परिवर्तन की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मेरी सदन से और आपसे मांग है। पहले भी देश के कई प्रदेशों में इसके नतीजे हमने भुगत हैं। राजस्थान की इसकी भेंट नहीं चढ़े। इसमें विदेशी और राष्ट्र विरोधी ताकतें अपने इंटरनेशनल लेवल पर फंड प्रोवाइड कर रही हैं। मिशनरीज लगातार, हम बॉर्डर के क्षेत्र से आते हैं, वहां लगातार मिशनरीज अपनी एक्टिविटीज गांवों में, शहरों में कर रही हैं। इसकी रोकथाम के लिए अभी यूपी ने, पहले ऑर्डिनेंस लाये, अभी कानून लेकर आये हैं।

मेरी सरकार से आपके माध्यम से मांग है कि सरकार राजस्थान में भी एक सख्त कानून

लेकर आये, जिससे इन लोभ, लालच, षड्यंत्र और इनके पाखंड आपने सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे, ये लोगों को लगातार लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। जब तक हम कोई सख्त कानून लेकर नहीं आयेंगे, इनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति, जिसको जानकारी मिले, वह एफआईआर दर्ज करा सके।

इनके नॉन-बेलेबल सख्त से सख्त सज़ा दी जाये और फाइन इम्पोज किया जाये, ताकि हम सामाजिक सद्भाव को बचा सकें।

Bhs/Rtm/31.7.24/12.50/1m

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

देवगढ़ पंचायत समिति व देवगढ़ नगर पालिका में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा अनियमितताएं

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पर्ची पर बोलने का जो मुझे समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम की पंचायत समिति देवगढ़ और नगरपालिका देवगढ़ के अन्तर्गत पूर्वकाल में सैटलमेंट द्वारा जमीनों में कई हेराफेरी हो गई, जो विलानाम जमीन थी वो चरणोट हो गई, चरणोट हो गई वह जंगलात में चली गई, इसकी वजह से एक विकट समस्या हो चुकी है और कई जगह ऐसा हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मेरी जमीन किसी थर्ड पर्सन के नाम पर चली गई और वह जमीन महंगी है तो उसको पता लगता है कि जमीन तो उसकी मेरे नाम से चढ़ गई है तो उस जमीन को तत्काल वह भूमाफियाओं को बेच देता है जिससे गरीब किसान के साथ बड़ी समस्या हो जाती है। उनको एक बहुत ही बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि तत्काल इस समस्या का निराकरण करने के लिए मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें तत्काल सैटलमेंट विभाग, भीलवाड़ा को पुन: निर्देशित करें और पुन: सैटलमेंट करा कर इसका न्याय करें ताकि पब्लिक को जो आज समस्या आ रही है उसका समाधान हो जायेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन में, श्री विकास चौधरी। एक लाइन में इन्फोर्मेशन देनी है।

सूचना

किशनगढ़ में रोडवेज बस से एक व्यक्ति की मृत्यु

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन के लिए मुझे समय देने के लिए।

आज हमारे किशनगढ़ में एक गम्भीर विषय को लेकर मुझे यहां सूचना देनी है।

श्री अध्यक्ष: सीधी सूचना दो।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): हमारा साथी मोहित जैन जो गत रात्रि रोडवेज से केवल

दुर्घटनाग्रस्त नहीं एक तरीके से उसकी हत्या की गई और आज सुबह से हमारा पूरा जैन समाज राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल पर लगातार धरना देकर बैठा हुआ है लेकिन वहां का प्रशासन, वहां के उपखण्ड अधिकारी द्वारा...

श्री अध्यक्ष: सूचना। यह घटना हुई।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही उनके साथ, मतलब न उनका फोन उठा रहे हैं और उनका व्यवहार बड़ा ही चिन्ताजनक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं परिवार को पचास लाख रुपये का मुआवजा मिले और आदरणीय अध्यक्ष जी...।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह भाषण नहीं होता इसमें। सूचना। मुआवजे की मांग बाद में। सूचना हो गई, एक्सीडेंट हुआ है धरने पर बैठे हैं। सूचना का मतलब सूचना से होता है। अंकित नहीं।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: बैठो। हो गया। बाकी किसी अन्य नियमों में आइये। यह अंकित ही नहीं हो रहा है तो बोलने का कोई तुक नहीं है। मैं आगे से अनुमति नहीं दूंगा। आगे से फिर अनुमति नहीं दूंगा, बैठिये। बैठिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। इन्फोर्मेशन में यह होता है कि आप दो लाइन में यह बताओ कि वहां यह घटना हुई है, इसकी केवल जानकारी देना है। सरकार के संज्ञान में आ गई। बाकी कोई बात कहनी है तो अन्य नियमों में आइये।

माननीय श्री नरेन्द्र बुडानियां।

मेघसर ग्राम (तारानगर) में सड़क दुर्घटना में मृत व घायल

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, तारानगर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मेघसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक टीचर के रिटायरमेंट के समय उसको गांव छोड़ने बच्चे जा रहे थे तो बीस बच्चे तो घायल हो गये हैं और उनमें से चार सीरियस हैं जिनको जयपुर रैफर किया गया है और एक बच्चे की वहां पर डेथ हो गई है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि तुरन्त उनके उचित उपचार की व्यवस्था की जाये और उनको कुछ साधन उपलब्ध करवाया जाये। धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार कुछ करेगी या ऐसी ही ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न आये तो आप पूछना। जब आपका नम्बर आये तो आप पूछना। माननीय सदस्य। श्री जसवंत सिंह यादव। एक सेकंड। श्री जसवंत सिंह गुर्जर।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): यादव बना दिया साहब, आपने।

श्री अध्यक्ष: चलो, सब भारतवासी हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बाड़ी में वन विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों में अनियमितताओं की जांच

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 131 के अन्तर्गत आपने बोलने की जो इजाजत दी है उसके लिए धन्यवाद। मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाह

रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो घोटाला हुआ है...

श्री अध्यक्ष: ध्यान आकर्षित करिये। फिर वो बोलें उसके बाद बोलना। पद्धतियह है कि मैं ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, उप वन संरक्षक, वन्यजीव राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य, धौलपुर के अधीन कुदिन्ना नाम से कोई नाका नहीं है अपितु कुदिन्ना वनखण्ड है जिसका क्षेत्र, नाका सोने का गुर्जा के अधीन है। इस नाके के अंतर्गत, वर्ष 2023 24 में 450 हैक्टेयर में राशि 58.56 लाख रुपये व्यय की जाकर वृक्षारोपण कार्य करवाया गया था। उक्त कार्य पूर्ण कर नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष विभागीय मापदण्ड अनुसार पौधे का रिप्लेसमेंट का कार्य करवाया जा रहा है। उक्त कार्य हेतु राशि 18.81 लाख रुपये का बजट आंवटित किया गया है। अभी तक इस कार्य हेतु कोई बिल पारित नहीं हुआ है तथा ना ही किसी प्रकार का भुगतान किया गया है।

उप वन संरक्षक धौलपुर अधीन गजपुरा वन क्षेत्र में वर्ष 2023 24 में 310 हैक्टेयर में राशि 150.435 लाख रुपये व्यय की जाकर अग्रिम मृदा कार्य करवाया गया था। उक्त कार्य पूर्ण कर नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2024 25 में 360 हैक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य प्रगतिरत है, उक्त कार्य हेतु राशि 66.069 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है। अभी तक इस कार्य हेतु कोई बिल पारित नहीं हुआ है तथा ना ही किसी प्रकार का भुगतान किया गया है।

उप वन संरक्षक, वन्यजीव राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य, धौलपुर के अधीन नाका वन विहार में वर्ष 2023-24 में कुल 1700 हैक्टेयर में राशि 864.04 लाख रुपये व्यय की जाकर अग्रिम मृदा कार्य करवाया गया था। उक्त 1700 हैक्टेयर में से 50 हैक्टेयर क्षेत्र में वर्ष 2023 24 में ही राशि 7.12 लाख रुपये व्यय की जाकर वृक्षारोपण कार्य कराया गया था। इस वर्ष 2024-25 में 1650 हैक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य प्रगतिरत है। वृक्षारोपण कार्य हेतु वर्ष 2024-25 में कुल राशि 309 लाख रुपये का बजट आवंटन किया गया है। उक्त बजट के विरुद्ध अभी तक कोई बिल पारित नहीं किया गया है तथा ना ही किसी प्रकार का कोई भुगतान किया गया है। नाका वन विहार के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में किये गये वन विकास कार्यों के संपादन में पायी गयी मात्रात्मक एवं गुणवत्तात्मक कमी की जांच हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) PCCF राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 18.07.2024 से एस.आई.टी का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 में नाका सोने का गुर्जा पर तीन करोड़ का काम हुआ। मौका पर कोई काम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पच्चीस लाख रुपये का काम हुआ है। लगाये गये वृक्षों की मौके पर स्थिति क्या है? क्या भौतिक सत्यापन करवाया? वनपाल नाका गजपुरा में चार करोड़ का काम हुआ है 2022-23 में। मौके पर एक करोड़ का भी काम नहीं है। वनपाल नाका वनविहार, यहां आठ करोड़ का काम हो चुका है जबकि मौके पर कुछ भी नहीं है। डेढ़ करोड़ से ज्यादा का काम नहीं है, क्या इसके लिए भी एस.आई.टी. गठित करेंगे आप? वनपाल नाका केसर बाग़ यहां तीन करोड़ का काम बताया है जबकि मौके पर चालीस लाख रुपये का काम हुआ है। वनपाल नाका रामसागर यहां का 6 करोड़ का काम बताया है, मौके पर डेढ़ करोड़ का भी काम नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.एफ.ओ. से लेकर और फोरेस्टर तक मिलीभगत से इन्होंने कोई काम नहीं करवाया और न मौके पर कोई पेड़-पौधे लगे हुए हैं और न ही मौके पर कोई एनिकट वगैरह बने हुए हैं। एम.पी.टी. निर्माण बाउंड्री के नाम पर भी इन्होंने पैसे उठाये जबकि मौके पर कुछ भी नहीं है तो मेरी आपके माध्यम से मांग है कि एस.आई.टी. गठित करके उसकी जांच करवायें और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करें। यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। मुझे आश्वस्त करें सदन में। सभी कामों की एस.आई.टी. गठित करके... ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर सुन लीजिये।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): ठीक है, सर। थैंक यू।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरा सम्पूर्ण उत्तर माननीय सदस्य महोदय को आपकी मार्फत दिया है। माननीय सदस्य द्वारा बताये गये आंकड़े भी वैसे सही नहीं हैं। उदाहरण स्वरूप सोने का गुर्जा नाका ...

श्री अध्यक्ष: जो ये कह रहे हैं नहीं है, नहीं है उसका उत्तर दे दीजिये।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): हां तो इसमें हमने बताया कि 18.7. को एस.आई.टी. का गठन कर दिया गया है और इनकी जो भी शिकायत है उसकी अभी चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय प्रधान मंत्री जी एक पेड़ मां के नाम का अभियान चल रहा है, अगले दो महीने तक पेड़ लगाने का कार्य चल रहा है, उसके बाद में इस एस.आई.टी. के द्वारा पूरी सम्पूर्ण माननीय सदस्य को संतुष्ट करने वाली जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): धन्यवाद, साहब।

Kas/rtm/31.07.2024/13.00/1n

श्री अध्यक्ष: आप जांच करवाएं। श्री कैलाश चन्द वर्मा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि दो महीने

तो पेड़ लगायेंगे और फिर एस.आई.टी. काम करेगी, तो क्या इन दो महीनों में वह एस.आई.टी. भी पेड़ लगायेगी या काम करेगी?

श्री अध्यक्ष: दोनों काम करेगी।

आमेर के जैन मन्दिर की भूमि पर अतिक्रमण

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत तहसील आमेर, जिला जयपुर में भगवान जैन मन्दिर के नाम से दर्ज मन्दिर माफी भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैन मंदिर के नाम दर्ज ग्राम आमेर तहसील आमेर के खसरा नंबर 6459, 6460, 6461, 6462, 6463, 6464, 6466, 6468 किता 8 रकबा 1.41 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण के रूप में हुए पक्के निर्माणों के भौतिक सर्वे हेतु तहसील कार्यालय के आदेश क्रमांक 2120 दिनांक 20.02.2020 द्वारा 15 सदस्यीय दल का गठन कर भौतिक सर्वे किया गया। जिसकी रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नंबर पर हुए अतिक्रमण को भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 06.11.2020 को बेदखली के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

उक्त भूमि पर पक्के मकान व सघन आबादी काफी लम्बे समय से बसी हुई है (लगभग 100 पक्के मकान) एवं व्यावसायिक गतिविधियां होने के कारण पुनर्वास किये बिना अतिक्रमण हटाया जाना संभव नहीं है। प्रश्नगत भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण अतिक्रमण जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम द्वारा उनका पुनर्वास किया जाकर हटाया जाना है। इस हेतु जिला कलक्टर, जयपुर के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम हैरिटेज व जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को अतिक्रमण हटाने व पुनर्वास हेतु पत्र लिखे गये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है और पिछली पूर्ववर्ती सरकार के समय माननीय कलेक्टर महोदय, नगर निगम और जेडीए से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों के पत्र मेरे पास हैं। आपकी अनुमति होगी तो मैं लास्ट में टेबल करूंगा। इस गंभीर मामले में पिछले समय केवल कागजी कार्यवाही हुई। कागजों में योजना बनी कि अतिक्रमण हटेगा या नहीं हटेगा। तथ्यात्मक दस्तावेजों के आधार पर आसन का संरक्षण चाहते हुए मेरा राज्य सरकार से इस गंभीर मुद्दे पर निवेदन है कि जो लोग इस मामले में सम्मिलित हैं और जो लोग सनातन धर्म और भगवान की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ग्राम आमेर तहसील आमेर में जो अभी मंत्री महोदय ने जवाब दिया खसरा नंबर 59 से लेकर खसरा नंबर 66 तक, कुल 8 रकबा की 1.41 हैक्टेयर भूमि ठाकुर जी श्री नेमीनाथ जी जैन मन्दिर के नाम दर्ज है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रश्न तो पूछो।

श्री अध्यक्ष: ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, इनको चार मिनट तो बोलने दो।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): आप ज्यादा समझ रहे हो तो पूरे दस्तावेज आपको दे दूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बोलिए।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): जिस पर विशेष समुदाय के लोगों का अवैध कब्जा है। तहसीलदार आमेर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर 6.11.2020 को बेदखली के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह 295 नहीं है, ध्यानाकर्षण है।

श्री अध्यक्ष: वह कर दिया इन्होंने, उत्तर बोल दिया, उसके बाद बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)... यह काम मेरा है। ...(व्यवधान)... इनकी सीट की जांच होगी।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): मन्दिर की आस्था के साथ जो खिलवाड़ आप लोगों ने किया है, आप कहो तो कलेक्टर महोदय, जेडीए और मंत्री महोदय के पूरे दस्तावेज हैं मेरे पास, मैं बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप इधर बोलिए।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): मैं सदन में हवा में बात नहीं करता, मैं तमाम दस्तावेजों के साथ सदन में आता हूं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से इतना सा निवेदन है कि विगत सरकार ने तुष्टिकरण की नीति के चलते इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला और भगवान महावीर की आस्था को ठेस पहुंचाया। मेरी सरकार से यह मांग रहेगी कि इस समस्या के समाधान के लिये उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिये एक कमेटी का गठन किया जाये, जिसमें संभागीय आयुक्त जयपुर की अध्यक्षता में आयुक्त, जेडीए; जिला कलेक्टर, जयपुर एवं आयुक्त, जयपुर नगर निगम हैरिटेज सम्मिलित हो। उपरोक्त गठित समिति को संपूर्ण कार्यवाही हेतु अधिकतम समय प्रदान कर मामले का निस्तारण किया जाये और प्रश्नगत मन्दिर माफी की भूमि पर अवैध रूप से संचालित वाणिज्यिक गतिविधियों के अतिक्रमियों को 15 दिवस में हटाकर यह भूमि जैन मन्दिर भगवान महावीर को समर्पित की जाये, क्योंकि यह आस्था का मामला है और यह भूमि जैन मन्दिर के नाम है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त भूमि में अतिक्रमण हटाने के लिये एक कमेटी का गठन किया जायेगा। जिसमें संभागीय आयुक्त जयपुर की अध्यक्षता में आयुक्त जेडीए, जिला कलेक्टर जयपुर एवं आयुक्त जयपुर नगर निगम हैरिटेज सम्मिलित होंगे। उक्त कमेटी अतिक्रमियों की श्रेणी निर्धारित कर, उनमें से जो अतिक्रमी पुनर्वास की पात्रता रखते हैं, उनका जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बगराना, जयसिंहपुरा, खोर एवं ऐसे अन्य स्थानों पर निर्मित फ्लेट्स में पुनर्वास किया जा सकेगा। प्रश्नगत मन्दिर माफी की भूमि पर अवैध रूप से संचालित वाणिज्यिक गतिविधियों के अतिक्रमियों को भूमि से बेदखल किया जायेगा। उक्त गठित समिति द्वारा जल्दी से जल्दी इस मामले का निस्तारण

कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना। श्री सुमित गोदारा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.2 (5) Mino.Waq/2023, दिनांक 23.01.2024 जिसके द्वारा राजस्थान वक्फ नियम, 2023 बनाये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री झाबर सिंह खर्रा।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी एक्ट 2016 की धारा 78 के अंतर्गत राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री केसाराम चौधरी।

याचिका

भोजराज मोड़ पर नाले एवं रास्ते पर अतिक्रमण

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार घनला स्टेट हाईवे 61 नम्बर से गुडा भोजराज मोड़ पर नाले एवं रास्ते पर अतिक्रमण हटाने एवं सड़क के पास नाला बनाकर पानी निकासी करने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गुरवीर सिंह।

लालगढ़ जाटान नगरपालिका को ठोस कचरा प्लांट हेतु बजट का आवंटन

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार नगरपालिका, लालगढ़ जाटान को ठोस कचरा प्रबंधन हेतु भूमि एवं कचरा प्लांट हेतु बजट उपलब्ध करवाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर प्रियंका चौधरी।

बाकासर सरली राजकीय प्राथमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाकासर सरली को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: लोकायुक्त राजस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार।

विभिन्न विषयों पर विचार

लोकायुक्त राजस्थान के 35वें वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023) पर विचार

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि लोकायुक्त राजस्थान के 35वें वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

Msk/rtm/31.07.24/1310/ 1o

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे लोकायुक्त के इस प्रतिवेदन पर..

श्री अध्यक्ष: जिन्होंने नाम लिखाया है, वे सभी विषय-वस्तु पर ही बोलें, यह जो रिपोर्ट है, उस पर ही बोलें। इधर-उधर की बात न करें। 2023 पर बोलें।

एक माननीय सदस्य: कौन-कौन सा नाम है, वह भी बता दें।

श्री अध्यक्ष: आपको लिखाना है तो लिखाइये, आपको बताना आवश्यक नहीं है। आपका नाम अपने नेता से पूछ लें, सचेतक से पूछ लें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): विषय-वस्तु अलग है और 2023 अलग है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन 2023 पर ही विचार है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मान्यवर, प्रतिवेदन है, लेकिन विषय-वस्तु चीज अलग है। इस विषय-वस्तु पर यह प्रतिवेदन है। विषय-वस्तु का व्यापक रूप है।

सर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फिर भी आपकी भावना के अनुसार यथा संभव कोशिश करुंगा कि मामला इधर नहीं जाये और हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को नाराजगी नहीं हो जाये। जो मूल प्रश्न कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया है, यह विचार आज से नहीं है, यह विचार संविधान के द्वारा जो अधिकार दिये गये हैं, उसके अनुरूप है। सबसे पहले आज से 50 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने ही यह सोचा कि इस लोकतंत्र की परिस्थिति को विधिवत, सुव्यवस्थित बनाये रखने के लिए लोकायुक्त की आवश्यकता हो। मंत्री हो, अधिकारी हो, सरकार से सम्बन्धित जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में हो, तो इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। इस पर अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से ही कांग्रेस ने आज से 50 साल पहले यह सोचा और उसी के अनुरूप सबसे पहले उड़ीसा की सरकार ने इस लोकायुक्त को बनाया। उसके बाद 1973 में महाराष्ट्र ने बनाया।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि फरवरी, 1973 में राजस्थान की सरकार ने इस लोकायुक्त की नियुक्ति की। आज यह उस लोकायुक्त का 50वां वर्ष है। राजस्थान में पूरे देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पहली सरकार और पहली पार्टी

कांग्रेस है, जिसने इस बात पर सोचा और यह हुआ।

श्री सभापति: आप इधर देखें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं तो इधर ही कर रहा हूं, आप देखे ही नहीं। आपने देखते ही मुंह उधर कर लिया।

माननीय सभापति महोदय, यह सोच कि मंत्री तक भी इसमें शामिल किये गये। कोई मंत्री भी अगर करप्शन करता है और उसके खिलाफ शिकायत आती है तो लोकायुक्त को यह अधिकार दिया गया है। लोकायुक्त की नियुक्ति का जो प्रावधान है, जो कानून में लिखा हुआ है। वह निष्पक्ष रूप से पहले ही लिखा हुआ है कि मुख्य मंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और स्टेट का हाइकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, उनकी सलाह से लोकायुक्त होगा। ऐसा नहीं होगा, जैसा दिल्ली में होता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को तो नहीं पूछा जाये और सरकार अपने आप से ही नियुक्तियां कर दे। यह राजस्थान की सरकार ने या राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने नहीं सोचा। आप देखिये ...(व्यवधान)...

डॉ. सुरेश धाकड़ (बेगूं): उस समय आपके पास बहुमत नहीं था, तो आपके विपक्ष के नेता नहीं थे। ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सभापति महोदय, उनको अलाऊ कर रहे हैं तो मैं क्या करूं।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य बैठे-बैठे नहीं बोलें। बोलने दीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 01.01.2023 से 31.12.2023 तक 3,936 प्रकरण/ परिवाद तो इनके पास पूर्व से लंबित थे। इस कालावधि में इनके पास 2,063 और आये और 5,999 कुल आयोग के सामने विचारार्थ हो गये, लेकिन जो गति है, लगातार ये शिकायतें बढ़ती जा रही है, जब से यह लोकायुक्त बना। आप वर्षवार देख लें, ये शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। चाहे उनके संसाधनों की कमी हो, चाहे अपनी ओर से व्यवस्था की कमी हो। चाहे अपनी ओर से उनको संसाधन नहीं दिये जा रहे हों, उनकी वजह से हो, लेकिन जितनी कंपलेंट्स आ रही हैं, उसके अनुरूप में केवल मात्र 40 प्रतिशत और 41 प्रतिशत से अधिक का निस्तारण नहीं हो रहा है। मैं इस बात का भी स्वागत करुंगा कि लोकायुक्त बनने के बाद करप्शन के मामले में लोकायुक्त ने जो कार्यवाही की, 56 लाख 46 हजार रुपये, जो उन्होंने करप्शन करने वाले लोगों से जो जब्त किये, मैं इस बात का तो स्वागत करता हूं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने बड़े राजस्थान में लगातार आप देख रहे हैं, करप्शन के हालात आप और हम देख रहे हैं। चाहे सरकार किसी की भी हो। पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जो काम किया, उसका करप्शन मिटाने का इतिहास कायम किया है। इस बात के लिए मैं पूर्ववर्ती सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना अंकुश। चाहे वह आईएएस हो, आईपीएस हो, आरएएस हो, आरपीएस हो, चाहे साधारण पटवारी से लेकर अन्य कर्मचारी हो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): चाहे आरपीएससी का मेम्बर हो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि corruption, high-handedness, or inaction of the Officers, ये उनके सामने जांच करने के तीन प्रकरण हैं, खाली करप्शन ही नहीं है। inaction भी है, high-handedness भी है और corruption भी है, यह पूरा दायरा है, उनका। आप एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहां चले जाओ। पुलिस जो अत्याचार करती है। 107 और 151 में गिरफ्तार कर लेती है, ले जाती है, फिर सिफारिशें हो जाती हैं तो उस 107 और 151 के मामले में एसडीओ और तहसीलदार जो जमानत पर राइडर लगाते हैं, तस्दीकशुदा लाओ, इतने लाख की लाओ, ये लाओ। यह बात भी लोकायुक्त के द्वारा इस रिपोर्ट में डिडक्ट की गयी है कि हमारे जो एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, वे लगातार इस प्रकार के राइडर लगाकर लोगों के जो अधिकार हैं, लोकतंत्र में जिनको जाने का अधिकार है, उन पर पाबंदी लगाते हैं और इस बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यह लगातार हो रहा है। 107 की कार्यवाही पुलिस वाले करते हैं, अपराध को एक तरफ रखते हैं, मजिस्ट्रेट और तहसीलदार को आदेश दे देते हैं। मजिस्ट्रेट और तहसीलदार कलेक्टर और इनके कहने से राइडर लगाकर उस गरीब आदमी को जमानत पर नहीं छोड़ते हैं, यह रिपोर्ट भी आपके सामने की है।

यही नहीं, 1973 में लोकायुक्त का जो यह एक्ट पास किया गया। मान्यवर, उस लोकायुक्त के एक्ट में आज तक कोई परिवर्तन, कोई संशोधन किसी भी सरकार ने किया हो तो वह आप मुझे बता दें। इनको अधिकार नहीं है। आप दूसरी जगह के लोकायुक्त को देखें। आपको और हमको यह चाहिए कि इस लोकायुक्त को मजबूत करने के लिए उनको और अधिकार दें। मैं तो यह चाहूंगा कि इनकी अलग, जैसे कि दूसरे स्टेट में इनकी पुलिस अलग हो, इनका सिस्टम अलग हो। सीधा जाकर सम्पत्ति को जब्त कर सकें, सीधा जाकर ये उनको अरेस्ट करवा सकें, सीधा जाकर ये काम कर सकें, इस प्रकार के प्रोविजन की आवश्यकता है। यह अधिकार दंतविहीन लोकायुक्त है, आज की तारीख में। इनको और अधिकार दिये जाने की आवश्यकता है।

इसके साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में मौजूदा कानूनों के नियमों का सरलीकरण करने का काम भी लोकायुक्त का है। आप यह बताइये कि जो कानून बने हुए हैं और जिनका एक्जीक्यूशन जिन लोगों को करना है, जिन लोगों को प्रशासनिक रूप से काम करना है, वे अपने मनमाने ढंग से उन कानूनों की व्याख्या करके गलत ढंग से काम कर रहे हैं। ऐसी सूचनाएं भी लोकायुक्त ने आपको दी है। मैं जानना चाहूंगा कि लोकायुक्त ने आपको 51 गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए किया क्या? आप मुझे बतायें, जब आप बोलें कि इन 51 लोगों के खिलाफ, जो लोकायुक्त ने आपको जानकारी दी है, करप्शन की हो, अनुशासनहीनता की हो, कैसी भी हो। आप यह बताने की मेहरमानी करें कि इन 10 महीनों में आपने कितने कर्मचारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की, यह आप हमको बताने का कष्ट करें।

mdp/rtm/31.07.2024/13:20/1p

एक ओर तो कांग्रेस पार्टी का यह सोच कि लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, भ्रष्टाचार कैसे मिटे, इतने साल पहले, जब आप लोगों का, आपकी विचारधारा का जन्म भी नहीं हुआ था, तब कांग्रेस ने सोचा था। आपने देखा होगा दिल्ली में 2013-14 में कैसा नाटक किया था? अन्ना हजारे जी, एक नाटक किया था वहां लोकायुक्त बनाने का और उस नाटक में आपकी विचारधारा के अनेक लोग शामिल हुए। वहां पर लोकायुक्त की बात की थी, उससे 50 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में लोकायुक्त नियुक्त कर दिया था। वहां के जो हालात हैं, आपने तो एक ही काम किया कि डॉ. मनमोहन सिंह जैसा ईमानदार प्रधान मंत्री जो आज भी 800 मारूति कार में घूमता है, ऐसा प्रधान मंत्री नहीं होगा, उसको अन्ना हजारे के माध्यम से 2013-2104 में सरकार को बदनाम करने में आप लोग शरीक थे।

सभापति जी, आज जो हालात हैं, वह देखने लायक है। आपने क्या कर दिया इसके बाद, वहां अन्ना हजारे के उसमें जाने के बाद? कौनसे लोकायुक्त में क्या परिवर्तन कर दिया? कौनसा नया कानून बना दिया? कौनसा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कोई काम कर दिया? आप शून्य हैं। आप खुद उद्योगपतियों से मिलकर अपनी संपत्ति को बेशुमार लुटाकर, ये करप्शन नहीं है? हम एक स्टेट की एक 10 करोड़ की जमीन, 1 करोड़ में, 50 लाख में उद्योगपति को दे दें। क्या यह करप्शन नहीं है? कितना बड़ा करप्शन है, जो आपके सामने है। आपने सिस्टम को चेंज किया है। आपके नेताओं ने सिस्टम को चेंज किया है और ये चेंज किया है कि आप सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के भाव धन्ना सेठों को लुटा रहे हैं। इस करप्शन की ओर आपका कोई ध्यान नहीं है। मैं चाहूंगा कि लोकायुक्त को भी यह अधिकार होना चहिए कि अगर सरकारी संपत्ति कोई भी सरकार कौड़ियों के भाव अपना चंदा लेने के लिए, अपने कार्यालय बनाने के लिए, अपना चुनाव लड़ने के लिए, अगर सरकारी संपत्ति को लुटाता है, तो वह भी करप्शन का भाग है। आप ईमानदार बने रहना चाहते हैं और काम करप्शन का कर रहे हैं। पूरे राष्ट्र के हालात है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकायुक्त को और अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए ताकि लोकतंत्र में जो भ्रष्टाचार है, उसको रोका जा सके। जो दुरुपयोग करते हैं, ईमानदार बनकर के, साधु-संत बने रहकर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो कौड़ियों के भाव सरकारी संपत्ति को लुटा रहे हैं, उन पर भी अंकुश लगना चाहिए। उनकी ईमानदारी का पर्दाफाश किया जाना चाहिए कि किस दल ने संपत्ति लुटाने के बाद सरकारी संपत्ति देने के बाद, कितना चुनाव लड़ने के लिए कितना चंदा लिया? कितना चंदा कार्यालय बनाने के लिए लिया? कितना पैसा उन उद्योगपतियों से लिया? यह करप्शन है। इस करप्शन पर भी अंकुश लगाने के लिए सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं बहुत अधिक नहीं कह कर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोकायुक्त कैसे मजबूत हो, इसकी मजबूती में लोकतंत्र, कल आप वहां हैं, आज हम यहां हैं, ये परिवर्तन तो होता रहेगा, लेकिन करप्शन कैसे मिटे, उस करप्शन की तरफ आप लोकायुक्त को और अधिक शक्तिवान बनाएं, अधिक ताकतवर बनाएं, अधिक उसको पावर

दें और अधिक उसकी व्यवस्था करें। मैं ये सरकार से चाहता हूं। मुझे अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: आप और बोल सकते हैं, साहब। थोड़ी देर और बोलना चाहेंगे? थोड़ी देर और बोले साहब। नहीं, श्री सुभाष गर्ग। नाराजगी रहती है। मैंने कहा और बोलना चाहे?

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): समय बढ़ा रहे हैं क्या?

श्री सभापति: आप उठे ही नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं तो सभापति जी के डर से ही बैठ गया।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): 35वां वार्षिक प्रतिवेदन जो 2023 के लिए समर्पित है, उसके सम्बन्ध में चर्चा करना चाहूंगा। मैं कोई बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। केवल जो बेसिक स्ट्रक्चर है, लोकायुक्त की जो परिकल्पना की गयी है। वह परिकल्पना इसलिए की गयी थी कि सार्वजनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार है, उसको कैसे खतम किया जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए, कैसे अंकुश लगाया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्ववर्ती सरकार को जो 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त अधिनियम लाकर इस बात की पुख्ता व्यवस्था की गयी।

सभापति जी, हम चर्चा कर रहे हैं। इस लोकायुक्त प्रतिवेदन को मैंने देखा है, थोड़ा-सा पढ़ा भी था। इसमें केसेज का ज्यादा विवरण दिया गया है। इन्होंने अपनी रिकमंडेशन में कहा है, बेसिक स्ट्रक्चर रिकमंडेशंस दिए हैं कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाए और क्या सीमाएं हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में हम भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं और इस लोकायुक्त जैसी संस्था, जो एक बड़ी अच्छी संस्था बनायी गयी थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति सीधी एक सिम्पल एप्लीकेशन भी दे देगा, तो उसकी सुनवाई होती है। उसको बहुत प्रोसीजर सिस्टम से नहीं गुजरना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि हमारे क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अभी तक इसमें क्या है कि क्षेत्र इसका बहुत सीमित है। आप जानते हैं कि लिबरलाइजेशन का युग है, प्राइवेटाइजेशन का युग है। सरकार भी प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से डवलपमेंट करना चाहती है। एनजीओज की भूमिका बढ़ी है। ऑटोनोमस आर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भूमिका बढ़ी है। यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वे भी इसमें शामिल होने चाहिए। यह मेरा एक सुझाव है, क्योंकि अल्टीमेटली वह भी कहीं न कहीं नेचुरज रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं। चाहे वह उद्योगपति हैं, उद्योग कारखाने हैं, उन सबको लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए। मैं समझता हूं कि चाहे ये पक्ष हो, चाहे वह पक्ष हो, किसी को आपत्ति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जो नेशनल रिसोर्सेज का उपयोग कर रहा है, जमीनों का आवंटन करा लेते हैं, फिर 20-20, 30-30 वर्ष उत्पादन नहीं होता है। सस्ती दरों पर भूमि को ले लेते हैं। किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है। एक तो मेरा सुझाव ये है कि इसमें निगम, विश्वविद्यालय, एनजीओ, लोकल बॉडीज, पंचायत सिस्टम, ये इंस्टीट्यूशंस प्लस प्राइवेट सेक्टर

को भी इसमें शामिल किया जाए तो एक बहुत बड़ा प्रयास होगा सरकार का।

दूसरा, इसमें क्या है कि आम आदमी को तो अधिकार है शिकायत करने का, लेकिन पब्लिक सर्वेंट इसमें शिकायत नहीं कर सकता। अगर पब्लिक सर्वेंट के, लोक सेवक के संज्ञान में भी कोई चीज आती है, तो उसको भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि कई बार कई पब्लिक सर्वेंट बहुत ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। वे भी चाहते हैं कि सिस्टम सुधरना चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर लोक सेवक भी कोई शिकायत करना चाहता है तो वह भी शामिल किया जाए।

तीसरा, मैं हरिमोहन शर्मा जी की बात से भी सहमत हूं कि जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इन लोगों को अधिकार है सर्च और सीजर का, वह भी अधिकार लोकायुक्त को मिलना चाहिए। इसके लिए एक विशेष पुलिस इकाई का गठन करना चाहिए, जो डायरेक्ट लोकायुक्त के नियंत्रण में काम करे। इसके साथ-साथ अगर हम उदाहरण देखें, बड़ी अच्छी बात कही थी, चार राज्यों की स्टडी करवा लें मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इनका जो लोकायुक्त अधिनियम है, इनके जो प्रोविजंस हैं, बड़े अच्छे हैं। केरल तो और भी आगे निकल गया है। इसकी आप स्टडी करवाएं।

एक बात और कहना चाहूंगा कि इनको मैनेजिरियल एंड फाइनेंशियल इकोनॉमी दी जानी चाहिए। जब कोई भी इस तरह की संस्थाएं, एजेंसीज, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, चाहे वह सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इन्कम टैक्स हो, चाहे एसीडी हो और चाहे लोकायुक्त हो, तो वहां गवर्नमेंट का प्रभाव रहता है। मेरा तो यह मानना है कि सारी एजेंसीज को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसिजंस दिए हैं और उन्होंने भी इन इंडिपेंडेंट एजेंसीज की भूमिका पर भी कई प्रश्नचिह्न, मैं शब्द का तो प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इनकी इंडिपेंडेंट वर्किंग पर कई क्वेश्चन मार्क किए हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने।

इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आजकल सायबर फ्रॉड्स का बड़ा जमाना है। इसमें तकनीकी सेल भी, इनको आईटी का सेल, लोकायुक्त व्यवस्था का आईटी सेल की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ मेरा यह भी कहना है कि लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार का विस्तार करते हुए आज जो वर्तमान दौर में हो रहा है, कोचिंग सेंटर, बेसमेंट की बात कर रहा हूं, वह भी एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है कि कैसे एजेंसीज चाहे वह यूआईटी, नगर निगम, जेडीए, कैसे व्यापारिक गतिविधियों के लिए, औद्योगिक गतिविधियों के लिए या कोचिंग सेंटर्स के लिए बेसमेंट की परमिशन देते हैं, इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपाल शर्मा।

Ans/rtm 13.30 1q 31.07.2024

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय सभापति महोदय, समय देने के लिए मैं

आपका आभार प्रकट करता हूं। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की यह रिपोर्ट मैंने देखी है, बड़े ध्यान से देखी है। मैं विद्वान सदस्य, हरिमोहन जी की बात से सहमत हूं कि यह एक साल की रिपोर्ट नहीं है, इसके पीछे की घटनाएं बहुत लंबी है। एक साल की इसलिए क्योंकि उस साल के अन्दर, उसके ऊपर कार्यवाही हुई। जो शिकायतें दर्ज हुईं वे भी उसके अन्दर शामिल हैं और जिन शिकायतों का निराकरण हुआ, वह भी उसके अन्दर शामिल है।

विषय यह है कि एक बार संयोग से मुझे लोकायुक्तों के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने का मौका मिला। देश के सभी लोकायुक्तों का यह विषय था कि हमारे पास ऐसी ताकत नहीं है कि हम इस पर कार्यवाही कर सके। बूंदी से आने वाले विधायक महोदय ने कहा कि यह दंत विहीन है। मैं कहता हूं कि यह नख-दंत विहीन है। इसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई शक्तियां नहीं हैं, जिनके कारण यह कार्यवाही कर सके और शक्तियां है तो भी लोकायुक्त बनाने वालों के जाल में उलझकर रह जाती हैं। मैंने कुदाल साहब, एम.एल.श्रीमाल साहब, मिलाप चंद जी जैन साहब को लोकायुक्त रहते हुए, उनके दर्द को महसूस किया है। मैं केवल दो बात से असहमत हूं, उनके ऊपर मैं बाद में आऊंगा।

मैं यह बताना चाहता हूं कि क्या लोकायुक्त की परिधि के अन्दर सिर्फ छोटे अधिकारी आते हैं? क्या लोकायुक्त की परिधि के अन्दर क्या छोटे कर्मचारी आते हैं? लोकायुक्त ने जिनके ऊपर भी कार्यवाही की है, उसमें एक भी बड़े अधिकारी का नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, मामले बहुत होते हैं, लेकिन वे अपने-अपने तरीक़ों से अलग हो जाते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो।

सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि राजस्थान सामान्य राज्य नहीं है। राजस्थान की अपनी एक खासियत है। यहां की सड़कों के ऊपर वीरों की हड्डियों की धूल बनी है और शांति से सोचेंगे तो चेतक के टापू की आवाज और मीराबाई के गीतों की आवाज सुनाई देती है।

महोदय, मोहनलाल जी सुखाड़िया, हमारे राजस्थान के सबसे ज्यादा समय तक मुख्य मंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। उनके विनम्र व्यवहार को आज भी लोग याद करते हैं और यह कहते है कि अगर किसी मुख्य मंत्री ने अपने कर्मचारी को अपने से अलग नहीं समझा तो वह सुखाड़िया जी थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने सुखाड़िया जी का एक पत्र पढ़ा है। जब वह कर्नाटक के राज्यपाल थे तो उन्होंने अपने बेटे को पत्र लिखकर कहा कि जो लोन लिया हुआ है उसका एक हजार रुपये कैसे चुकाओगे, यह है ईमानदारी का प्रतीक।

श्रीमान भैरोसिंह जी शेखावत, जिन्होंने राजस्थान में प्रतिपक्ष को आवाज दी। इमरजेंसी में जब वह 19 महीनों तक जेल में थे, तो उनकी पुत्री और पत्नी ने किस तरह से घर चलाया इसको सारा राजस्थान जानता है, यह है हमारी ईमानदारी का प्रतीक। वह ईमानदारी जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है क्या वह ईमानदारी सुरक्षित है?

माननीय महोदय, चाहे कोई भी लोकायुक्त हो, पेज नम्बर 124, इस रिपोर्ट में एक घटना का जिक्र है। जिसमें एक तरफ प्रभुदयाल है और एक तरफ रतनलाल है। अब लोकायुक्त क्या

कर रहे हैं? एक ने दूसरे के घर के सामने गाय बांध दी। गाय बांधने से दूसरे वाले को तकलीफ होने लगी। इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया है किहमने उस गाय को हटवा दिया, क्या यह लोकायुक्त का काम है? लोकायुक्त का काम है लोक के ऊपर आयुक्त। लोक के ऊपर आयुक्त, यह जो नाम है, हमारे बहुत ही बड़े प्रियतम, राजस्थान के यशस्वी वकील और राजनयिक एम.एल. सिंघवी साहब का रखा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय के जरिए निवेदन करना चाहता हूं, अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन किया, उसके पीछे के जो कारण बताए गए, उससे मैं अपने को सहमत नहीं पाता। इसका कारण है कि मनमोहन सिंह जी को मैं एक बेहद ईमानदार प्रधान मंत्री मानता हूं। इसमे कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या उस रात को भूल जाऊं जब बाबा रामदेव के नेतृत्व में 50 हजार लोग धरने पर बैठे थे, उनको जिस तरह से लाठियों से मारा गया, कुचला गया और आंदोलन हटाया गया। सभापति महोदय, मैं आपको सबूत के साथ कह सकता हूं। अन्ना हजारे के गांव मैं कई बार गया हूं। अन्ना हजारे से बहुत सम्बन्ध रहे हैं। उनकी गाड़ियों की मरम्मत का काम बीसियों वर्षों से कांग्रेस के मुख्य मंत्री रहे हुए लोग करते हैं। तो मैं यह नहीं मान पाता कि अन्ना हजारे जी मनमोहन सिंह जी के विरोधी थे। जब हमारे भारत रत्न रहे प्रणव मुखर्जी जी पांच कैबिनेट मंत्रियों के साथ अन्ना हजारे जी को लेने जाते हैं और समझाने जाते हैं, तो मैं समझ नहीं पाता कि कौन किसके साथ है, कौन किसका विरोधी है। अन्ना हजारे जी ने मेरे से कहा कि मैंने अपने जीवन में पूरा उपवास एक ही दिन किया है। पूरा उपवास एक दिन, जिस दिन इंदिरा जी की हत्या हुई। अब फिर कोई यहां साबित करे कि अन्ना हजारे जी मनमोहन सिंह जी के विरोधी थे, तो हम लोकायुक्त की जो यह रिपोर्ट है, उसके खिलाफ जाने का काम करते हैं।

सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं सब्जेक्ट के ऊपर हूं। विषय से सटकर चल रहा हूं, हटकर नहीं चल रहा हूं। एक बार माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी पत्रकारों के राष्ट्रीय अधिवेशन में जयपुर आए। हिन्दुस्तान की पहली घटना थी जब भैरोसिंह जी शेखावत चीफ मिनिस्टर होते हुए श्रोताओं में बैठे थे और कांग्रेस के पूर्व मुख्य मंत्री शिवचरण जी माथुर अध्यक्षता कर रहे थे। वाजपेयी जी ने कहा कि ठाकुर साहब इधर आईये, तो भैरोसिंह जी ने कहा कि आज हम श्रोता है। आज माथुर साहब है हमारे। इस तरह के चरित्र के रहते हुए, कभी किसी पार्टी की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ हाथ उठाते हैं, तो हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी सही कहते हैं कि हम किसी की तरफ एक अंगुली करते हैं तो चार अंगुलिया हमारी तरफ होती है।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने तो वह जमाने देखे हैं, जमाने देखने का मतलब बहुत बूढा नहीं हूं माननीय सदस्या जी। एक अमेरिकन मैगजीन न्यूज वीक के अन्दर एक आर्टिकल छपा, उसके अन्दर हमारे एक नेता की डिग्रियों के ऊपर सवाल उठाया गया कि इनकी डिग्रियां फर्जी है। इनकी डिग्रियां फर्जी हैं और परिणाम क्या निकला कि अगले साल उनको बुलाकर पद्मभूषण दे दिया गया। मैं नेता जी का नाम नहीं बताऊंगा। चूंकि

वह अमेरिका के बहुत बड़े पत्रकारों में है रफीक जकारिया जी, इसलिए उनके नाम का उल्लेख करना चाहता हूं, कभी भी चेक कर सकते हैं कि उनको पद्मभूषण दिया।

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मेरा दूसरा निवेदन है कि यह रिपोर्ट है, यह बिना पढ़ी हुई रिपोर्ट है। शायद लोकायुक्त महोदय ने भी इसको पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मुझे इस पर संदेह है। उसका कारण है कि जिस रिपोर्ट के अन्दर दो पेज लगाए गए हैं, ऐसे दो लोगों के, जिनको लोकायुक्त के जरिए न्याय मिला। सिर्फ दो पेज है, फोटो स्टेट करके दो पेज की चिट्ठियां छापी हुई है, जिसके ऊपर यह है कि इन लोगों को लाभ मिला, लोकायुक्त से न्याय मिला।

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): एक मिनट। एक चिट्ठी है, उसमे लास्ट में यह लिखा हुआ है कि कृपया शेष राशि का भुगतान करवाने का कष्ट करे। अगर लोकायुक्त का यह न्याय है तो फिर उसको क्या माना जाए। जब एक व्यक्ति दो चिट्ठियां लगा रहे हैं और एक चिट्ठी इस बात की है कि उसको न्याय ही नहीं मिला।

श्री सभापतिः विराजिए। श्री घनश्याम।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): तो मेरा अंत में बैठते समय, सिर्फ यह निवेदन है कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा जाल है कि उसके लिए आग पर चलना पड़ता है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम लोग इसी तैयारी के साथ विधान सभा में है। धन्यवाद।

VPS-RTM-31.07.2024-13.40-2a

श्री सभापतिः आप विराजिये।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): माननीय सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपको और आपके मार्फत माननीय अध्यक्ष महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि वे प्रतिवेदन की चर्चा यहां पर करवाते हैं, हाउस के अन्दर उन्होंने यह शुरू किया है लेकिन उसके साथ ही एक निवेदन भी है कि यह प्रतिवेदन हमारे पास नहीं पहुंचा तो आज हम सार्थक बहस, चर्चा के अन्दर हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं और मुझे तो खुद को भी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहां पर चर्चा चल रही है तो आगे से माननीय अध्यक्ष महोदय यह व्यवस्था कर दें कि प्रतिवेदन एक दिन पहले आये तो हम लोग पढ़कर आयें ताकि चर्चा के अन्दर हिस्सा ले सके।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, लास्ट टाइम भी यह बात हुई थी जब पिछले प्रतिवेदन पर चर्चा हुई थी तो उस समय भी अवगत करवाया गया था।

श्री सभापतिः श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे लोकायुक्त संस्था पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, लोकपाल, लोकायुक्त नाम से मशहूर कानून विद डॉक्टर एम.एल. सिंघवी ने वर्ष 1963 में यह नाम दिया। यह शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। 'लोक' यानी लोगों और 'पाल' यानी संरक्षक शब्द से रखा गया।

माननीय सभापति महोदय, इस संस्थान की स्वीडन में सबसे पहले स्थापना की गयी। कानून के उल्लंघन करने वाले अधिकारी या कर्मचारी, नेता को दंडित करने के लिए एक सभासद नियुक्त किया गया। इसके उपरांत समय-समय पर इसके संशोधन होते रहे जिससे एक अधिकारी की जांच कार्य के जो किसी भी स्थिति में सरकारी अधिकारी नहीं होगा, माननीय सभापति महोदय, इस संस्था का मुख्य कार्य लोक सेवकों द्वारा विधि नियमों और विनियमों का उल्लंघन, अनुपालना से सम्बन्धित प्रकरणों की जांच था।

माननीय सभापति महोदय, लोकायुक्त का गठन यहां पर ही नहीं बल्कि दुनिया में करीब 135 देशों में किया गया और 135 देशों में जो नियुक्ति दी गयी उसके साथ ही भारत और राजस्थान में 1973 में लोकायुक्त का गठन कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले किया जिसको आज पचास साल हो गये और पचास वर्ष से लगातार राजस्थान में जन अभियोग निगरानी के लिए जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग भी कार्यरत था।

माननीय सभापति महोदय, संस्था का समावेश नहीं हो सका जिसके माध्यम से मंत्रियों, सचिवों और लोक सेवकों के विरुद्ध पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, निष्क्रियता की शिकायतों की जांच अन्वेषण किया जा सके। माननीय सभापति महोदय, इस देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए तो बहुत सारी संस्थाएं बनायी गईं। सी.बी.आई. हो, ई.डी. हो और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हो, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं पर जिस तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश इस देश में नहीं लग पा रहा है तो इसके लिए सबसे अगर उपयुक्त कोई संस्था है तो यह लोकायुक्त है और लोकायुक्त को ज्यादा मजबूत करने के लिए मेरा यह मानना है कि इसके माध्यम से लोगों में विश्वास और संतोष पैदा करने की भावना जनता में जब आयेगी जब हम बड़े लोगों पर कार्यवाही करेंगे। आज नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, आई.ए.एस. हो, आई.पी.एस. हो, वे भ्रष्टाचार करते हैं तो उन पर कार्यवाही नहीं होती है, वह जीरो परसेंट है और यह होता है। आज हम नहीं कहे कि कोई नेता इस प्रदेश का हो, देश का हो, ईमानदार है तो वह जनता भी जानती है और भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को जनता भी जानती है पर उनके खिलाफ जो कार्यवाही होती है वह बिलकुल जीरो है।

आज जो शिकायतों का आंकड़ा है, आप यह जान सकते हैं कि आपकी सरकार में 2013 से 2018 के बीच में 53 हजार मामले आये, शिकायतें आईं और हमारी पूर्ववर्ती सरकार में सिर्फ 22 हजार मामले ही आये हैं तो यह कितना बड़ा अंतर है? आप यह जान सकते हैं कि जिस तरह के हालात इस देश में भ्रष्टाचार का है तो इस पर अंकुश लगाने के लिए हमको लोकायुक्त को और सशक्त और मजबूत करना होगा और उसको ताकतवर बनाने के लिए उनको दफ्तर की, स्टाफ की, कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी। उसके साथ-साथ जो हालात अब पैदा हो रहे हैं, दिनों दिन जैसे संविधान और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है तो उससे

भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। संविधान और लोकतंत्र की अवधारणा में ही यह लोकायुक्त बना है और लोकायुक्त जब मजबूत होगा तो निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

माननीय सभापति महोदय, जनता में विश्वास पैदा करने के लिए आप इसको बहुत ताकतवर बनाना होगा और सभी राजनीतिक दलों को इस पर सोचना होगा। सब राजनीतिक दल मिलकर अगर लोकायुक्त को मजबूत करने की मंशा रखेंगे तो निश्चित रूप से जनता में सार्थक परिणाम आयेंगे। लोकायुक्त एवं तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश 03 फरवरी, 1973 से प्रभाव में लाया गया। 26 मार्च, 1973 को इस पर माननीय राष्ट्रपतिजी की स्वीकृति भी हो गयी थी। तब से यह लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के रूप में प्रदेश में प्रभावी है। इसको पचास साल हो गये। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकायुक्त संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। प्रदेश में कु-प्रशासन एवं भ्रष्टाचार दीमक की तरह धीरे-धीरे राष्ट्र की नींव को नष्ट कर रहा है। भ्रष्टाचार आज देश को कमजोर कर रहा है। आप जानते हो कि पिछले चुनावों में, अभी लोक सभा के चुनाव में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ और बहुत सारी संस्थाओं से जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से पैसा लिया गया और उन लोगों से लिया गया जो हमारे देश में बूचड़खाने चला रहे हैं, उनसे भी इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा लिया गया। वैक्सीन की जो कम्पनियां हैं, उनसे भी पैसा लिया गया और वह कितना भ्रष्टाचार हुआ, यह देश के सामने जग जाहिर हुआ है और यह एक शर्मसार करने वाली बात है कि हम ऐसी संस्थाओं से पैसा ले रहे हैं और फिर इस देश का चुनाव हो तो वह स्वच्छ चुनाव कैसे हो सकता है? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एजेंसीज बहुत सारी बनाईं पर जैसे सी.बी.आई. है तो सी.बी.आई. भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। वह भी जिस तरह से पंगु हो जाती है तो इस तरह से हमको लोकायुक्त को, लोकपाल विधेयक को मजबूत करना है और यह जब मजबूत होगा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार कम होगा। नेताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों पर अंकुश लगेगा। अभी माननीय सदस्य श्री सुभाषजी गर्ग ने कहा कि ऐसी प्राइवेट एजेंसीज भी हैं, प्राइवेट कम्पनीज भी हैं, विश्वविद्यालय है, उनमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और वे हमारे दायरे में नहीं आते हैं, सरकार के दायरे में नहीं आते हैं, वे सीधे राज्यपाल के दायरे में आते हैं तो उनको भी लोकायुक्त के दायरे में रखा जाये और लोकायुक्त के दायरे में रखेंगे और उन पर कार्यवाही होगी तो निश्चित रूप से ऐसी संस्थाओं पर भी अंकुश लगेगा।

श्री सभापति: विराजिये। धन्यवाद। श्री अशोक कोठारी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने हमें लोकायुक्त राजस्थान प्रतिवेदन पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका आभार एवं धन्यवाद।

कुशासन, भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है जो धीरे-धीरे राष्ट्र की नींव को नष्ट कर देता है

और प्रशासन को अपना कार्य पूरा करने से रोकता है। सीधे तौर पर जनता प्रभावित होती है, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए दोषी लोक सेवक को दंड और निर्दोष को संरक्षण की भावना से लोकायुक्त प्रदेश में वर्ष 1973 से प्रभावी है। लोकायुक्त संस्था का सृजन जन साधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जांच एवं अन्वेषण करने हेतु हुआ है। इस हेतु लोकायुक्त का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह राजस्थान की एक उच्चस्तरीय वैधानिक एवं स्वतंत्र संस्था है इसलिए इस संस्था को प्रशासन के प्रहरी की संज्ञा भी दी गयी है जो कानून का उल्लंघन करने वाले को दंडित कराने का कार्य करती है। यह सरकार के सलाहकार संस्थान के रूप में जानी जाती है किंतु उक्त संस्था लोकायुक्त के कार्यक्षेत्र से अभी भी किंचित पदों पर आसीन पदाधिकारियों को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। जिससे लोक सेवक क्षेत्राधिकार के अभाव में लोकायुक्त की जांच से दंडित कार्यवाही से न केवल बच निकलते हैं, अपितु अन्य भ्रष्टाचारी लोगों के लिए उदाहरण भी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए पंचायती राज विभाग की विभिन्न लाभकारी, जन कल्याणकारी योजनाओं में प्राप्त होने वाली धनराशि का पंचायत स्तर पर दुरुपयोग करने की बहुत शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं जिनकी जांच में लोक सेवक अनियमितता बरतने और राहत कोष को हानि पहुंचाने के ठोस सबूत होने के बावजूद भी आरोपी के विरुद्ध क्षेत्राधिकार के अभाव में कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है।

SSY/RTM/31.07.2024/13:50/2b

इससे ना केवल दोषी लोक सेवकों को अनुचित प्रोत्साहन मिल रहा है अपितु गबन की राशि की भी प्रभावी वसूली नहीं हो पा रही है। अत: इस कारण इसको और भी सशक्त करना अति आवश्यक है। इसके लिए लोकायुक्त कार्य प्रणाली का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए। आज भी जन मानस को अपनी शिकायत हेतु सही द्वार नहीं मिल पा रहा है।

अगर कोई रिश्वत का मामला है तो लोकायुक्त संस्था स्वयं संज्ञान लेते हैं, इनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ ही रिश्वत है। सो किसी भी लोक सेवक के रिश्वत में पकड़े जाने पर भ्रष्टाचार निरोधक के साथ-साथ उनके विरुद्ध लोकायुक्त की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए।

देश के अन्य लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान लोकायुक्त को भी संपत्ति एवं दस्तावेज को सर्च एवं सीज हेतु वारंट जारी करने की शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। लोकायुक्त की सिफारिशों को गंभीरता से लिया जाकर सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं केरल लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप लोकायुक्त राजस्थान द्वारा भी की गई जांच उपरांत लोक सेवकों के सम्बन्ध में की गई या अन्य सुधारात्मक सिफारिशें भी बाध्यकारी की जानी चाहिंए। केरल लोकायुक्त अधिनियम की भांति

लोकायुक्त राजस्थान को भी भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए निषेधाज्ञा पारित करने हेतु सक्षम बनाया जाना चाहिए। राजस्थान में कोई भी लोक सेवक लोकायुक्त में शिकायत करने हेतु सक्षम नहीं है। जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और केरल में लोकायुक्त अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी लोक सेवक लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

सभी लोक सेवक एवं पदाधिकारी को लोकायुक्त की जांच के दायरे में लाना चाहिए। सरकार को लोक सेवकों की परिभाषा को व्यापक बनाया जाना चाहिए। इसमें निम्न को भी शामिल किया जाना चाहिए- सरपंच एवं उप सरपंच, को-ऑपरेटिव सोसायटी व नगर निगम के चैयरमैन, उप चैयरमैन, प्रबंध निदेशक और सदस्य, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम इत्यादि स्थानीय निकायों के पार्षद, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार एवं स्टाफ, सरकार द्वारा वित्त पोषित समस्त एनजीओ और उनके समस्त पदाधिकारी।

लोकायुक्त का स्वयं का जांच तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। इस हेतु लोकायुक्त द्वारा अपराधों की जांच के लिये विशेष पुलिस दल का गठन किया जाना चाहिए। वर्ष 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक कुल 6,967 परिवाद प्राप्त हुए। पूरे वर्ष में केवल 3,031 परिवादों का ही निपटारा हुआ, जो कि बहुत कम है। इसके लिए परिवाद की समय पर सुनवाई हो पाये, इस हेतु एक सिविल न्यायाधीश स्तर के अधिकारी को लोकायुक्त के सहायक के रूप में तैनात किया जाना चाहिए। यह अधिकारी उच्च न्यायालय से प्रतिनियुक्ति पर लिये जा सकते हैं। लोकायुक्त द्वारा प्रकरणों के निस्तारण और भी तेजी से किया जाना चाहिए। वर्ष 2022-23 में 50 प्रकरणों में से केवल 18 प्रकरणों का ही निस्तारण हुआ, जो कि बहुत ही कम है।

लोकायुक्त के पास एक तकनीकी सेल भी होनी चाहिए। उक्त तकनीकी सेल में अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और तकनीकी सहायक नियुक्त किये जाने चाहिंए, ताकि तकनीकी मामलों की जांच अच्छी तरह से हो सके।

अंत में, इतना ही कहना चाहूंगा कि एक जनहितकारी, सुशासन वाली, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का सपना केवल राजस्थान में लोकायुक्त को और मजबूत करके ही किया जा सकता है। सभापति महोदय, समय प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री विकास चौधरी।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, आपने आज मुझे लोकायुक्त प्रतिवेदन पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि देश में भ्रष्टाचार के विरूद्ध जिस प्रकार से 2011 में एंटी करप्सन मूवमेंट मेरे सामने वाले लोगों द्वारा चलाया गया, सशक्त लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की मांग की गई। 2011 में यूपीए सरकार के प्रति जिस प्रकार से नकारात्मक माहौल बनाया गया, इसी तरह सीएजी की हाइपोथिटिकल रिपोर्ट से

यूपीए सरकार पर अनेकों आरोप उस समय लगाये गये।

सभापति महोदय, लेकिन बीजेपी सत्ता प्राप्त करके उन वादों को भूल गई। सभी संस्थाओं का क्या हाल है, आप और हमसे अभी छुपा हुआ नहीं है। आज पूरा देश जानता है कि सीबीआई, ईडी का दुरूपयोग, इन संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का कार्य लगातार केन्द्र में बैठी सरकार कर रही है।

श्री सभापतिः बिना पढ़े बोलने का अभ्यास करें। खुद बोलने का अभ्यास करें।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): आदरणीय सभापति जी, लोकपाल को भारतीय जनता पार्टी ने केवल +++ बनाकर रखा है। समय पर लोकपाल की नियुक्ति नहीं करना, लोकपाल को केवल नाम मात्र की संस्था बना दिया गया है।

श्री सभापतिः एक सेकण्ड।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): आदरणीय सभापति जी, आज देश में पिछले 10 वर्षों में पॉलिटिकल करेप्सन, जुडिशियल करप्सन, कॉरपोरेट करप्सन ...(व्यवधान)... इलेक्टोरल बॉन्ड ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः शांत रहें, एक सेकण्ड। मंत्री महोदय कोई बात कहना चाह रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपको ठीक लगता है?

श्री सभापतिः 2 मिनट चुप रहें, सुनिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपको ठीक लगता है? ...(व्यवधान)... लोकपाल को +++ बनाकर रखा है।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): ब्लैक मनी बढ़ी है। आदरणीय सभापति महोदय, पिछले 10 वर्षों में पॉलिटिकल करेप्सन, जुडिशियल करप्सन।

श्री सभापतिः जो विषय वस्तु से बाहर की चीज हो उसे विलोपित किया जाये।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): कॉरपोरेट करप्सन, इलेक्टोरल बॉन्ड, रेड टेप और ब्लैक मनी बढ़ा है। लेकिन नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं मौन हैं।

आदरणीय सभापति जी, क्योंकि अभी सरकार प्रायोजित संस्थागत भ्रष्टाचार का बोलबाला इस देश और प्रदेश में है। यह सरकार अपनी जरूरत के अनुसार लोकपाल, लोकायुक्त, सीएजी इत्यादि की नियुक्तियां करती है।

आदरणीय सभापति जी, इन संस्थाओं के भ्रष्टाचार पर मौन रहने के सन्दर्भ में राष्ट्रकवि दिनकर जी ने दो पंक्तियां कही थी,

समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध
जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध।

आज जिस प्रकार से इस सरकार का रवैया है, हमारे जैन मुनि जो किशनगढ़ में चातुर्मास के लिए आये हुए हैं, उनको धरने पर बैठना पड़ रहा है।

श्री सभापतिः लोकायुक्त पर है।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): सरकार पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति: सरकार पर नहीं बोलना है।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): जो जैन समाज मेहनत करके, मेहनत की रोटी खाता है, आज उनको सड़कों पर इसलिए बैठना पड़ रहा है कि सरकार और प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा है।

श्री सभापति: सरकार और प्रशासन पर बोलने के बहुत अवसर हैं। अभी तो लोकायुक्त पर बोलिये।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): आदरणीय सभापति जी, मैंने पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन पर 2 बात कही। आदरणीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहने का मौका नहीं दिया।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): लेकिन मैं बताना चाहता हूं सरकार से कि किशनगढ़ की एसडीएम, किशनगढ़ के अधिकारियों के द्वारा जो रवैया हमारे जैन समाज के बंधुओं के प्रति किया गया।

श्री सभापति: विराजिये। श्री लालाराम।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): आज हमारे साधु, संतों को वहां बैठना पड़ रहा है। इससे शर्मनाक हो नहीं सकता।

श्री सभापति: अभी प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे, उनको सुनना। विराजो। श्री लालाराम।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने लोकायुक्त पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): लोकायुक्त के साथ ...(व्यवधान)... किया जा रहा है।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): राजस्थान लोकायुक्त द्वारा राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अधीन अपने कृत्यों का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में मैं अपने दृष्टिकोण और सुझावों को आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

कुल 5,999 परिवादों में से 1,958 परिवादों का निस्तारण किया जाकर दिनांक 31.12.2023 को 5,999 में से 4041 परिवाद लंबित हैं, जो कि चिंता का विषय हैं। निस्तारण की गति धीमी होने के कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों का पता लगाकर समाधान कराने की आवश्यकता है। ताकि प्रशासन में पारदर्शिता को तीव्रता मिल सके।

लोक सेवक अगर पूर्ण कर्तव्य, निष्ठा और निस्वार्थ भाव से अपने कार्यों को पूर्ण करें तो सामान्य जन मानस में सरकार एवं प्रशासन के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी और एक अच्छे शासन का मापदंड जनता का उसके प्रति विश्वास का बढ़ना है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। एक तो सही शिकायत करने वाले को पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिए। दूसरा अगर लोकायुक्त कार्यालय में कर्मचारियों की कमी है तो उसे भी पूरा किया जाना चाहिए। लोकायुक्त को स्वयं की जांच एजेंसी का निर्माण करने का अधिकार मिले। दंड प्रक्रिया

को प्रभावी बनाया जाये।

सामान्य नागरिक के रूप में मैंने कई बार अनुभव किया है कि निचले स्तर पर भी सामान्य जनता को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है इसलिए प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा निश्चित की जाये। प्रत्येक कार्य योजना को पूर्ण करने की प्रक्रिया का विस्तार से बाहर प्रदर्शन किया जाये ताकि सामान्य नागरिक उसको पूर्ण करके कार्यालय में अपना अभिलेख जमा कर सके और उनको बार-बार चक्कर नहीं काटना पड़े। मुझे लगता है कि केवल दंड प्रक्रिया ही भ्रष्टाचार की समस्याओं का समाधान नहीं है। इसके लिए अगर कोई अधिकारी, लोक सेवक भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो चेतावनी के रूप में उसके साथ काउंसलिंग प्रक्रिया को भी अपनाया जा सकता है।

Spp/Rtm/31.07.2024/14:00/2c

श्री सभापतिः बिना पढ़ें बोलें।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): ताकि लोक सेवक को अपनी प्रवृत्ति में सुधार करने का अवसर प्राप्त हो। भ्रष्टाचार को खतम करने के लिये एक वैज्ञानिक पद्धति भी अपनायी जा सकती है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विभाग में किये जाने वाले कार्य के उन बिन्दुओं को चिह्नित किया जाये, जहां लोकसेवक भ्रष्टाचार को अपनाता है। उन बिन्दुओं को, जहां भ्रष्टाचार की संभावना है, जिस तरह से रोका जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा इस पर ऐसी कमेटी का गठन किया जा सकता है, जो प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों को चिह्नित करके उनको रोकने के लिये विश्वस्त उपाय बता सके और उसकी क्रियान्विति के लिये राज्य सरकार एक विशेष अभियान चलाकर भ्रष्टाचार को रोकने की व्यवस्था कर सकती है।

अगर राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो हमें एक आदर्श व्यवस्था स्थापित करनी होगी। श्रीमद भगवद् गीता में भी इसका समाधान सूत्र प्राप्त होता है-

यद् यद आचरति श्रेष्ठस तत् तद एवेतरो जनः।
स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते।'

इसका अर्थ है कि श्रेष्ठ पुरूष, जो आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण छोड़ देता है, लोग उसी के अनुसार आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरूष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। बड़े स्तर के लोकसेवक जब तक आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से नीचे के स्तर पर भी पहुंचेगा। कभी-कभी कुछ लोकसेवकों को भ्रष्टाचार के विरोध में स्वयं लड़ना पड़ता है और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह के लोकसेवकों का चिह्नकरण कर सरकार उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहे। ऐसी व्यवस्था हो तो ऐसे अधिकारियों और लोकसेवकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर विभाग में ऐसे आदर्श लोकसेवकों का प्रभाव जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में न्यूनता आयेगी और राजस्थान भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। सरकार के सभी अंग इस आदर्श का अनुसरण करते हैं तो

मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में एक पारदर्शी व लोक कल्याणकारी सरकार आदर्श प्रस्तुत कर सकेगी। धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया।

श्री सभापतिः श्री मुकेश भाकर।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं तीन दिन से कोशिश कर रही हूं लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा। हमारे जोधपुर में फलौदी के अन्दर ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः लोकायुक्त पर बोल रहे हैं क्या?

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): एक वकील के साथ मारपीट हुई और ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन पर बोल रहे हैं, पहले बोलो।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): 22 तारीख से सारे वकील धरने पर बैठे हैं। एस एच ओ के खिलाफ कार्यवाही ..(व्यवधान).. निवेदन कर रही हूं मैं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्या, बिराजिये दो मिनट। बिराजें। आप किस विषय पर बोलना चाहती हैं और किस व्यवस्था के तहत बोलना चाहती हैं, यह पहले सूचित करायें। यदि आप पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन पर बोलना चाहती हैं तो आप बताओ कि हम पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन पर बात रखना चाहते हैं।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): मैंने पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन के तहत लगाया है। कल भी लगाया था, आज भी लगाया लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया।

श्री सभापतिः बोलिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अब बोलो।

सूचना

फलौदी में वकील के साथ हुई मारपीट पर विभिन्न स्थानों पर वकीलों का धरना-प्रदर्शन

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): 19 तारीख को विधान सभा फलौदी के अन्दर बाप में किशनाराम विश्नोई एडवोकेट के साथ मारपीट की गयी और 22 तारीख से बाप, फलौदी और लोहावट के सारे वकील धरने पर बैठे हुए हैं। एस.एच.ओ. के खिलाफ आप कार्यवाही करवावें। बोलने का मौका दिया, इसलिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः बिराजें। श्री मुकेश भाकर।

विभिन्न विषयों पर विचार

लोकायुक्त राजस्थान के 35वें वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023) पर विचार

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): माननीय सभापति महोदय, लोकायुक्त प्रतिवेदन पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, लोकायुक्त यह शब्द देश की जनता के जेहन में जब आया, जब दिल्ली में अन्ना आन्दोलन हुआ। बाबा रामदेव और एक प्रायोजित मूवमेंट इस देश में चलाया गया। उस समय लोगों को पता चला कि क्या लोकायुक्त है, क्या लोकपाल है। इस देश की जनता ने यह मान लिया कि

जो एक आन्दोलन इस देश की राजधानी में उठा है, वह कहीं न कहीं इस देश में सिस्टम में जो भ्रष्टाचार फैला है, उसके खिलाफ, उसकी रोकथाम में यह जो आने वाली सरकार है, वह कही न कही हमें मौका देगी और इस देश की जनता ने उन बातों में गुमराह होकर अन्ना आन्दोलन और जो मूवमेंट चला, उसमें यह समझा कि भाजपा सरकार सत्ता में आयेगी तो लोकपाल लेकर आयेगी और सशक्त लोकायुक्त बनेगा। इस देश में फैला भ्रष्टाचार, विशेषकर जो ऊपर का वर्ग है, चाहे अधिकारी है, चाहे नेता है, वह सब उस लोकायुक्त और लोकपाल के भीतर आयेंगे। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, आज जब सदन में हम खड़े हैं, लगभग 11 साल उस बात को हो चुके हैं और आज भी बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी जनता, नेता सब ढूंढ रहे हैं कि वह लोकायुक्त कहां मिलेगा, कहां है लोकपाल? जिसको जाकर अपनी बात को रख सकें।

माननीय सभापति महोदय, जैसा अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने बात रखी, वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने कहा अब तक लोकायुक्त ने किसी के घर के आगे गाय बंधी हुई थी, उसको हटाने तक का काम किया है और सिर्फ दो पृष्ठ उसमें लगाये गये हैं। दुर्भाग्य है कि जब आज यह प्रतिवेदन लेकर आये हैं, उसकी कॉपी भी हम लोगों को नहीं दी गयी। अगर यह प्रतिवेदन हमें मिलता तो उस पर तैयारी करते कि क्या आप बिल ला रहे हो, किस पर बोलना है और आप सबने यह बिल सदन में रख दिया, प्रतिवेदन सदन में रख दिया।

माननीय सभापति महोदय, वह कैग की रिपोर्ट, जिसमें यह दर्शाया कि पूरे देश में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, मनमोहन सिंहजी की पूरी सरकार दोषी है। आज तक जो लोग कहते थे कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा। दोषी जेल में जायेंगे, कितने लोगों को आज तक जेल भेजा गया? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहता हूं क्या हुआ? कोल घोटाले का क्या हुआ, कहां गया टू जी, थ्री जी, फोर जी घोटाला, आज तक एक को भी सज़ा नहीं दे पाये और ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यहां काहे पर बोल रहे हैं, प्रतिवेदन पर बोलें।

श्री सभापति: प्रतिवेदन पर आयें माननीय सदस्य।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। आप हमें कुछ देते तो सही जिसको देखकर हम बोलते। आपने प्रतिवेदन लाकर रख दिया। आपने विपक्ष को कोई सामग्री उपलब्ध नहीं करायी। ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो कार्य है, वह विधान सभा सचिवालय का कार्य है। यह किस पर प्रश्न उठा रहे हैं? विधान सभा के सचिवालय के कार्य पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। ...(व्यवधान)..यह पहले पूछ लो। पहले कुछ सीख लो। ...(व्यवधान)..

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): सत्ता पक्ष में सरकार में जो लोग बैठे हैं। ...(व्यवधान)..

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): हम बैठे हैं इसलिये आपका कोरम चल रहा है। ...(व्यवधान).. यह नहीं होते तो आपका कोरम ही पूरा नहीं होता। आपके भरोसे तो, हम

लोग बैठे हैं, इसलिये कोरम पूरा है आपका।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक बात सुन लो। आपके भरोसे नहीं हैं। हम हमारे भरोसे आये हैं। और यह भूल जाओ ...(व्यवधान)..

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): विपक्ष के बिना आप सदन चला लोगे क्या? ...(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप अपनी खुद की चिन्ता करो। ...(व्यवधान)..

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): विपक्ष के बिना काम चला लेंगे क्या?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप बात मुद्दे की करो, इधर-उधर की मत करो। इधर-उधर की बात कर रहे हैं आप। ...(व्यवधान).. यह प्रतिवेदन 2023 की बात करें।

श्री सभापति: बिराजें माननीय सदस्य। श्री टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): माननीय सभापति महोदय, क्या था लोकायुक्त, क्या था लोकपाल? भ्रष्टाचार पर अंकुश, गुड गवर्नेंस, भयमुक्त वातवरण, आम आदमी के लिये प्रभावी स्कीम लागू करना। यह साधारण शब्दों में हम समझना चाहें तो यह लोकायुक्त था। क्या आज भी हम लोग यह सब चीजें लोगों को, यह सारी सुविधाएं और सारी तरीके से यह गवर्नेंस हम लोग उपलब्ध करा पा रहे हैं? नहीं करा पा रहे। फिर एक प्रतिवेदन आप लोग ला रहे हो, उस पर बिना चर्चा, बिना कोरम के आप इस प्रतिवेदन को सदन में रख रहे हो और कह रहे हो कि हम बिना विपक्ष सदन चला लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री का काम है दोनों तरफ समन्वय बनाकर सदन को चलाना, न कि यह काम है कि आप विपक्ष पर छीटाकशी करोगे। आपको क्यों पीड़ा हो रही है? पूरा देश जानता है कि आपने एक देश में असत्य माहौल कांग्रेस सरकार के खिलाफ खड़ा करके आप लोग सत्ता में आये हैं और 11 साल में लोकायुक्त कहां गया, कहां है लोकपाल? यह जनता पूछ रही है पूरे देश की। अन्ना हजारे जी, जिन भले आदमी को आपने काम में ले लिया। कहां हैं अन्ना हजारे जी? एक बार प्रधान मंत्रीजी जाकर उनसे पूछते तो सही कि आपने एक माहौल बनाया, उससे हम सत्ता में आये हैं और कहां है अन्ना हजारे जी को आज पूछ रहे हैं? कहां है बाबा रामदेव? ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पता ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं आता। यह किस पर चर्चा कर रहे हैं? और आप कैसे अलाऊ कर रहे हो? ...(व्यवधान)..

Jyg/rtm/31,07.24/14.10/2d

श्री सभापति: आप प्रतिवेदन पर बात रखें, नहीं तो बैठ जाएं। विराजिये आप।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): मैं प्रतिवेदन पर ही बात रख रहा हूं, माननीय सभापति महोदय। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: प्रतिवेदन से अलग जा रहे हैं आप। आप विराजें।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? ..(व्यवधान).. सच्चाई

लोगों के सामने लाने में आपको पीड़ा हो रही है। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः आप विराजिये।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): मैं लोकायुक्त पर बात कर रहा हूं अपनी।..(व्यवधान).. इतनी क्यों पीड़ा हो रही है इनको?

श्री सभापतिः आप बैठिए। ..(व्यवधान).. बैठिए।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): बात करप्शन पर है। ..(व्यवधान).. कहां है +++ ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः हो गया, समय हो गया आपका।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): माननीय सभापति महोदय, +++ की बात पूरे देश की जनता करेगी और हम भी करेंगे।

श्री सभापतिः विराजिए आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, दूसरा मुद्दा कहां से आ गया? ..(व्यवधान).. माननीय सभापति महोदय, क्या बोल रहे हैं, एक्सपंज करो इसको। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः श्री टीकाराम जूली।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): +++ यह स्थिति बनी हुई है। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः आप विराजो। आपका समय हो गया। ..(व्यवधान).. विराजो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, ये बात कर रहे हैं अन्ना हजारे की और ये +++ की, इसको एक्सपंज कराओ। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः इसको विलोपित करें। ..(व्यवधान).. हो गया आपका। ..(व्यवधान).. विराजें आप। ..(व्यवधान).. विराजिए आप।

श्री टीकाराम जूली।

..(व्यवधान).. हो गया, समय पूरा हो गया आपका।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, ये मर्जी आए उस पर बोले जा रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः आप विराजिए, आपके प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जूलीजी, ट्रेनिंग दिलाओ इन सबको। मर्जी आए जिस पर बोल रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः आप विराजिए माननीय सदस्य। ..(व्यवधान)..

माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने जो मुझे लोकपाल के प्रतिवेदन पर बात रखने का मौका दिया। लोकपाल की जहां से उत्पत्ति हुई, शुरूआत हुई, दुनिया के अन्दर सबसे पहले स्वीडन इसको लेकर आया और उसकी देखा-देखी बहुत से देशों ने इसको लागू किया। मुख्य उद्देश्य था कि चाहे

मिनिस्टर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, उन पर लगाम लगे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। उसको लेकर लगभग पूरे देश में, दुनिया में चिंता भी रहती है कि किस प्रकार से करप्शन कम हो। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब मैंने ये रिपोर्ट देखी, यह रिपोर्ट यह कह रही है, इसको मैं नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा तो आप लोग कहेंगे कि नेता, प्रतिपक्ष हमको घेरते ही रहते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नेता, प्रतिपक्ष से हम नहीं घबराते हैं, टेंशन हीं नहीं है। ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, कहने का मतलब यह है कि आपका 2003-2008 के बीच जब आपका शासन था, उस समये जो शिकायतें आई थीं वो आई थीं 15297, फिर 2008-2013 हमारा शासन आया, उसमें शिकायतें आईं 15033, यानी आपसे कम थी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कितनी?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): लगभग 200-250 और फिर जब 2013 से 2018 तक आपकी सरकार थी उस समय जो लोकायुक्त को जो शिकायतें आईं वो 43114 थी ..(व्यवधान).. यानी कि आपके और हमारे पिछले समय से लगभग तीन गुणा। वापस हमारा जब राज आया 2018-2023 उसमें फिर इन शिकायतों की संख्या है वो घटकर 22824 आ गई, इससे यह स्पष्ट होता है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): इससे यह स्पष्ट होता है कि आप आदतन शिकायती हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप लोग आदतन शिकायती हैं। आपके समय में शिकायत ज्यादा आती है। आपके समय में अधिकारी-कर्मचारी काम नहीं करते इसलिए आपके समय में ज्यादा लोगों ने शिकायतें आपको लगाई। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपने इसमें बताया है कि जो 01.01.23 को कुल 3936 परिवाद इसमें लम्बित थे। फिर इसमें इस पूरी साल में 2063 और आ गए। यानी लगभग 5999 की संख्या यह हुई। निस्तारण कितने का हुआ? निस्तारण कितने का हुआ? निस्तारण हुआ 1958 का, चाहे सरकार हमारी हो, आपकी हो, इस ओर जाने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि जनता किस उम्मीद के साथ अपनी एप्लीकेशन लगा रही है। मैंने पूरा पढ़ा है, पूरा। मेरे से पहले जो माननीय सिविल लाईन्स से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे थे उस बात को ,हमारे लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि लोकायुक्त का काम क्या यह रह गया कि गाय कहां बंध रही है, कहां हट रही है। इसमें मैं देख रहा हूं कि जीपीएफ का पैसा नहीं आया, किसी का सेक्रेटरी ने काम नहीं किया, किसी स्कूल का अतिक्रमण नहीं हटा। इस तरह के बहुत ज्यादा प्रकरण इसमें दर्ज हैं। तो क्या मंशा यही थी, क्या इसी मंशा के साथ हमने लोकपाल की, लोकायुक्त की नियुक्ति की? उससे भी बड़ी बात यह है कि जिन प्रकरणों में लोकायुक्त ने अधिकारी, कर्मचारियों को दोषी मान लिया और उनको सिफारिश कर दी कि इस

पर सरकार को एक्शन लेना है। कितने एक्शन लिए? एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते? कोई 2014 का पेंडिंग है, कोई 2015 का पेंडिंग है, कोई 2017 का है, कोई 2018 का है, कोई 2019 का है, कोई 2020 का है। जब हम यहां चर्चा करें तो इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए कि जब सिफारिशें लोकायुक्त की आती हैं तो उसको रोका नहीं जाए, उस पर कार्यवाही की जाए। इसमें भी कोई शक नहीं है कि आज धीरे-धीरे जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पैर पसार रहा है, ऐसे में हमें जरूरत है कि पहले से जो संस्थान क्राइटेरिये में आते हैं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी इस पर चिंता जाहिर की है, उसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अभी कोचिंग का जो मामला चल रहा है, किस प्रकार से कोचिंग संस्थान भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नियमों को ताक पर रख रहे हैं और कोई दुर्घटना होती है तो हम जागते हैं। ऐसे समय में जरूरत है लोकायुक्त को और मजबूत बनाने की और सही मायने में जब माननीय हमारे लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने अन्ना हजारे का नाम लिया, हजारे जी को हम सब लोग मानते हैं, काफी बड़ा आंदोलन किया था, शुरूआत सिविल लाईन्स से आने वाली माननीय सदस्य ने की, जब वो अन्ना हजारे पर बोल सकते हैं तब तो वो प्रतिवेदन के ऊपर बोल रहे हैं और जब हमारे माननीय सदस्य बोलते हैं तो आप कहते हैं वो प्रतिवेदन से बाहर बोल रहे हैं। तो ऐसी तो हमें उम्मीद नहीं है संसदीय कार्य मंत्री महोदय से। आपने रामदेव जी का भी नाम लिया, आपने कहा कि उन पर लाठीचार्ज हुआ, उन पर लाठीचार्ज नहीं हुआ, लाठीचार्ज से पहले ही वो कपड़े बदल कर निकल गए थे। ..(व्यवधान).. तो यह जो स्थिति है। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः विराजिये आप।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आज जिस बात के लिए वो जो आंदोलन था, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा आंदोलन देश के अन्दर हुआ था। और वो आदोंलन जिस चीज के लिए हुआ, जिस बात के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, आज क्या उसका हश्र हुआ है? हम यही तो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का शासन था तब तो आप लोकपाल की नियुक्ति की जिद कर रहे थे, बड़े-बड़े आंदोलन हो रहे थे, अब 11 साल नहीं 13 साल हो गए, 2024 आ गया, अब एक भी आंदोलन हुआ क्या? एक दिन भी अन्ना हजारे जी ने इस बात को रखा क्या? जिस सीएजी रिपोर्ट के ऊपर हमारी सरकार को बदनाम किया गया, उनके अध्यक्ष बाद में माफी मांग रहे हैं कि वो हमारा अनुमान था, भ्रष्टाचार नहीं था। मैं यह कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, यह जो स्थिति बन रही है, इसको बनाने में जिम्मेदार हम लोग ही हैं। जब जिसको मौका मिलता है तब वो अधिकारी-कर्मचारी को बचाने के पक्ष में खड़ा हो जाता है। जब सत्ता होती है तब मैं समझता हूं कि जो एक्शन, जो निर्णय, सत्ता को करने चाहिए वो नहीं कर पाते।

MLS/RTM/31.07.2024/14:20/2e

कांग्रेस की सरकार पर आप लोगों ने खूब ही तो आरोप लगाये थे, क्या बाद में वे सब

चीजें ठीक हो गईं, देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार का अन्त करने की बात करने वाले आप लोग, मैं अभी बता रहा था, हमारे समय में भ्रष्टाचार की शिकायतों के 15000 मामले थे और आपके समय में वे बढ़कर लगभग 42000 हो गये हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यही अनुरोध करता हूं कि इस पर सार्थक चर्चा हुई और अध्यक्ष जी ने जो प्रतिवेदनों पर चर्चा की शुरुआत की है, प्रतिवेदन की कॉपी, चूंकि अभी विधान सभा का पूरा सचिवालय ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन इतने कागज, सौ-सौ पेजों की जो रिपोर्ट्स है, उन्हें ऑनलाइन पढ़ना, मैं समझता हूं काफी सदस्यों के लिए दिक्कत है।

लगभग सभी लोग प्रिंट निकालकर उसे पढ़ रहे हैं। चूंकि अबकी बार प्रिंटर भी उपलब्ध नहीं हुए, पहले तो मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सभी सदस्यों को एक-एक प्रिंटर भी आप लोग उपलब्ध करवाएं और यह जो प्रतिवेदन आपने रखा है, इस पर जो लोकायुक्त की सिफारिशें हैं, उन पर सरकार एक्शन ले। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री जोगाराम पटेल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत आभार। मैं अपनी बात करूं, उससे पहले, मेरा कोई छोटा भाई बुरा न माने, मैं कोई पक्ष और विपक्ष की या बीजेपी-कांग्रेस की बात नहीं करूंगा। मैं इसीलिए कहूंगा ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः शान्त रहें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इससे पता लग जाता है कि हम कितने पानी में हैं। जो विषय माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने रखा, विषय वह था। आप पता नहीं कहां से कहां, किधर से किधर गये, मूल विषय से भटक गये। मेरा यही निवेदन है कि हम सब का दायित्व है, मैं आज इधर हूं या उधर, उसके लिए नहीं कह रहा हूं। हमें आज किस विषय पर बोलना था, इसके अन्दर क्या कमी-खामी थी, इसके अन्दर आगे क्या हो सकता है, यह वह विषय नहीं है, पर हम तो अन्ना हजारे, आपके ये हो गया, वह यों हो गया, इसे तो हमने देखा ही नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः शान्त रहें। बैठे-बैठै नहीं बोलें बीच में।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अभी तो आप बोलना ही नहीं सीख पाये कि सदन में कैसे बोलते हैं। ...(व्यवधान)... अब साहब, ये ऐसे ही करेंगे।

श्री सभापतिः आप विराजिये माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आज की मेरी बात को प्रारम्भ करने से पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। शायद लोकायुक्त पर यह पहला प्रतिवेदन होगा, जो विधान सभा में आया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद इसलिए भी दूंगा, जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, प्रतिवेदनों पर चर्चा करने का क्रम प्रारम्भ हुआ। इससे पहले शायद...

श्री सभापतिः माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, एक सेकण्ड आपको इंटरप्ट कर रहा हूं।

चर्चा वास्तव में माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने की, चर्चा वास्तव में संसदीय कार्य मंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन जो माननीय सदस्य प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे थे, हमें सीखने की आवश्यकता है, यहां हम आये हैं तो...।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी आपका आभार व्यक्त कर रहे थे कि विधान सभा के इस पटल पर पहली बार आपने प्रतिवेदनों पर चर्चा प्रारम्भ करायी। इससे हमें भी सीखने का मौका मिलता है, हमारी जनता को भी पता लगता है और हमें कहां जाना है, क्या आगे करना है, कहां हमारी कमी-खामी रही, उसे ठीक करने का मौका मिलता है। लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर पहली बार और वह पहली बार भी कब, लोकायुक्त का गठन होने की 50वीं जयन्ती पर, गोल्डन जुबली पर आपने जो रखा है, इसके लिए हम सभी आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में लोकायुक्त के इस प्रतिवेदन पर चर्चा हो रही है। अनेक माननीय सदस्यों ने बहुत ही गम्भीर सुझाव अपने कथन के दौरान, अपनी चर्चा के दौरान रखे, जिसमें माननीय हरिमोहन जी शर्मा, सुभाष जी गर्ग और नेता, प्रतिपक्ष के सुझाव वाकई ग्रहण करने योग्य थे और भविष्य में इसको रखेंगे तो हम सब का जो मन है, यह कोई नहीं कहता है कि हमारे प्रदेश या हमारे देश में भ्रष्टाचार हो, सभी यही चाहते हैं, पर कहां हो जाता है, कितना हो जाता है, यह तो हम सब आपस में जानते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है।

अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही। माननीय गोपाल जी शर्मा ने गम्भीर विषय रखे। घनश्याम जी मेहर, अशोक जी कोठारी, विकास जी चौधरी, लालाराम जी बैरवा, मुकेश जी भाकर और जैसा मैंने पूर्व में कहा, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने सबसे गम्भीर विषय रखा। जब मेरे प्रतिपक्ष के साथी अपनी बात रख रहे थे, ये भूल गये कि यह 2023 का प्रतिवेदन है और जो-जो बातें बतायी हैं, वे आपके शासनकाल के दौरान, आपके द्वारा की हुई हैं। आपको गिनाऊं तो वे सारी आपकी हैं और आपने भी उन्हें गिनाया है। अब आप कितने पानी में हैं, आप सबने बहस की है और वह रिकॉर्ड पर है।

यह 2023 का प्रतिवेदन हमारे शासनकाल का नहीं है। यह आपके शासनकाल का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि विश्व के अनेक देशों में, जैसे अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा, सबसे पहले स्वीडन में कार्य प्रारम्भ हुआ, इसीलिए ऑम्बुड्समैन उसे कहा जाता है। उसे एक रखवाला कह दें, कोई चौकीदार अपने शब्दों में कह दे, यह भ्रष्टाचार को रोकने की एक संस्था के रूप में एक रखवाले की तरह होता है। उसे लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। मशहूर कानूनविद डॉ. एल.एम. सिंघवी साहब ने इस पर एक किताब लिखी है और उन्होंने वर्ष 1963 में इस संस्था को नाम दिया

था। उन्होंने कहा था कि लोकायुक्त लाना चाहिये या भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई न कोई संस्था होनी चाहिये।

उसी से इसका उद्गम होते-होते 1973 में जाकर या 1971 के आसपास इसका प्रारम्भ हुआ। पहले उड़ीसा में हुआ, फिर राजस्थान में हुआ, फिर और प्रदेशों में भी हुआ। उड़ीसा ने 1971 में किया। अपने राजस्थान में 1973 में हुआ, लेकिन अब राजस्थान के अलावा 20 से अधिक राज्यों में यह लोकायुक्त हो चुका है। लोकायुक्त अधिनियम की घटना का मूल उद्देश्य, जैसा माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने बताया, हमारे समाज में विभिन्न राजकीय अधिकारियों में, संस्थाओं में, सार्वजनिक उपक्रमों में जो भ्रष्टाचार होता है, कम से कम उसे रोका जाये या शिकायत का एक कोई न कोई माध्यम दिया जाये। उसका मूल उद्देश्य यह था, क्योंकि भ्रष्टाचार रोकने की अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन शिकायतों का कोई न कोई एक माध्यम दिया जाये।

मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध शिकायत करनी है, नेता प्रतिपक्ष के विरुद्ध शिकायत करनी है, किसी मंत्री या विधायक के खिलाफ शिकायत करनी है, तो शिकायत लेने वाले और शिकायत देने वाले, दोनों के मन में भय रहता था, इसीलिए एक उपयुक्त माध्यम दिया गया कि आप किसी के विरुद्ध शिकायत करें, लोकायुक्त निर्भीक होकर उसकी जांच करेगा और सरकार को प्रतिवेदन देगा। लोकायुक्त के पास यह अधिकार नहीं है और न अधिकार दिया गया है कि वह भ्रष्टाचार को रोके। उसका काम है, जो शिकायत हुई है, उसकी जांच कर जो निर्णय निकला है, उसे माननीय राज्यपाल को भेजे। माननीय राज्यपाल उस प्रतिवेदन को लेकर मुख्य मंत्री को भेजें। यह प्रक्रिया इस कानून में दी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में लोक सेवक के विरुद्ध पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता आदि की शिकायतों को देखने, उसमें अन्वेक्षण करने के उद्देश्य से राजस्थान में वर्ष 1973 में यह एक्ट लाया गया था और 26 मार्च 1973 को इस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। तब से हमारा काम प्रारम्भ हुआ। लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम में 12(1) में इस सम्बन्ध में शक्तियां दी गयी हैं और यह कहा गया है कि कैसे-कैसे शिकायत हो सकती है, उसका निराकरण कैसे हो पायेगा, प्रतिवेदन कैसे जायेगा, यह सब इसमें बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है, लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का समाधान हो जाये कि ऐसे कथन को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो वह, सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के सहित लिखित प्रतिवेदन द्वारा, निष्कर्ष तथा सिफारिश सक्षम पदाधिकारी को भेजेगा।

mkd/rtm/31.07.2024/14.30/2f

हमारे यहां एक विषय और आया। ये लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त हैं और मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता को निवेदन करूंगा कि आपने बहुत कहा साहब ये कांग्रेस पार्टी ने पहला बनाया। माननीय हरि मोहन जी ने बहुत कहा, हम हैं पहले, जिन्होंने लोकायुक्त बनाया,

कांग्रेस पार्टी यह है।

जिसकी ऐसी भावना है, उसको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय हरि मोहन जी शर्मा, एक बात आप भूल गये कि लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त बनाकर जितना ज्यादा जस ले रहे हो, उप-लोकायुक्त आज दिन तक आपने नहीं बनाया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): गुजरात में तो आज तक लोकायुक्त भी नहीं बना।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अपना कम्पीटिशन अपने खुद से ही रखों, गुजरात से मत रखो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): दूसरी बात। आप सुनेंगे तो कई बातें सीखने को मिलेंगी। आपने कहा कि हमने यह सब किया, बहुत अच्छी बात है, साहब, हम आपको धन्यवाद दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष: जहां आवश्यकता हो, वहां जल्दी बनाये जायें। अब गुजरात में नहीं है तो मैं क्या करूं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय प्रतिपक्ष के नेता यह बता दें कि वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं, श्री पी. के. लोहरा साहब उनकी नियुक्ति 09 मार्च, 2021 से इस पद पर है और उससे पूर्व 08 मार्च, 2019 को न्यायमूर्ति लोहरा जी से पहले गौरी शंकर जी साहब थे। इस कार्यकाल के दौरान आप लोगों ने लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं की, यह तो आपका ही कार्यकाल था, लोकायुक्त की नियुक्ति आपने नहीं की और पूरा जस लेने को चले हो। आप और सुनें, नियुक्ति नहीं की, उप-लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की, कारण नहीं बताया और शिकायतों की जो संख्या गिना रहे थे, उन शिकायतों की शिकायत बढ़ने या कम होने से भ्रष्टाचार का कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि यहां जो शिकायतें आती हैं, जैसा अभी बताया एक्शन, इनएक्शन, रिएक्शन और उन सब के लिए शिकायत होती है। शिकायतों की संख्या इसीलिए बढ़ रही हैं, हर आदमी आता है, एक एप्लीकेशन लिखी, अभी किसी माननीय सदस्य ने बताया कि मेरे यहां गाय नहीं बांधी, मेरे यहां बकरी नहीं बांधी, मेरे यहां कचरा कर रही है, इसलिए अब यह व्यवस्था की गई है कि आपको एडिडेविट देना पड़ेगा। आप यदि किसी अमुख व्यक्ति के विरूद्ध अगर शिकायत करते हैं तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा और अगर आपकी शिकायत झूठी पाई गई तो आपके विरूद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए। इसीलिए शिकायतों का धीरे-धीरे क्रम कम हो रहा है।

मेरा पहला निवेदन यह था कि मूल उद्देश्य यह था कि ऐसे स्थान पर, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत की जावे, जिसकी शिकायत का माध्यम पहले नहीं मिल रहा था। अब आपका जो आकलन रहा है, आपने बताया है कि हमारी शिकायतें ज्यादा हो गईं, इसकी शिकायतें ज्यादा हो गईं। हमारे कार्यकाल के दौरान शायद दस साल का केन्द्र का राज रहा हो या बीजेपी का राज रहा हो, किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक के विरूद्ध शिकायतें नहीं आईं, लेकिन मैं चूंकि आपने विषय कहा, इसीलिए कह रहा हूं, बाकी मेरा कहने का मन नहीं था। जेजेएम की शिकायतें किसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुईं, पाइप के घोटाला किसके

ज्यादा हुए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपके तो जेजेएम में थे ही नहीं तो कैसे होती।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हां, सही बात है। हमारे यहां जेजेएम था ही नहीं, ये भ्रष्टाचार तो आपके ही भाग्य में आया हुआ है, अब इसका मैं क्या कर सकता हूं। हमारे भाग्य में भ्रष्टाचार है नहीं। यह तो हमारे भाग्य में आया था। अपने जो आरपीएससी के मैम्बर साहब जेल गये, वह किसके समय हुआ। पेपर लीक हुए, वे किसके समय में हुए। आज तक आरपीएससी का एक सदस्य, जिसके द्वारा मुखर किया गया है, वो अगर जेल चला जावे तो गम्भीर विषय तो है, विचार तो करना चाहिए। आप उसे भले मानो या न मानो, यह आपकी मर्जी है तो विचार तो करना ही चाहिए।

आप एक बात और बताओ। आपके कार्यकाल के दौरान आपके मंत्रियों का फोन टेप हो, मजा नहीं करें और बाद में जिस व्यक्ति ने फोन टेप करे वह खुले रूप से कहे कि माननीय मुख्य मंत्री के कहने पर मैंने फोन टेप किये थे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह लोकायुक्त में शिकायत है क्या, अगर प्रकरण दर्ज हो तो बताओ आप। इस सदन में इस समय मौजूद नहीं, लोकायुक्त में केस नहीं, तो फिर उस चीज को आप क्यों अंकित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: किसी व्यक्ति का नाम नहीं लें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैं आपके मुंह से ही कहलवाना चाहता था। जब आप बोल रहे थे तब। लोकायुक्त की बात, अब आप बोल गये ना, वह तो नहीं कहना है तो फिर आप इतनी देर क्यों कह रहे थे। वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, तब आप क्यों बोल रहे थे। अभी कहा ना आपने। अभी तो सुनो, लोकायुक्त के बारे में और सुनाऊं। अब आप ये बता दें कि ये जो बेल पर हैं, उनके लिए क्या कहोगे। हैराल्ड केस का क्या कहोगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप कहलवा रहे हो। ठीक वहां से शुरू किया कि ये तो लँगोटी हिल्लाकर भाग गये थे और प्रायोजित, क्या कहा यह तो अन्ना हजारे का आंदोलन प्रायोजित, इन्होंने इलिगेशन लगाया।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): राजस्थान में हैराल्ड का क्या इश्यु है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हैराल्ड का क्या इश्यु है।

श्री अध्यक्ष: एक सेकण्ड।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): राजस्थान में इस रिपोर्ट में हैराल्ड का क्या इश्यु है।

श्री अध्यक्ष: भ्रष्टाचार वाला इश्यु बता रहे हैं ना, 2023 की रिपोर्ट हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप विराजो, आपको समझ में आयेगी, आप सुनोगे तब पता लगेगा।

श्री अध्यक्ष: बाकी लोगों ने भी जो बोला है, उसे चैक कर लेते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आप पटरी से उतर रहे हैं। आप अच्छा भला बोलते-बोलते पटरी से उतर गये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैं नहीं उतरा, पटरी से ये उतरे इतनी देर, आपका अब पता लगा पटरी से उतर रहे हैं, तब क्यों नहीं बोले आप। वे बोले जैन मुनि धरने पर बैठे, तब आप कहां थे। बैठ जाइये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आप मंत्री हैं, आप सुधारो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, सीधा नहीं। एक-दूसरे से सीधा संवाद नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप संसदीय मंत्री हैं। वे पहली बार के माननीय सदस्य हैं। आप से तो उम्मीद नहीं थी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक भी शब्द इतर नहीं कहा, टू द पॉइंट जो रिपोर्ट है, उसकी बात की, बाकी सब लोगों ने बोल दिया, हमने टोका।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय, सदर थाने में कांग्रेस ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकाअर्जुन खड़गे जी की हत्या कर दी है और कांग्रेस की राज में थी, ऐसी रिपोर्ट दर्ज है तो कांग्रेसियों ने अभी तक मुझे गिरफ्तार क्या नहीं किया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, यह मंत्री जी को शोभा देता है क्या।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): हां, मैंने कब हत्या की थी, रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाई मेरे खिलाफ। मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकाअर्जुन खड़गे की हत्या कर दी तो मेरे को गिरफ्तार नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, सीधे नहीं। मैं बोल रहा हूं, खड़ा हो गया हूं। यह आरोप-प्रत्यारोपों का नहीं है। यह अपनी प्रतिवेदन पर चर्चा है। उस प्रतिवेदन में जो-जो उल्लिखित है, उसको पहले किसी प्रकार से आप रख सकते हैं या इन्होंने कुछ कहा हो, इनके सदस्यों ने या आपके सदस्यों ने भाषण में, उसका प्रत्युत्तर दिया जा सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं। पुराना किसने क्या किया, इसके लिए अलग से एक दिन बहस करायेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लास में एक छात्र बड़ा उद्दंड था। हैड मास्टर ने उसको मॉनिटर बना दिया, मॉनीटर बनाने से उसकी उद्दंडता तो खत्म हो गई और वह अपने काम में लग गया। वैसे ही आपने इनको मंत्री बनाकर, मैं देखता हूं, सुबह से लेकर सायंकाल तक ये सिर्फ पढ़ते हैं। कई दिनों बाद आज इनके अन्दर से उबाल आ गया, तब बोले हैं। पिछले कई दिनों से एक शब्द भी नहीं बोला। सुबह आते हैं और शाम को जब जाते हैं, इनकी तब तक गर्दन नीची ही रहती हैं। इनकी वही है स्थिति, मॉनिटर बना दिया।

श्री अध्यक्ष: बैठ जाओ। आप किसी के बारे में कहेंगे तो ये भी आपकी बात का उत्तर देंगे। कौन क्या कर रहा है, इसको मैं देख रहा हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मंत्री पढ़ें तो तकलीफ, नहीं पढ़े तो तकलीफ।

श्री अध्यक्ष: अब हो जाने दो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): एक विषय स्टाफ का भी आया। अनेक

माननीय सदस्यों ने रखा कि लोकायुक्त कार्यालय में स्टाफ का भी आया। लोकायुक्त कार्यालय में स्टाफ की भी कमी है, स्टाफ बढ़ाना चाहिए, संसाधन बढ़ने चाहिए तो आज की जो पोजीशन है लोकायुक्त सचिवालय पूर्ण स्टाफ मिलाकर 99 पद स्वीकृत हैं और उसमें से 79 अधिकारी-कर्मचारी काम कर रहे हैं। लोकायुक्त का कार्यालय विधिवत पूर्ण रूप से चल रहा है। लोकायुक्त की सहायतार्थ अन्य अधिकारियों और अधीनस्थ स्टाफ के नवीन पद स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता बताई गई है। साथ ही तकनीकी प्रकृति की शिकायतों के परीक्षण एवं जांच हेतु अभियुक्तगण एवं अपराधों की जांच हेतु विशेष पुलिस स्थापना, स्पेशल पुलिस इस्टैबिलिशमेंट के सम्बन्ध में भी अपेक्षा की गई है।

Bhs/Rtm/31.7.24/14.40/2g

लोकायुक्त सचिवालय से कार्य की मात्रा, कार्य के प्रकार, जांच, अन्वेषण की अपेक्षाओं को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ हेतु राज्य सरकार के नवीन पदों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लिया जायेगा।

साथ ही साथ, राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि लोकायुक्त सचिवालय स्टाफ की कमी से प्रभावित न हो, जांच, अन्वेषण दक्षतापूर्ण प्रभावी और निष्पक्षता से हो, यह पूरा प्रयास रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने एक पैंडेंसी का मामला बताया। मैं पहले 2024 का बता दूं। 1.1.2024 को कुल पेंडिंग केस 4041 थे और 1.1.2024 से 30.6.2024 तक 951 नये केस आये। जनवरी प्रारम्भ में 4041 थे और...।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): प्रतिवेदन तो 2023 का है न।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): खुद तो गुरुजी बैंगन खाये और चेले को उपदेश दे।

श्री अध्यक्ष: 2023 से पहले के तो पता ही हैं, 2024 के और बता देते हैं। पैंडेंसी है उस पर चर्चा नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 2024 पर भी कह दो। 2024 का बताओ। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अभी बता रहा हूं। इसमें से अप टू जून तक 951 में से 944 का डिस्पोजल कर दिया है। 951 प्राप्त हुई, 944 का डिस्पोजल कर दिया है और पुराना सारा मिलायें तो 4048 पेंडिंग हैं। तब से लगा कर आज दिन तक...।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आगे से हरिमोहन जी की भी कोई शिकायत हो तो उसका भी निस्तारण जल्दी कर देना।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): हां, है।

श्री अध्यक्ष: करवा देंगे। कह दिया, निर्देश दे दिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): लोकायुक्त ने जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट पेश की वह भी बता दें, कितने पर कार्यवाही हो चुकी है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: चलो, अच्छा है, कार्यवाही हो गई।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिमोहन जी की सारी शिकायतों का निवारण तो मुख्य मंत्री जी कर गये परसों।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): दूसरा यह विषय भी आया लोकायुक्त के पुनर्गठन का मामला भी अभी माननीय सदस्यों ने रखा और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी स्वीकृति हेतु कार्यवाही विचाराधीन है और यथाशीघ्र ही इस पर जानकारी प्राप्त कर अभी-अभी कुछ ही दिनों के उपरांत इसकी स्वीकृति हो जायेगी और लोकायुक्त की कमेटी के पुनर्गठन का विषय भी जो आपने बताया, उसका भी निराकरण हो जायेगा।

आपने दूसरा विषय यह रखा कि 1.1.2023 को कुल परिवाद थे जैसा कि आपने विषय रखा पेंडेंसी का, 3936 और इस साल के एंड 2023 के एंड तक ये कैसेज हो गये, 2063 और जुड़ गये उस 2023 में तो टोटल हो गये 5999 और उसमें से 1958 कैसेज डिस्पोजल हो गये तो आपके कार्यकाल में माननीय हरिमोहन जी कुल 5999 करीब 6 हजार मान लो उसमें से दो हजार का भी आपने डिस्पोजल नहीं किया और हमको दोष दे रहे हो कि साहब, 2024 का क्यों बता रहे हो। हमने तो हण्ड्रेड परसेंट डिस्पोजल किया और आपने बिलकुल भी नहीं किया।

साथ ही साथ, मैं और भी बता दूं 2023 में कुल 17 प्रकरण आये। कार्यवाही 6 पर पूर्ण हुई। कार्यवाही ड्रॉप की गई 11 पर। यह 35वें प्रतिवेदन में आया हुआ है। 2022 में कुल 15 प्रकरण आये। कार्यवाही 3 में पूर्ण हुई। कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी 12 में। यह 34वें प्रतिवेदन में आया हुआ है। 2019 से 2021 तक में कुल 4 प्रकरण अलग-अलग विषय के आये, इनमें कार्यवाही दो में पूर्ण की गई। दो में अपेक्षित नहीं थी। यह 33वां प्रतिवेदन है और बाकी 33वां प्रतिवेदन जो अब चल रहा है जिसकी संख्या आपके इस एनेक्जर में सात दी हुई है इसीलिये प्रकरण का निस्तारण भी बराबर मॉनिटरिंग के साथ हो रहा है, निष्पक्षता के साथ हो रहा है, पारदर्शिता के साथ हो रहा है और जो असत्य शिकायतें आ रही है उनका भी बराबर निस्तारण किया जा रहा है।

साथ ही साथ, आपने यह विषय भी रखा कि यह लोकायुक्त का जो मूल उद्देश्य है उस मूल उद्देश्य में महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोकायुक्त को सशक्त बनाया जाये। माननीय गर्ग साहब ने रखा। अनेक संस्थाएं हैं जैसे वी.सी. है, स्थानीय निकायों के मैम्बर हैं, जिला परिषद के मैम्बर हैं, पंचायत समिति के मैम्बर हैं, वो इससे कवर नहीं हो रहे हैं। मेरा इसमें यह निवेदन है कि पंचायत राज के किसी कर्मचारी या पंचायत राज के किसी सदस्य द्वारा अगर कोई कार्यवाही गलत की जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है, कार्यवाही नहीं की जाती है तो पंचायत राज के अधिनियम की धारा 50 में अगर सरकारी सम्पत्ति का सही उपयोग नहीं होने दिया जा रहा है नुकसान होने दिया जा रहा है तो सरपंच या पंचायत के खिलाफ के प्रावधान उसमें हैं, जिला परिषद में है। पंचायत राज के

साथ ही साथ जो निकाय का अधिनियम है उसमें भी प्रावधान है। जिस अधिनियम में उस पंचायत राज के निर्वाचित जन प्रतिनिधि के विरुद्ध या निकायों में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध सम्बन्धित एक्ट में पहले से ही प्रावधान है तो कान्फ्लेक्टिव प्रावधान बनाने की या कान्फ्लेक्टिव शिकायत का अधिकार देने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है।

साथ ही साथ यह अपेक्षा की गई कि और जो अधिकारी हैं उनको भी शिकायतें दी जाये। इसमें ऐसा नहीं हो अगर भ्रष्टाचार है ए.सी.बी. है, सी.बी.आई. है, विभाग है, विभागीय जांच होती है, ए.सी.बी. में जांच होती है, सी.बी.आई. में जांच होती है उसके शीर्ष अधिकारी के सामने जांच होती है इसीलिये अभी जो व्यवस्था है जिन-जिन को इन्क्लूड किया गया है हमारे हिसाब से वो सफिशिएंट है और 1973 से लगा कर के 2024 तक आये इसमें कहीं भी यह नहीं माना गया कि नहीं इन सबको भी इन्क्लूड करने की आवश्यकता है।

जहां तक अपेक्षाओं का प्रश्न है, स्टाफ का मामला है, मैंने आपके सामने निवेदन किया। पुलिस को आपने कहा कि नहीं इनको तो अलग से पुलिस का प्रकोष्ठ बना करके इनको अलग से ही दिया जाये और इनको छापा मारने का अधिकार दिया जाये। इनको पुलिस को जांच करने का अधिकार दिया जाये। क्या हम दो समानान्तर व्यवस्था करना चाहते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक तो पुलिस के पास कम्प्लेंट आई तो पुलिस अपनी जांच करेगी और एक लोकायुक्त की पुलिस जायेगी वो वहां जांच करेगी?

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी भी ऐसी व्यवस्था है, ई.डी. इन्कम टैक्स, सी.बी.आई. तीनों एजेंसीज साथ-साथ एक केस में काम करती हैं तो यह मल्टीपल एजेंसीज का सवाल नहीं है उनको स्ट्रोंग करने की बात है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप मध्य प्रदेश में भी जाकर देख लो ऐसी व्यवस्था है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हरिमोहन जी, अपने तो राजस्थान ही बहुत है ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): कानून तर्कसंगत बने इसलिये किसी जगह अच्छी बात हो रही है तो एडप्ट करने में क्या दिक्कत है। हमारी सरकार होती तब तो आप एतराज करते। आप ही की सरकार है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप फिर इतने साल क्या करते रहे?

श्री अध्यक्ष: आप सुझाव ले लो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): साथ ही साथ, इसीलिये इसको समानान्तर कोई भी एजेंसी ऐसा करने का कोई भी मेरा इसमें नहीं है। जहां तक तकनीकी स्टाफ का प्रश्न है उस सम्बन्ध में तो गम्भीरता से सरकार विचार कर रही है आवश्यकता होगी तो उनको उपलब्ध कराया जायेगा।

लोकपाल का सचिवालय सशक्त करने की कार्यवाही पूर्णत: चल रही है। मेरा साथ ही साथ निवेदन यह भी है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त का जो कार्यक्षेत्र है उस सम्बन्ध में भी आपने प्रश्न उठाया। लोकायुक्त संस्थान द्वारा राज्य के मंत्रियों,

सचिवों, विभागाध्यक्षों, लोकसेवकों और जिला परिषद के प्रमुखों, उप प्रमुखों जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। पंचायत समितियों के प्रधानों, उप प्रधानों, जिला परिषद, पंचायत समितियों, स्थायी समितियों के अध्यक्षों, निगमों के महापौर, उप महापौर, स्थानीय प्राधिकरण, नगर निगम, नगरपालिकाओं, नगर निकाय अध्यक्षों, उपाध्यक्षों इसके सम्बन्ध में जांच करने का जो विषय है इसका मैंने जैसे कहा कि सम्बन्धित अधिनियम में सम्बन्धित एक्ट में अलग से प्रावधान हैं। लोकायुक्त राजस्थान द्वारा अपने 35वां प्रतिवेदन वर्ष 2023, लोक सेवक की परिभाषा को अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता नहीं है जो व्यापक दी गई है वो सफिसिएंट है।

साथ ही साथ, क्षेत्राधिकार विस्तार की आवश्यकता बताई गई है मेरे विचार से अभी इस स्टेज पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा विषय आपने रखा, लोकायुक्त सचिवालय के परिवाद पर जानकारी लेने की कार्यवाही। यह विषय भी गम्भीर रूप से रखा। परिवादी द्वारा लोकायुक्त सचिवालय से शिकायती प्रारूप का मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर परिवाद पर सम्बन्धित विभाग के उच्चाधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर परीक्षणोपरांत लोक सेवक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किये जाने, भ्रष्टाचार का कृत्य किया जाना पाये जाने पर सम्बन्धित लोक सेवक के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच की जाती है। उसको पी.ई. कहते हैं, प्रारम्भिक जांच की जाती है। प्रारम्भिक जांच के परिणामस्वरूप यदि किसी लोक सेवक के विरुद्ध आरोप पर्याप्त पाये जाते हैं, साक्ष्य पाये जाते है तो लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 के तहत उनके विरुद्ध अन्वेषण की कार्यवाही की सिफारिश करता है और यदि किसी आरोप के सम्बन्ध में अन्वेषण के पश्चात समाधान हो जाये कि ऐसे आरोप पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो धारा 12 के अन्तर्गत सुसंगत दस्तावेजों सहित पूरी कार्यवाही माननीय राज्यपाल महोदय को भेज दी जाती है। यह प्रक्रिया है ...

Kas/Rtm/31.07.2024/14.50/2h

इस प्रक्रिया में उनका जो निष्कर्ष होता है, वह माननीय मुख्य मंत्री या सरकार को भेज दिया जाता है और सरकार उस पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करती है। इस प्रक्रिया में आज तक किसी तरह की कोई कमी-खामी नहीं पाई गई है।

लोकायुक्त सचिवालय में प्रकरणों की स्थिति के बारे में मैं आपकी सबकी जानकारी के लिये एक बार बता दूं। समय के साथ कार्य में पारदर्शिता तथा जवाबदेही की अपेक्षा बढ़ने के कारण लोकसेवकों के विरुद्ध शिकायतों में भी वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप लोकायुक्त राजस्थान में प्रेषित परिवादों में भी पूर्व की तुलना में वृद्धि हो रही है। जहां वर्ष 1973-83 के दशक में औसतन 600 शिकायतें मिलती थीं, वहीं वर्ष 2021 में लगभग 1500 और वर्ष 2022 में 2200 नवीन शिकायतें लोकायुक्त को प्राप्त हुईं। जागरूकता बढ़ी है, संख्या भी बढ़ी है, गलत और सही शिकायत भी होने लगी है, इसलिए संख्या बढ़ी है।

अब ध्यान से सुने, जैसा मैंने अभी आपको संख्या बताई, वर्ष 2023 में 5999 परिवादों में से 1958 का निस्तारण किया गया तथा दिनांक 31.12.2023 को कुल 4041 परिवाद लंबित थे। इसी तरह प्रारंभिक जांच के 21 प्रकरणों में से 7 का इसी अवधि में निस्तारण किया गया। प्रतिवेदन अवधि में अन्वेषण के कुल 60 प्रकरणों में से 4 नस्तीबद्ध किये गये। 17 में अन्वेषण पश्चात धारा 12 (1) के तहत सक्षम अधिकारी को अनुशंसा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। 69 प्रकरणों में विभागों द्वारा 109 दोषी लोकसेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। 241 प्रकरणों में परिवादियों को अनुतोष प्रदान किया गया। यह प्रगति तथा कार्य निस्तारण प्रदर्शित करता है कि संस्था कार्य में अनियमितता तथा लापरवाही करने वाले लोकसेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा पीडित लोगों को रिलीफ देने में लगातार प्रयासरत है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): एक मिनट, लोकपाल की शिकायतों में जिन लोगों की सूची दी, कितने लोग दंडित किये गये? यह अलग मामला नहीं है, मेरे कहने का मतलब यह है कि लोकपाल महोदय ने जिन-जिन भी कर्मचारियों के खिलाफ जो भी रिपोर्ट दी, उसमें अब तक आपने कितने लोगों को क्या-क्या दंड दिया और कितने दंडित हुए? या वैसे ही उनकी रिपोर्ट आ गई और हमने प्रताड़ना दे दी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप सुनो ध्यान से, लोकायुक्त का काम दंडित करने का नहीं है ...(व्यवधान)...सुन तो लो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैंने यह कहा है कि लोकपाल ने जिनको दंडित करने के लिये आपके पास भेजा, खाली प्रताड़ना नहीं, यह तो बेकार की बात हो गई, जब तो लोकपाल का करोड़ों रुपये का खर्चा ही बेकार हो गया। प्रताडित करना है तो सरकार ही कर देगी।

श्री अध्यक्ष: यह सुझाव आप बहुत देर से दे रहे हो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह बात मैंने भी कही थी कि लोकायुक्त ने जो अनुशंसा कर दी, वह कितनी पेंडिंग है, उस पर क्या कार्यवाही की, यह मैंने भी पूछा था।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इसमें एनेक्जर दिया हुआ है, वर्षवार दिया हुआ है, कृषि के कितने, पुलिस के कितने, विभाग वाइज दिया हुआ है। इसका पूरा विवरण दिया हुआ है कि किसके खिलाफ आया, किसको दोषमुक्त माना, किसकी डिपार्टमेंट की इन्क्वायरी पेंडिंग है, किसकी रिपोर्ट नहीं आई, अलग-अलग है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इतनी सी बात है, लोकायुक्त ने दोषी मानकर कार्यवाही करने के लिये आपको लिख दिया, अपने पास कितनी पेंडिंग हैं, वह पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह चर्चा तो केवल लोकायुक्त की रिपोर्ट पर है, सज़ा कितनों को मिली, यह आज का प्रश्न नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों की जानकारी के लिये बता दूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सज़ा कितनों को मिली?

श्री अध्यक्ष: वह तो सरकार देती है और गृह विभाग देगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि करोड़ों रुपये लोकपाल पर खर्च कर रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद कितने लोग दंडित हुए? खाली प्रताड़ना ही प्रताड़ना, तो फिर इतने करोड़ों रुपये क्यों खर्च किये?

श्री अध्यक्ष: माननीय हरिमोहन जी, यह प्रश्न आप बहुत बाद में पूछ रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि जो लोकायुक्त की सिफारिश होती है, विभाग अपने स्तर पर पुन: जांच करता है और विभाग जांच करने के बाद यह पाता है कि कोई वित्तीय अनियमितता हुई है, कोई गलत आचरण हुआ है, कोई इनएक्शन हुआ है, कोई ओवर एक्शन हुआ है, तो विभाग तदनुसार कार्यवाही करता है। ...(व्यवधान)... आप सुन तो लो खड़े हो जाते हो बार-बार। सुनने की आदत ही नहीं है, न कोई नॉलेज है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक बार उठकर बता दिया, बार-बार थोड़े ही बताओगे। आपने अपना भाषण कर लिया, उसके बाद 5-6 बार उठ गये, अब नहीं। कोई अंकित नहीं, बहुत हो गया।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्ष: अब हो गया। माननीय सदस्य, अब आप अपनी सीट से नहीं उठेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ऐसा ही लोकायुक्त एक्ट आपने 1973 में बनाया है। इसमें एक प्रोविजन बता दो कि लोकायुक्त की सिफारिश बाध्यकारी है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): मंत्री जी एक मिनट। यह जो नेता प्रतिपक्ष और हरिमोहन जी कह रहे हैं, पेज नंबर 34 पर पूरा विवरण लिखा है, सब लिखा है, आपने ढंग से पढ़ा होता तो यह पूछते नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये संसदीय मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, ये सक्षम हैं, अच्छा बता रहे हैं, चिंता मत करो।

श्री अध्यक्ष: इसमें कोई दो राय नहीं है, सक्षम हैं। अब वाइंड अप करें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर विषय मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं, जिस पर हरिमोहन जी बोल रहे हैं। लोकायुक्त की सिफारिश राज्यपाल महोदय को जाती है, राज्यपाल महोदय के बाद मुख्य मंत्री जी को जाती है और सम्बन्धित विभाग को जाती है। विभाग में विभागीय नियमों के अनुसार उसका परीक्षण होता है और परीक्षण होने के उपरान्त उस पर क्या निर्णय लिया जाना है, यह विषय है। लोकायुक्त सिफारिश एक शिकायत पर उनका एक प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन है। ये कन्फ्यूज हैं, इसलिए बार-बार खड़े होते हैं कि कितनों को क्या दंडित किया गया। अलग-अलग विभागों में अलग-अलग तरह के निर्णय होते हैं।

श्री अध्यक्ष: अब आप वाइंडअप करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्ष: किसी और नियम में आइए। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, यह ज्ञान आपको बहुत देर से क्यों हो रहा है, बैठिए। माननीय मंत्री जी, कन्क्लूड कीजिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय मंत्री जी, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं मैंने उस एक्ट को पढ़ा नहीं, अगर ऐसा है जो आप कह रहे हैं, तो फिर तो लोकायुक्त संस्थान का कोई मतलब ही नहीं रहा। मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें आप संशोधन लेकर आये, इसको मजबूत कीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह जो सुभाष जी ने कहा है, यह विषय गंभीर है। हम सबको विचार करके, अगर हम सबका यह मानस है कि लोकायुक्त की सिफारिश फाइनल होनी चाहिये, तो इसमें संशोधन करना पड़ेगा, बिना संशोधन के नहीं हो सकता। ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए। हरिमोहन जी का कुछ अंकित नहीं होगा। मैं बार-बार कह रहा हूं और मेरे आने के बाद आप 15वीं बार खड़े हुए हो, यह क्या तमाशा है? एक बार, दो बार कोई सुझाव दे दिया, बार-बार। मुझे आपके स्वास्थ्य की भी चिंता है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सुभाष जी, आज की जो कानून की स्थिति है, it is only a Sifarish, not more than it. Their Sifarish is not binding on the department. डिपार्टमेंट खुद अपने स्तर पर पूरी जांच करता है, तथ्यों की जांच करता है, नियमों की जांच करता है। हो सकता है उस दौरान उस अधिकारी की पोस्टिंग वहां नहीं हो, हो सकता है उस अधिकारी का दायित्व उसमें दिया हुआ नहीं हो, हो सकता है उस अधिकारी को और कोई जिम्मेदारी दी हुई हो। डिपार्टमेंट पूरे तथ्यों की जांच करता है, जांच करने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन लेता है। Opportunity of hearing is a fundamental right. बिना सुने आप किसी को दंडित थोड़े ही कर सकते हैं। पूरी जांच करने के बाद अगर कोई गलत कार्यवाही हुई है तो विभाग के नियमानुसार दंडित हो जाता है और यदि यह पाया जाता है कि कोई अनियमितता नहीं हुई है तो उसको दोषमुक्त मान लिया जाता है। इसलिए लोकायुक्त की सिफारिश एक सिफारिश है, उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये, करते भी हैं। आप इसको पूरा पढ़ना और फिर यह बहस करना कि लोकायुक्त का मतलब क्या है। लोकायुक्त मतलब है कि जो सिफारिश है, वह मात्र सिफारिश है।

Msk/rtm/31.07.24/1500/ 2j

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मेरा निवेदन है कि आपने यह जो प्रतिवेदन रखवाया है, इस प्रतिवेदन पर बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है। इस प्रतिवेदन को स्वीकार फरमाया जाये।

श्री अध्यक्ष: मेरा माननीय सदस्यों से एक निवेदन है कि सदन स्थगन से पहले प्रतिवेदनों पर चर्चा करने की प्रक्रिया अपन ने शुरू की है। सब लोग चर्चा के पहले उसको

पढ़कर आयें। आज मैंने जो बहस सुनी, अधिकांश ने उसको पढ़ा ही नहीं है। सरसरी निगाह से कुछ लोगों ने देखा है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): प्रतिवेदन मिला ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। उसका बता रहा हूं। यह प्रतिवेदन जिस दिन चर्चा हो, उससे पांच-छह दिन पहले हर जगह पहुंचे। हालांकि, कल हमने आपको वाट्सएप पर, वेबसाइट पर मौजूद है। वैबसाइट खोलो तो सही, अपन सब अब टेक्निकल जा रहे हैं। वैबसाइट पर है, उसको भी करें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यही दिक्कत आयी। अध्यक्ष जी, आप उस समय नहीं थे। कई माननीय सदस्यों ने इस चीज को रखा कि प्रतिवेदन एक सप्ताह पहले आ जाये, जब भी रखें तो लोग तैयारी करके आ जायें। अभी काफी लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कोशिश करेंगे कि प्रतिवेदनों पर चर्चा, उसके दो कारण हैं, एक तो प्रतिवेदनों को पढ़ें, सबकी नॉलेज में आये। आते हैं, अधिकांश रख देते हैं, उसमें मैं भी हूं, 20 साल तो मेरे पास आते रहे। अपन सब पढ़ नहीं पाते हैं। अधिकांश लोग पढ़ने का भी स्वभाव डालें और साथ में, चर्चा तय करें। कम से कम एक सप्ताह पहले सरकार भेजने की व्यवस्था करे, इसका हम प्रयत्न करेंगे।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 01 अगस्त 2024 के प्रात: के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.02 बजे गुरुवार, दिनांक 01 अगस्त 2024 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)